



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112024-258429
CG-DL-E-04112024-258429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]
No. 306]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2024/कार्तिक 8, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/KARTIKA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

प्रारंभिक जांच परिणाम

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2024

मामला सं. एडी(ओआई) - 30/2013).—

विषय: चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीविनाइल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के प्रारंभिक जांच परिणाम।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/33/2023-डीजीटीआर.—

- केमप्लास्ट कुडालोर प्राइवेट लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी

कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीविनाइल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/33/2023-डीजीटीआर दिनांक 26 मार्च 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- i. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) और डब्ल्यूटीओ के विभिन्न सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार करार के अनुसार वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत में राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 26 मार्च 2024 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - iii. प्राधिकारी ने प्रश्नावलियों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों, ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पत्तों के अनुसार भेजी थी और उनसे विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
 - iv. प्राधिकारी ने नियमावली के 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को आवेदन की अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति प्रदान की।
 - v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को उनके देशों से निर्यातकों / उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के ब्यौरों के साथ दूतावासों को भी भेजी गई थी।
 - vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी थीं।
 1. चाइना हाओहुआ केमिकल (ग्रुप) कॉर्पोरेशन
 2. चिपिंग जिनफ्रा पीवीसी कंपनी लिमिटेड
 3. हुबेइन यिनहुआ ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 4. इनर मंगोलिया सानलियन केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 5. इनर मंगोलिया जुन्झेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 6. किंगफ्रा साइंस. एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 7. एलजी डागू केमिकल कंपनी लिमिटेड
 8. मेगा कंपाउंड कंपनी लिमिटेड
 9. निंगक्सिया यिंगलाइट केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

10. निंगक्सिया जिनयुआन एनर्जी केमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 11. ऑर्डोस जुन्झेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 12. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
 13. शेडोंग हैहुआ क्लोर-अल्कली रेजिन कंपनी लिमिटेड
 14. शेडोंग जिनफ्रा आयात और निर्यात कंपनी
 15. शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
 16. सिनोपेक ग्रुप
 17. सिनोपेक किलू कंपनी
 18. सूज़ौ हुआसु प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
 19. क्रिंगदाओ हैजिंग केमिकल (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड
 20. क्रिंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड
 21. तियानजिन डागू केमिकल कंपनी लिमिटेड
 22. तियानजिन एलजी बोहाई केमिकल कंपनी
 23. झिंजियांग शिहेज़ी झोंगफ्रा केमिकल कंपनी लिमिटेड
 24. झिंजियांग शेंगक्सियोंग क्लोर-अल्कली कंपनी लिमिटेड
 25. झिंजियांग झोंगताई केमिकल कंपनी लिमिटेड
 26. यिबिन तियानयुआन ग्रुप लिमिटेड
 27. यिचांग यिहुआ पैसिफिक कोजेन कंपनी लिमिटेड
 28. झोंग ताई इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एचके) लिमिटेड
 29. ऑक्सी विनाइल एलएलपी
 30. विसोलिट
 31. फार्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन
 32. जेएम ईगल कॉर्पोरेशन
 33. ऑक्सीकेम
 34. शिनटेक इंक.
 35. वेस्टलेक यूएसए इंक.
 36. ओशन प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
 37. जेएनसी कॉर्पोरेशन
 38. कनेका कॉर्पोरेशन
 39. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड
 40. एससीजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
 41. वियंथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड
- vii. निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
1. इनर मंगोलिया केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 2. इनर मंगोलिया एर्डोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड

3. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड
4. फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन
5. सिमोसा इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
6. इटोचू प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
7. आईटीओसीयू कॉर्पोरेशन
8. आईटीओसीयू (थाईलैंड) लिमिटेड
9. चाइना जनरल प्लास्टिक कॉर्पोरेशन
10. सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन
11. ग्रैंड डिग्रीटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
12. वानहुआ केमिकल (फुज़ियान) कंपनी लिमिटेड
13. वानहुआ पेट्रोकेमिकल (यंताई) कंपनी लिमिटेड
14. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
15. वानहुआ के लिए ग्रैंड डिग्रीटी
16. चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड
17. चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
18. शेडोंग शिनफा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
19. जियाली बायो ग्रुप (किंगदाओ) लिमिटेड
20. यू शियू टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड
21. झिंजियांग झोंगताई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
22. झोंग ताई इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एचके) लिमिटेड
23. झिंजियांग शेंगक्सिओनग क्लोर-अल्कली कंपनी लिमिटेड
24. गुआंगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
25. शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
26. जोक इंटरनेशनल टेक्निकल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
27. टियांजिन एलजी बोहाई केमिकल कंपनी लिमिटेड
28. एलजी केम, लिमिटेड
29. कैनको मार्केटिंग
30. टीएस कॉर्पोरेशन
31. ऑर्डोस जुन्झेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
32. इनर मंगोलिया जुन्झेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
33. शानक्सी बेयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी
34. हेनान पुलिटे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड कं, लिमिटेड
35. केमडो ग्रुप कंपनी लिमिटेड
36. यूनाइटेड राँ मटेरियल प्रा. लिमिटेड

37. कॉसमॉस वू लिमिटेड
38. टुन वा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
39. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
40. कनेका कॉर्पोरेशन
41. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड
42. ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन
43. तोकुयामा कॉर्पोरेशन
44. तोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड
45. तोसोह निक्केमी कॉर्पोरेशन
46. मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड
47. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
48. आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड
49. कानेमात्सु कॉर्पोरेशन
50. मारुबेनी कॉर्पोरेशन
51. सोजित्ज़ एशिया प्राइवेट लिमिटेड
52. पीटी असाहिमास केमिकल
53. एजीसी विनीथाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी
54. जीसीएम पॉलिमर ट्रेडिंग डीएमसीसी कंपनी लिमिटेड
55. पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड
56. थाई पॉलीइथिलीन कंपनी लिमिटेड
57. थाई प्लास्टिक और केमिकल्स पीएलसी.
58. क्रिंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड
59. सीएनएसआईजी जिलटानी क्लोर – अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
60. चाइना साल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
61. यिबिन हैफ़ेग हेरुई कंपनी लिमिटेड
62. यिबिन तियानयुआन मैटेरियल्स इंडस्ट्री ग्रुप लिमिटेड
63. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
64. तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट्स
65. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
66. हनवा कॉर्पोरेशन
67. स्टेवियन केमिकल जेएससी
68. सनशाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
69. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड

- viii. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा जारी पूरक प्रश्नावली का उत्तर दिया है और यह दावा किया है कि उसे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालनरत के रूप में माना जाना चाहिए। चीन से किसी अन्य उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य का दावा नहीं किया है।
- ix. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी थी।
1. आसू केमप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
 2. एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड
 3. आदित्य इंडस्ट्रीज
 4. अमीषा विनाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
 5. अपोलो पाइप्स लिमिटेड
 6. एसोसिएटेड कैप्सूल्स लिमिटेड
 7. एवीआई ग्लोबल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
 8. एवन प्लास्टिक ग्रुप
 9. कैप्रिहंस इंडिया लिमिटेड
 10. चैतन्य इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
 11. कूलडेक एक्वा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
 12. कॉसमॉस कॉर्पोरेशन
 13. डी.आर. पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
 14. डीलक्स करण इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
 15. धात्रिया एग्लोमेरेट्स प्राइवेट लिमिटेड
 16. डायमंड पाइप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
 17. ड्यूट्रॉन प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 18. फाइन फ्लो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 19. गोल्डन ग्रुप
 20. हैवेल्स इंडिया
 21. इनकॉम केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
 22. जैन इरिगेशन सिस्टम्स
 23. ज्वेल पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
 24. जेपी ग्रुप
 25. कल्पना इंडस्ट्रीज
 26. किसान ग्रुप टेक्स
 27. केएलजे ग्रुप
 28. कृष्णा विनाइल्स ग्रुप
 29. कृति इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड
 30. केएस प्लास्टिक

31. मनीष पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
 32. मैक्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
 33. मेघा इंडस्ट्रीज
 34. एमएम प्लास्टिक
 35. नोवेल क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
 36. ओमेगा प्लास्टो लिमिटेड
 37. ओरिप्लास्ट लिमिटेड
 38. ओसवाल केबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
 39. ऑक्सीड केमिकल्स एंड पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 40. पार पेट्रोकेम लिमिटेड
 41. पॉली एक्सट्रूशंस प्राइवेट लिमिटेड
 42. पॉलीकैब केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
 43. प्रकाश इंडस्ट्रीज
 44. प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड
 45. प्रिंफंट क्राफ्ट्स
 46. प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड
 47. आर.एस. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
 48. रॉयल कुशन विनाइल प्रोडक्ट लिमिटेड
 49. सैम पॉलिमर्स
 50. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 51. सांखला इंडस्ट्रीज
 52. शालीमार रेक्सिन इंडिया लिमिटेड
 53. शांतिलाल महेंद्र कुमार
 54. सिग्रेट ओवरसीज लिमिटेड
 55. सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 56. सुधाकर गुप
 57. सुप्रीम इंडस्ट्रीज
 58. सुरेंद्र कमर्शियल
 59. तिरुपति गुप
 60. वर्षा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
 61. वीके पॉलीकोट्स लिमिटेड
- x. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा जारी आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत करके वर्तमान जांच में भाग लिया है।
1. एलस्टोन ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 2. अस्मा ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड

3. एटलांटिक पॉलिमर्स यूनिट-II प्राइवेट लिमिटेड
 4. कैप्रिहंस इंडिया लिमिटेड
 5. प्रबिता पॉलिमर्स
 6. पूर्वाचल कम्पोजिट पैनल (I) प्राइवेट लिमिटेड
 7. शिव इंडस्ट्रीज
 8. सुशीला परमार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
 9. टेरा पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
 10. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 11. यमुना इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xi. प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकॉन्सिल) ने क्षति संबंधी प्रस्तुतिकरण दाखिल किया है।
- xii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
1. घरेलू उद्योग
 2. एजीसी विनयथाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी
 3. एलस्टोन ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 4. अस्मा ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
 5. एटलांटिक पॉलिमर यूनिट-II प्राइवेट लिमिटेड
 6. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
 7. चाइना साल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
 8. सीएनएसआईजी जिल्टानी क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
 9. जीसीएम पॉलिमर ट्रेडिंग डीएमसीसी कंपनी लिमिटेड
 10. हनवा कॉर्पोरेशन
 11. आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड
 12. कनेका कॉर्पोरेशन
 13. कनेमात्सु कॉर्पोरेशन
 14. मारुबेनी कॉर्पोरेशन
 15. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
 16. मित्सुई एंड कंपनी, लिमिटेड
 17. प्रबिता पॉलिमर
 18. पीटी असाहिमास केमिकल
 19. पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड
 20. पूर्वाचल कम्पोजिट पैनल (आई) प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
 21. क्रिंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड
 22. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड

23. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड
 24. शिव इंडस्ट्रीज
 25. सोजित्ज एशिया पीटीई लिमिटेड
 26. स्टेवियन केमिकल जेएससी
 27. सनशाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
 28. सुशीला परमार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
 29. ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन
 30. टेरा पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
 31. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड
 32. थाई प्लास्टिक एंड केमिकल्स पीएलसी.
 33. थाई पॉलीइथिलीन कंपनी लिमिटेड
 34. तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट्स
 35. तोकुरामा कॉर्पोरेशन
 36. तोकुरामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड
 37. तोसोह निक्केमी कॉर्पोरेशन
 38. यमुना इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
 39. यिबिन हैफेंग हेरुई कंपनी लिमिटेड
 40. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 41. यिबिन तियानयुआन मैटेरियल्स इंडस्ट्री ग्रुप लिमिटेड
- xiii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- xiv. हितबद्ध पक्षकारों से दिनांक 25.06.2024 और 30.07.2024 की अधिसूचना द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तरों, अनुरोधों और साक्ष्य के अगोपनीय अंश को अन्य हितबद्ध पक्षकारों से साझा करने के लिए कहा गया था।
- xv. प्राधिकारी ने दिनांक 30 अप्रैल 2024 को एक बैठक की थी जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के बारे में उनकी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 13 मई 2024 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया।
- xvi. डीजी सिस्टम से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु की आयातों के लिए सौदावार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद आयातों की मात्रा की गणना और अपने विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xvii. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार रखी गई घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने

और बेचने की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान अंतरिम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- xviii. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि पर 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि के रूप में विचार किया गया है।
- xix. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना / आंकड़ों की डेस्क अध्ययन के दौरान जांच की गई है और प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ उन पर भरोसा किया गया है जिसे आवेदकों के मूल रिकार्डों से उचित समय पर सत्यापित किया जाएगा।
- xx. इस प्रारंभिक जांच परिणाम में '***' गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.21 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. यद्यपि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि के-वैल्यू सबसे महत्वपूर्ण मापदंड हैं। तथापि, किसी भी पीसीएन का के-वैल्यू के आधार पर प्रस्ताव नहीं किया गया है। पीवीसी के विभिन्न ग्रेडों की लागत और कीमत 15-20 प्रतिशत के बीच है।
- ii. उत्पादन प्रक्रिया पर आधारित पीसीएन तैयार करने की आवश्यकता है। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया कि पीसीएन वार आकलन की वर्तमान जांच में आवश्यकता नहीं है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखे गए उत्पादों का शुल्क तालिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- iv. जांच अवधि के दौरान केवल घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित और बेचे गए ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल करना चाहिए।
- v. एलजी केम द्वारा उत्पादित ग्रेड एचआरटीपी4000, एलएस070, एलएस170 और एलएस300 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि यह अल्ट्रा हाई मोलिकुल वेट पीवीसी है।
- vi. vi टीपीई द्वारा उत्पादित ग्रेड एसजी840, एसएम760, एसएम76ई और एसएम84ई को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इनमें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों की तुलना में उच्चतम के-वैल्यू है। ऐसे ग्रेडों की कीमत घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों से अधिक है। इन ग्रेडों का उत्पादन घरेलू उद्योग नहीं करता है और ये घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।
- vii. कनेका कॉर्पोरेशन द्वारा उत्पादित ग्रेडों एस-400: केवी51, एस1007: केवी58, एस1008: केवी61, एस1004: केवी73, केएस-1700: केवी77, केएस-2500: केवी85 और केएस-3000: केवी88 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ग्रेडों के समान वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होती है।
- viii. शिन-इट्यू द्वारा उत्पादित ग्रेडों टीके-2500एचई, जीआर-600एस, जीआर-700एस, टीके-800, टीके-500, टीके-600, टीके-1700ई, टीके-2000ई, टीके-2500एलएस, टीके-2500एचएस, टीके-2500पीई,

- जीआर-800टी, जीआर-1300टी, जीआर-1300एस, और जीआर-2500एस को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग इन ग्रेडों के समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है।
- ix. टोकुयामा द्वारा उत्पादित ग्रेडों जेडईएसटी 700जेड, जेडईएसटी 1000जेड और जेडईएसटी 1300एसआई को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग इन ग्रेडों के समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है।
- x. ताइयो, एथिलीन और पीवीसी कॉपोलीमर, ईवीए पीवीसी ग्राफ्ट कॉपोलीमर और मोडीफाइड हाई पोलिमराइजेशन पीवीसी रेजिन जो कोपोलीमर पीवीसी और क्रॉस-लिंकड पीवीसी है, का उत्पादन करता है, ऐसे उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर माना जाना चाहिए।
- xi. ताइयो द्वारा उत्पादित ग्रेडों टीएच-800, टीएच-1700, टीएच-2500, टीएच-2800, टीएच-3000 और टीएच-3800 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग इन ग्रेडों के समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है।
- xii. ग्रेड टीएल700 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत कम के-वैल्यू होती है जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग नहीं करता है।
- xiii. वानहुआ द्वारा उत्पादित ग्रेड डब्ल्यूएच800 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह 60-64 के-वैल्यू की रेंज में आता है जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग नहीं करता है।
- xiv. पीवीसी रेजिन ऑफ ग्रेड, पीवीसी रेजिन फ्लोर स्वीप, पीवीसी रेजिन पॉड रेजिन (पीवीसी ऑफ ग्रेड) को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि ये फ्लोरिन के उत्पादन के लिए प्राइम ग्रेडों के साथ मिश्रित होते हैं। ऐसे उत्पाद कम मात्रा में आयातित होते हैं और प्राइम ग्रेड से काफी कम कीमत पर निर्धारित होते हैं।
- xv. 57 के-वैल्यू वाला पीवीसी सस्पेंशन रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा इसका उत्पादन नहीं होता है।
- xvi. घरेलू उद्योग के-वैल्यू 55 और 60 की आपूर्ति नहीं करता है और ऐसे उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखना चाहिए।
- xvii. विचाराधीन उत्पाद के दायरे को संशोधित करना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग के पास केवल 57 से 72 तक के वैल्यू वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के विनिर्माण की क्षमता है।
- xviii. मास पोलिमराइजेशन को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग सीपीवीसी के उत्पादन में होता है और इनमें एक जैसे विनिर्देशन और अनुप्रयोग हैं।
- xix. उपयोगकर्ता उद्योग सी-पीवीसी के विनिर्माण के लिए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के विशेष ग्रेड का उपयोग कर रहा है जो बड़े पैमाने पर पीवीसी की विशेषताओं के समान है। चूंकि घरेलू उद्योग समान या तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य ग्रेड की आपूर्ति नहीं कर रहा है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xx. एपिग्रल द्वारा आयातित ग्रेड उच्च छिद्रता और उच्च स्पष्ट घनत्व वाले हैं। ऐसे ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं किए जाते हैं।
- xxi. घरेलू उद्योग सी-पीवीसी के विनिर्माण के लिए विशेष ग्रेड का आयात भी करता है और अपने द्वारा कैप्टिव रूप से निर्मित पीवीसी का उपयोग नहीं करता है। यह डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के निवेशकों के आह्वान की प्रतिलिपि से स्पष्ट है। इस प्रकार, ऐसे ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपॉलीमर है जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के नाम से भी जाना जाता है।
 - ii. इमल्शन पोलिमराइजेशन प्रक्रिया, बल्क मास पोलिमराइजेशन प्रक्रिया और माइक्रो सस्पेंशन पोलिमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित पीवीसी रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
 - iii. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से क्रास लिंकड पीवीसी, सीपीवीसी, वीसी-वैक, पीवीसी पेस्ट रेजिन, मास पॉलीमराइजेशन पीवीसी और पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन बाहर हैं।
 - iv. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन विनाइल क्लोराइड मोनोमर के प्रयोग से होता है जिसे सस्पेंशन प्रक्रिया के जरिए पोलिमराइज किया जाता है। विनाइल क्लोराइड मोनोमर को ईडीसी (एथिलीन) पद्धति या कार्बाइड पद्धति के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। दोनों मामलों में अंतिम उत्पाद समान होता है।
 - v. विचाराधीन उत्पाद का समर्पित एचएस कोड 39041020 है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के 17 प्रतिशत आयात जांच अवधि के दौरान अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत किए गए हैं।
 - vi. वर्तमान जांच में पीसीएन वार विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पीसीएन की जरूरत के संबंध में विपरीत अनुरोध किए गए हैं। अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पीसीएन की आवश्यकता नहीं है।
 - vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत उत्पादन प्रक्रिया आधारित पीसीएन अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पाद की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है और यह अंतर 5 प्रतिशत से कम है।
 - viii. हानवा द्वारा किए गए अनुरोध के विपरीत उत्पाद की कीमत में विभिन्न के-वैल्यु के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है।
 - ix. घरेलू उद्योग 57 और 75.5 के बीच के-वैल्यु के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उत्पादन करता है और + / - 1 के-वैल्यु सहनशीलता रहती है। प्राधिकारी 56 से कम और 76 से अधिक के-वैल्यु वाले उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रख सकते हैं।
 - x. एक उत्पाद प्रकार को केवल तभी बाहर रखा जा सकता है, यदि उसे भारत में आयातित किया जाए और घरेलू उद्योग द्वारा उसके समान वस्तु को बेचा न जाता हो। भारत में आयातित नहीं किए गए उत्पाद प्रकारों के लिए किसी अपवर्जन की आवश्यकता नहीं है।
 - xi. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है और उपभोक्ताओं द्वारा इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।
 - xii. अन्य इच्छुक पक्षों के प्रस्तुतिकरणों के विपरीत, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के लिए विशेष ग्रेड नाम की कोई चीज नहीं है। यदि "विशेष ग्रेड" के लिए कोई अपवर्जन दिया जाता है, तो निर्यातक सब कुछ को विशेष ग्रेड के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और शुल्क से बच सकते हैं।
 - xiii. यदि पीवीसी के कुछ "विशेष ग्रेड" होते, तो ऐसे ग्रेड के उत्पादन की लागत अलग होनी चाहिए थी, लेकिन एपिग्रल लिमिटेड ने ऐसे ग्रेड के लिए अलग पीसीएन के संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण दायर नहीं किया है।
 - xiv. आयात डेटा से विश्लेषण के अनुसार, एपिग्रल लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद के नियमित ग्रेड का आयात किया है जिसे भारत में अन्य उपभोक्ताओं द्वारा भी आयात किया गया है।

- xv. चूंकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने नए संयंत्र में सीपीवीसी का उत्पादन शुरू किया है, इसलिए यह सीपीवीसी बनाने के लिए अपने स्वयं के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा, कंपनी ने सीपीवीसी बनाने के लिए विभिन्न एसपीवीसी की उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिए अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित एसपीवीसी का उपयोग किया। यह सीपीवीसी के निर्माण के लिए नियमित रूप से किसी विदेशी उत्पादक की सामग्री का आयात नहीं कर रहा है। डीसीडब्ल्यू सीपीवीसी के उत्पादन के लिए अपने स्वयं के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग करने की योजना बना रहा है।
- xvi. डीसीडब्ल्यू ने जांच की अवधि के दौरान अपने सीपीवीसी संयंत्र में परीक्षण के लिए कई व्यापारियों से एसपीवीसी खरीदा। इस समय, घरेलू उद्योग सीपीवीसी के निर्माण के लिए एसपीवीसी के उपयोग का परीक्षण कर रहा था।
- xvii. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने सीपीवीसी के निर्माण के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग किया है।
- xviii. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी सी-पीवीसी के लिए एक नया संयंत्र स्थापित कर रहा है और कैप्टिव रूप से उत्पादित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग करने की योजना बना रहा है।
- xix. सी-पीवीसी से संबंधित आईएस 17988 में सी-पीवीसी के निर्माण के लिए किसी विशेष ग्रेड का उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उल्लेख है। इसके अलावा, एपिग्रल लिमिटेड के लिए निवेशक कॉल में भी सी-पीवीसी के लिए किसी विशेष ग्रेड का उल्लेख नहीं है।
- xx. विषयगत वस्तुओं के सभी घरेलू उत्पादकों के पास पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस हैं और वे निर्दिष्ट मानकों का पालन करते हैं।
- xxi. बीआईएस मानक पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की आवश्यक विशेषताओं में से एक के रूप में छिद्रता या ताप स्थिरता का उल्लेख नहीं करते हैं।
- xxii. जबकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पास सीपीवीसी के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस है, एपिग्रल लिमिटेड के पास इस संबंध में बीआईएस लाइसेंस भी नहीं है।
- xxiii. एपिग्रल लिमिटेड सीपीवीसी के केवल 2 ग्रेड, अर्थात् एमएम67के और एमएम57के का उत्पादन करता है और विभिन्न निर्माताओं से बड़े पैमाने पर पीवीसी के साथ-साथ सस्पेंशन पीवीसी का आयात करता है। यह सीपीवीसी के निर्माण के लिए विभिन्न सस्पेंशन रेजिन की विनिमेयता स्थापित करता है।
- xxiv. चूंकि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन बैचों में निर्मित होते हैं, इसलिए किसी भी दो बैचों में बिल्कुल समान विनिर्देश नहीं होते हैं जो बीआईएस और साथ ही टीडीएस में निर्दिष्ट सीमा से स्पष्ट है। इस प्रकार, एपिग्रल ने सीपीवीसी के निर्माण के लिए विभिन्न विनिर्देशों के पीवीसी का उपयोग किया है।
- xxv. भारतीय उद्योग द्वारा आपूर्ति की चूंकि यह मास पीवीसी का भी उपयोग करता है जिसकी कीमत अधिक होती है, इसलिए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की उचित कीमतों के कारण इसकी व्यवहार्यता प्रभावित नहीं होगी।
- xxvi. एपिग्रल ने यह नहीं दिखाया है कि उसने उत्पाद के घरेलू उत्पादकों से संपर्क किया है और सीपीवीसी के निर्माण के लिए उनके उत्पाद का परीक्षण किया है और इसलिए, पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित ग्रेड सीपीवीसी के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
- xxvii. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापन योग्य है और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विषय देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वर्तमान जांच की शुरुआत के समय प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद पर "विनाइल क्लोराइड मोनोमर के होमोपॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड)" के रूप में विचार किया था जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के रेजिन में विभिन्न पोलिमर चैन होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती। विचाराधीन उत्पाद को "पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) रेजिन", "सस्पेंशन ग्रेड" या "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन" भी कहा जाता है।

7. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन के संबंध में दिनांक 30.04.2024 को एक बैठक की थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां और उनकी जांच करने के बाद प्राप्त होने के बाद विचाराधीन उत्पाद का दायरा दिनांक 13 मई 2024 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया ताकि कतिपय उत्पाद किस्मों को बाहर रखा जा सके। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित रूप में विचार किया है:

"विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड)" जिसे 55 से अधिक और 77 तक के-वैल्यू सहित सस्पेंशन पोलिमराइजेशन के जरिए विनिर्मित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में भी जाना जाता है।"

8. प्राधिकरण ने नोट किया है कि अन्य इच्छुक पक्षों ने सी-पीवीसी के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के विशेष ग्रेड को बाहर करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के लिए "विशेष ग्रेड" नाम की कोई चीज नहीं है। आयात डेटा के विश्लेषण और इच्छुक पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एपिग्रल ने पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के उन ग्रेडों का आयात किया है जिन्हें भारत में अन्य आयातकों (सी-पीवीसी के गैर-निर्माताओं) के साथ-साथ डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा भी पोस्ट पीओआई के दौरान आयात किया गया है।

9. प्राधिकारी ने नोट किया कि भारतीय मानक ब्यूरो ने सी-पीवीसी से संबंधित "आईएस 17988:2022" जारी किया है। उक्त मानक का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है।

"5.1 बेसिक रेजिन: सीपीवीसी रेजिन का निर्माण पीवीसी होमोपॉलीमर के क्लोरीनीकरण द्वारा किया जाता है जो आईएस 17658 की पुष्टि करता है"

प्राधिकारी ने नोट किया कि मानक सी-पीवीसी के निर्माण के लिए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के किसी विशेष ग्रेड का उल्लेख नहीं करता है।

10. प्राधिकारी ने नोट किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग के पास पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के निर्माण के लिए बीआईएस लाइसेंस है और यह बीआईएस मानकों में सूचीबद्ध विनिर्देशों के अनुसार विषयगत वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पाद के साथ आयातित उत्पाद की ग्रेडवार तुलना का साक्ष्य प्रदान किया है। यह नोट किया जाता है कि विषयगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों ने विषयगत देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन किया है।

11. रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार केवल डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के पास सीपीवीसी के विनिर्माण का लाइसेंस है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि उसने सीपीवीसी के निर्माण के लिए कैप्टिव रूप से उत्पादित विषयगत वस्तुओं का उपयोग किया है, साथ ही कई उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड का भी उपयोग किया है। इस प्रकार, यह अनंतिम रूप से नोट किया गया है कि सीपीवीसी के निर्माण के लिए विषयगत वस्तुओं के किसी विशिष्ट ग्रेड की कोई आवश्यकता नहीं है।

12. इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि घरेलू उद्योग सी-पीवीसी के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्रेड के समान वस्तु का निर्माण और आपूर्ति नहीं करता है, प्राधिकरण डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित नोट करता है:

"डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की प्रतिस्पर्धात्मक बढत बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने पर कच्चे माल के रूप में अपने स्वयं के एस-पीवीसी (सस्पेंशन पीवीसी) का उपयोग करने की इसकी क्षमता में निहित है। यह क्षमता सीपीवीसी

उत्पादन के लिए इनपुट की निरंतर गुणवत्ता और आपूर्ति की गारंटी देती है, जिससे बाजार में कंपनी की स्थिति और मजबूत होती है।”

इसलिए, यह अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग में सी-पीवीसी के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्रेड का निर्माण और आपूर्ति करने की क्षमता है।

13. इसके अलावा, प्राधिकरण ने नोट किया कि वर्तमान प्रारंभिक निष्कर्षों को जारी करने से पहले, एपिग्रल लिमिटेड ने बहिष्कार अनुरोध पर विचार करने के लिए चल रही जांच के खिलाफ माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। माननीय न्यायालय ने माना कि दायर की गई याचिका समय से पहले की थी, और तदनुसार खारिज कर दी गई।
14. प्राधिकरण ने नोट किया कि एपिग्रल लिमिटेड ने पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के कुछ ग्रेड को "विशेष ग्रेड" बताते हुए बाहर करने का अनुरोध किया है। एपिग्रल ने सी-पीवीसी के विनिर्माण के लिए आयातित विशेष ग्रेडों के बहिष्कार पर अपने अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। दावा की गई ऐसी गोपनीयता अत्यधिक है और इस प्रकार, घरेलू उद्योग सहित अन्य इच्छुक पक्षों को एपिग्रल द्वारा किए गए दावों का खंडन करने की अनुमति नहीं देती है। प्राधिकरण एपिग्रल को प्रस्तुतियों का एक उचित गोपनीय संस्करण साझा करने की सलाह दे रहा है जो इसे उचित रूप से समझने की अनुमति देता है। प्राधिकरण ऐसे प्रस्तुतियों के प्रचलन के पश्चात तथा उसके पश्चात घरेलू उद्योग से टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात एपिग्रल द्वारा अनुरोधित बहिष्करण के मुद्दे की जांच करने का इरादा रखता है।
15. इच्छुक पक्ष किसी भी ग्रेड के बहिष्करण की संभावित आवश्यकता के संबंध में आगे की जानकारी तथा साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। प्राधिकरण इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियों का अवसर प्रदान करने तथा मौखिक रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात अंतिम निर्धारण के उद्देश्य से एपिग्रल, घरेलू उद्योग तथा इच्छुक पक्षों द्वारा की गई सभी प्रस्तुतियों पर विचार करेगा।
16. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
 - i. अल्ट्रा-लो के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 55 तक)
 - ii. अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 77 से अधिक)
 - iii. क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी
 - iv. क्लोरीनेटेड पीवीसी (सीपीवीसी),
 - v. विनाइल क्लोराइड - विनाइल एसीटेट कॉपोलीमर (वीसी-वीएसी),
 - vi. पीवीसी पेस्ट रेजिन/इमल्शन रेजिन
 - vii. मास पॉलीमराइजेशन पीवीसी
 - viii. पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेजिन

इसके अलावा, इमल्शन पोलिमराइजेशन के जरिए उत्पादित पीवीसी रेजिन बल्क मास पोलिमराइजेशन के जरिए उत्पादित पीवीसी रेजिन और माइक्रो सस्पेंशन पोलिमराइजेशन प्रक्रिया के जरिए उत्पादित पीवीसी रेजिन भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

17. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन सस्पेंशन पोलिमराइजेशन तकनीक के प्रयोग से उत्पादित किया जाता है। संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए विनाइल क्लोराइड मोनोमर ("वीसीएम") को पोलिमराइजेशन प्रक्रिया के जरिए विनाइल पोलिमर में बदला जाता है। वीसीएम को या तो एथिलीन डाइक्लोराइड ("ईडीसी") के प्रयोग से या कैल्शियम

कार्बाइड ("कार्बाइड") के प्रयोग से उत्पादित किया जाता है। एथिलीन पद्धति और कार्बाइड पद्धति से उत्पादित पीवीसी इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच में पीसीएन की जरूरत के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वर्तमान जांच में पीसीएन की कोई जरूरत नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व में विभिन्न देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में अनेक जांचें हुई हैं। प्राधिकारी ने किसी भी पूर्ववर्ती जांच में किसी पीसीएन को नहीं अपनाया है।
19. ऐसे हितबद्ध पक्षकार जिन्होंने पीसीएन पद्धति को अपनाने का अनुरोध किया है, ने उन्हें के-वैल्यु और उत्पादन प्रक्रिया पर आधारित किया है। तथापि, विदेशी उत्पादकों ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं दी है कि अलग-अलग के-वैल्यु वाले उत्पादों के उत्पादन की लागत में कोई खास अंतर होता है। रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्पाद की लागत और कीमत विभिन्न के-वैल्यु के बीच ज्यादा अंतर वाली नहीं है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद की कीमत उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर भिन्न नहीं होती है, क्योंकि दोनों तरीकों से उत्पादित अंतिम उत्पाद समान होता है और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। तदनुसार, वर्तमान जांच में पीसीएन की कोई जरूरत नहीं है।
20. इस दलील के संबंध में कि कतिपय विदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पादित कतिपय ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने साक्ष्य दिए हैं कि वह 57 और 75.5 के-वैल्यु वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उत्पादन करता है। प्राधिकारी ने अल्ट्रा लो और अल्ट्रा हाई के-वैल्यु को बाहर रखा है, जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग नहीं करता है। अल्ट्रा लो के-वैल्यु और अल्ट्रा हाई के-वैल्यु वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रेडों को उक्त अपवर्जनों के साथ स्वतः बाहर रखा गया है।
21. विचाराधीन उत्पाद में शामिल के-वैल्यु की रेंज के भीतर आने वाले ग्रेडों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे ग्रेड के लिए समान वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई है और इसलिए ऐसे उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की जरूरत नहीं है।
22. ऑफ ग्रेड पीवीसी को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आफ ग्रेड उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है। आफ ग्रेड उत्पाद किसी उत्पादक द्वारा विशेष रूप से बाधित नहीं होते हैं, बल्कि किसी वस्तु की सामान्य उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम हैं। केवल इसलिए कि कोई उत्पाद आफ ग्रेड उत्पाद के रूप में बेचा गया है, का यह अर्थ नहीं है कि वह विचाराधीन उत्पाद नहीं है। इस संबंध में, यह भी नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने लगातार माना है कि केवल गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्णय करने में महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, आफ ग्रेड पीवीसी को बाहर रखने से पाटनरोधी शुल्क की प्रवृत्तना होने की संभावना है। किसी भी तरह हितबद्ध पक्षकारों ने आगे ऐसा दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि ये कमतर गुणवत्ता के ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं।
23. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसूची-1 के अध्याय 39 के अंतर्गत सीमा शुल्क वर्गीकरण 3904 10 20 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 10 10, 3904 22 00, 3904 90 10, 3904 90 90, 3904 30 00 और 3904 21 10 के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
24. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। यद्यपि संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल विनिर्माण प्रक्रिया / तकनीक अलग-अलग हैं। तथापि, अंतिम उत्पाद में तुलनीय विनिर्देशन हैं और उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से भारत में आयातित उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों के स्थान पर

प्रयोग करते हैं। इसके मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद को नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार भारत में आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

26. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

- i. यह आवेदन केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- ii. भारत में दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं अर्थात् फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं। अन्य घरेलू उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। इस प्रकार, ऐसे उत्पादकों को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने से अपात्र माना जाना चाहिए।
- iii. केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ईडीसी पद्धति के प्रयोग से संबद्ध वस्तु का उत्पादन करते हैं जबकि डीसीएम श्रीराम लिमिटेड कार्बाइड पद्धति के प्रयोग से संबद्ध वस्तु का उत्पादन करता है।
- iv. आवेदकों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों में किसी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।
- v. यदि अन्य घरेलू उत्पादकों को अपात्र माना जाए तो आवेदकों का भारत में समान वस्तु के उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
- vi. यदि अन्य घरेलू उत्पादकों को अपात्र नहीं समझा जाए तो तब भी आवेदकों का भारत में घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और इस प्रकार वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5 की अपेक्षा को पूरा करते हैं।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

28. वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए आवेदन केमप्लास्ट कुड्डालोर प्राइवेट लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने बताया है कि भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक हैं अर्थात् फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं। यह नोट किया गया है कि आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों में किसी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।

29. आवेदकों ने बताया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

तदनुसार, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों और आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोधों पर भरोसा किया है। चूंकि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के आयात में शामिल हैं, इसलिए प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ उन्हें अनंतिम रूप से अयोग्य माना है।

30. तदनुसार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि इस जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों का भारत में घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है और वे नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षा को पूरा करते हैं।
31. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यदि स्थिति के प्रयोजनार्थ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उत्पादन पर विचार किया जाए तब भी आवेदकों का भारत में घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और इस प्रकार वे नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षा को पूरा करते हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

32. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि वे बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य और आबद्ध खपत के लिए कीमत, पीबीआईटी, ब्याज और वित्त लागत, मूल्यहास और ऋण मुक्ति व्यय के लिए समग्र आंकड़ों और क्षतिरहित कीमत तथा सामान्य मूल्य की गणना को साझा करने में विफल रहे हैं।
- ii. आवेदकों ने बिक्री मात्रा, कीमत और मूल्य को दो अलग शीर्षों अर्थात् घरेलू बिक्री, एसएसआई और घरेलू बिक्री - एसएसआई से इतर के अंतर्गत देने में विफल रहे हैं।
- iii. घरेलू उद्योग ने उस उत्पादक का नाम नहीं बताया है जिसकी सूचना का प्रयोग चीन जन. गण. से इतर देशों की सामान्य मूल्य की गणना के लिए किया गया है।
- iv. घरेलू उद्योग ने संयंत्र के बंद होने के ब्यौरे की गोपनीय होने का दावा किया है जबकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के लिए जानकारी पहले ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।
- v. यद्यपि आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। तथापि, प्रपत्र IV-ए में आयातों की जानकारी दी गई है जिसके गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- vi. पाटनरोधी शुल्क की राशि जिस पर प्रभाव की गणना के लिए विचार किया गया है, को बताया नहीं गया है।
- vii. आवेदकों ने याचिका में पूरे वाक्य के गोपनीय होने का दावा किया है जिसके कारण अन्य हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुत सूचना को समझने में असमर्थ हैं।
- viii. घरेलू उद्योग ने आवेदन में जुटाई गई निधियों के ब्यौरे नहीं दिए हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

33. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. अनेक विदेशी उत्पादकों ने भारत में उनके उत्पाद का निर्यात करने वाले व्यापारियों और उत्पादकों के नामों के गोपनीय होने का दावा किया है।

- ii. अनेक उत्पादकों / निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, क्योंकि उन्होंने वितरण और विपणन चैनल तथा संबंधित कंपनियों के बारे में ब्यौरों और समायोजन के रूप में दावा किए गए खर्चों की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रिया और कच्ची सामग्री के नामों का प्रकटन नहीं किया है।
- iii. उत्पाद कैटेलाॅग और ब्रासर तथा बेचे गए उत्पादों की सूची जिसे उपभोक्ताओं के साथ नियमित रूप से साझा किया जाता है, गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- iv. अनेक पक्षकारों ने व्यापार सूचना 01/2013 के अनुसार गोपनीयता के लिए औचित्य प्रदान नहीं किया है।
- v. अनेक उत्पादकों और निर्यातकों ने कंपनी संबद्धताओं, शेयरधारिता और उनके द्वारा निर्यातित उत्पादों के उत्पादकों के नाम के गोपनीय होने का दावा किया है।
- vi. बीजक पश्चात छूटों के ब्यौरे और प्रकृति के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना 10/2013 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है।
- viii. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड ने संगठन चार्ट और संरचना नहीं बताई है जिससे घरेलू उद्योग उस कंपनी के कार्यकरण में चीन की सरकार के शामिल होने पर टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें। शेयरधारकों की सूची, कच्ची सामग्री और सुविधाओं को चीन में स्थित संबंधित या असंबंधित कंपनी से खरीदे जाने के ब्यौरे, कार्मिकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया और शासी कानूनों के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

35. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

36. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें।
37. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने कतिपय मापदंडों को साझा नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कतिपय मापदंड व्यापार सूचना संख्या 05/2021 के जरिए अधिसूचित अपेक्षाओं का हिस्सा नहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण सूचना नहीं बताने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ऐसी सूचना व्यापार स्वामित्व की प्रकृति की है और उसको बताने से बाजार में उसके हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसने प्रभावित कीमतों के अनुमान तथा आवेदकों द्वारा अन्य घरेलू उत्पादकों, उत्पाद के निर्यातकों तथा उपभोक्ताओं द्वारा रखे जा रहे मार्जिनों की जानकारी दी है। ऐसे औसत कीमत निर्धारण के प्रकटन से उपभोक्ता भी उनके द्वारा प्रदत्त कीमतों के बेंचमार्क के मुकाबले बाजार में औसत कीमत को जानने में सक्षम हो जाएंगे। अतः प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े उस तरीके और ढंग से हैं जिसमें इन्हें रिकार्ड में लिया गया था और उन्हें हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करना चाहिए।
- ii. आवेदकों को जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा विचार की गई जांच अवधि के लिए अद्यतन याचिका प्रस्तुत और परिचालित करनी चाहिए।
- iii. वर्तमान जांच की शुरूआत किसी आधार के बिना की गई है, क्योंकि आवेदकों ने पाटनरोधी जांच की शुरूआत की स्थिति को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- iv. आवेदक एंटी-डंपिंग ड्यूटी का अनुचित लाभ उठा रहे हैं क्योंकि उत्पाद लंबे समय से एंटी-डंपिंग ड्यूटी के अधीन है।
- v. जांच की लंबी अवधि का चयन करने की आवश्यकता है क्योंकि आधार वर्ष के दौरान पीवीसी की कीमतें कम थीं और कोविड-19 के कारण काफी बढ़ गई हैं। कीमतें 2023 में ही स्थिर हुई हैं।
- vi. भारत में घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान जांच शुरू होने के बाद अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

39. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्लेक्सकॉन्सिल के पास वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार बनने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वह निर्यातकों की एक एसोसिएशन है और आयातकों और प्रयोक्ताओं की नहीं और ऐसी एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को आयात आंकड़े शेयर करने चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आवेदन दायर करते समय अपनी बाजार आसूचना पर भरोसा किया है और आयात आंकड़ों का सारांश सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर किया गया है। उसका एक अगोपनीय सारांश सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर किया गया था। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आयात आंकड़ों के अगोपनीय अंश में प्रदत्त सूचना का खंडन करने के लिए कोई तर्कसंगत साक्ष्य नहीं दिया है।

41. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्णित जांच अवधि के आधार पर अद्यतन याचिका प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच अवधि के आधार पर अद्यतन आंकड़ें प्रस्तुत और परिचालित किए हैं। घरेलू उद्योग को जांच की शुरूआत के बाद अद्यतन याचिका प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई याचिका पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत दायर की जाती है। तथापि, एक बार जांच शुरू होने पर नियम 6 लागू हो जाता है जिसमें घरेलू उद्योग के लिए याचिका दायर करना अपेक्षित नहीं है। किसी भी तरह अद्यतन आंकड़े सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए हैं और इसलिए किसी पक्षकार के हित के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं हुआ है।
42. प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील में कोई सच्चाई नहीं लगती है कि वर्तमान जांच किसी आधार के बिना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके आवेदन में घरेलू उद्योग ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य की जांच करने के बाद ही प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरूआत की है।
43. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार सुधारात्मक उपायों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न जांचों में विषयगत वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है। प्रत्येक निष्कर्ष में, प्राधिकारी ने प्रासंगिक मापदंडों की जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निर्यातकों ने पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार में भाग लिया है। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है।
44. जांच की लंबी अवधि के चयन के संबंध में, प्राधिकारी ने नियमों और व्यापार नोटिसों के अनुसार जांच की अवधि का चयन किया है। चूंकि प्राधिकारी ने आधार वर्ष के साथ-साथ वर्ष-दर-वर्ष प्रदर्शन की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के साथ-साथ आयातों की भी जांच की है, इसलिए एक वर्ष की लंबी जांच अवधि का चयन करने से किसी भी इच्छुक पक्ष के हित को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
45. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा विषयगत वस्तुओं के विक्रय मूल्य में की गई वृद्धि को विषयगत वस्तुओं की विक्री लागत में परिवर्तन के आलोक में देखा जाना चाहिए। केवल विक्रय मूल्य में परिवर्तन ही यह दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि भारत में विषयगत वस्तुओं की डंपिंग से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचना बंद हो गया है।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन अधिक बताया गया है और निर्यातकों के वास्तविक आंकड़ों का प्रयोग सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण में होना चाहिए।
 - यद्यपि फ्रॉमोसा ताइवान फ्रॉमोसा यूएसए ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। तथापि, उसके संबंधित पक्षकार फारमोसा यूएसए ने जांच अवधि के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत को निर्यात नहीं किया है और इसलिए उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
 - चीन जन. गण. गैर- बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता है। चीन जन. गण. को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था मानने की प्रक्रिया 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होना निश्चित थी।
 - ईयू के विरुद्ध फास्टनर के मामले में अपीलिय निकाय की रिपोर्ट ने इस बात का प्रबल औचित्य बताया है कि चीन जन. गण. को स्वतः रूप से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

- v. समझौते को रखने के सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था मानने के दायित्व के अधीन है। चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि कोई देश 11 दिसंबर, 2016 के बाद चीन जन. गण. को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था नहीं मान सकता है। भारत के पास इससे अन्यथा करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
- vi सैंपलिंग को अंतिम स्तर पर अर्थात् जांच शुरूआत के 80 दिनों के बाद सूचित किया गया है, जो नियम पुस्तिका में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत है।
- vii. हितबद्ध पक्षकारों को सैंपलिंग अधिसूचना संबंधी टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है।
- viii. यूएसए के मामले में सैंपलिंग नहीं करने का कारण बताया जाए, क्योंकि जापान और यूएसए के लिए सैंपलिंग लेने के नीति में अंतर मनमाना है। यूएसए के बजाय जापान से उत्पादकों की सैंपलिंग नियम 17(3) के अंतर्गत दायित्व के विपरीत विवेकाधिकार को दर्शाता है।
- ix. सैंपलिंग नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि संबद्ध वस्तु में अनेक ग्रेड शामिल हैं जिनमें सभी का उत्पादन सभी उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है।
- x. अनेक संबद्ध देशों वाली पूर्ववर्ती जांच में सैंपलिंग नहीं की गई थी।
- xi. ताइवान, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और यूएसए से पीवीसी की निर्णायक समीक्षा जांच में केवल चीन जन. गण. से उत्पादकों के लिए सैंपलिंग की गई थी।
- xii. चूंकि निर्यातकों ने स्वेच्छा से उत्तर दिया है। इसलिए एडी नियमावली 1995 के नियम 17(3) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10.2 के अनुसार अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण पर विचार करना चाहिए। नियम 17(3) के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द "होगा" स्वैच्छिक प्रतिवादी के लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण की अनिवार्य अपेक्षा रखता है।
- xiii. तियानजिन और वानहुआ ग्रुप पर अलग मार्जिन के लिए सैंपल होना चाहिए, क्योंकि उनके पास भारतीय बाजार का काफी हिस्सा है और वे संबद्ध वस्तु के नियमित आपूर्तिकर्ता हैं और उनके निर्यात सैंपल किए गए निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों से तुलनीय हैं।
- xiv. तियानजिन और फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड 100 प्रतिशत एफडीआई कंपनियां हैं जबकि सैंपल की कंपनियों अलग हैं और वे बाजार अर्थव्यवस्था दशाओं में प्रचालन करती हैं। फारमोसा ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली का उत्तर भी दिया है।
- xv. वानहुआ ग्रुप का सैंपल लेना चाहिए, क्योंकि वह घरेलू उद्योग की तुलना में एथिलीन आधारित प्रक्रिया के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कीमत अधिक होती है और वह कमतर शुल्क के अधीन होगा।
- xvi. चीन जन. गण. के लिए अधिसूचित नमूना कंपनियां उत्तरी चाइना में स्थित हैं। यिबिन हाइफ्रेंग हेरुई कंपनी (अपने संबंधित व्यापारियों के साथ) दक्षिणी चाइना में स्थित है और अलग-अलग लागत और बिक्री कीमतों पर प्रचालन करती हैं। यूबिन हेरुई, यिबिन तियानयुआन और यिबिन तियानयुआन मटेरियल को नमूने में शामिल किया जाना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

47. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन जन. गण. को चीन एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार गैर- बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ii. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य [डीसीएम श्रीराम लिमिटेड] के उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।
- iii. अन्य संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य [केमप्लास्ट कुडालोर विनाइल्स लिमिटेड] की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।
- iv. आवेदकों ने कारखानाद्वारा निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और अंतर्देशीय भाड़ा के संबंध में समायोजन किए हैं।
- v. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
- vi. चीन से 28 उत्पादकों / निर्यातकों और जापान से 5 उत्पादकों / निर्यातकों ने हितबद्ध पक्षकार की सूची के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है जो अलग निर्धारण के अनुमति देने के लिए एक बड़ा अंक है।
- vii. कतिपय पक्षकारों द्वारा निर्यातों की कम मात्रा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उनका उत्पाद प्रोफाइल और निर्यात रूझान उत्पाद प्रोफाइल और समयावधि दोनों की दृष्टि से भारत में निर्यातों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- viii. पूर्व में चीन के उत्पादकों जिनकी जांच अवधि में नगण्य निर्यात मात्राएं थीं, ने अलग कमतर शुल्क प्राप्त करने के बाद पीईटी रेजिन मामले की तरह भारतीय बाजार को पाट दिया था।
- ix. सैंपलिंग में वैश्विक मानक अधिकांशतः 3 कंपनियों पर विचार करने का है:
 - क. भारत से सिरेमिक टाइल मामले में यूरोप ने मूल रूप से 3 कंपनियों पर विचार किया और सैंपलिंग के आकार को 4 कंपनियों तक बढ़ाने से संख्या 4 पर कंपनी से निम्नलिखित आक्रामक प्रतिनिधित्व होने के बावजूद इससे इंकार कर दिया।
 - ख. कनाडा से वुड पल्प मामले में एमओएफसीओएम ने संख्या 3 पर कंपनी के लिए पाटन मार्जिन के अलग निर्धारण से इंकार किया था। यद्यपि पहले 3 स्थानों की कंपनियां लगभग समान मात्रा में निर्यात कर रही थीं।
 - ग. सेरेमिक टाइल और सेनेटरी वेयर में जीसीसी ने दो कंपनियों को आरक्षित रखते हुए तीन कंपनियों का सैंपल लिया, क्योंकि वह जीसीसी की मानक प्रक्रिया है।
 - घ. यूएसए दो या उससे अधिक कंपनियों को अविधि सम्मत बोज़ मानता है। भारत से क्वाड सरफेस के मामले में विचारित 50 कंपनियों में से पाटन मार्जिन की जांच और निर्धारण न केवल दो कंपनियों के लिए हुआ, बल्कि इसका परिणाम अन्य तक विस्तृत हुआ था।
- x. स्वैच्छिक आधार पर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण का आधार नहीं हो सकता है।
- xi. उचित ग्रेड या विशेष उत्पाद के निर्यात सैंपल समूह में शामिल होने का आधार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी आपूर्ति से पता चलेगा कि कंपनी का उत्तर और आंकड़े प्रतिवादी कंपनियों और चीन जन. गण. से आयातों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी और उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई थी। प्रश्नावली के उत्तर के जवाब में निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने उत्तर दिए हैं:

- i. इनर मंगोलिया केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- ii. इनर मंगोलिया एडोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- iii. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड
- iv. फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन
- v. सिमोसा इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
- vi. इटोचू प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
- vii. इटोचू कॉर्पोरेशन
- viii. इटोचू (थाईलैंड) लिमिटेड
- ix. चाइना जनरल प्लास्टिक कॉर्पोरेशन
- x. सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन
- xi. ग्रैंड डिग्रिटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
- xii. वानहुआ केमिकल (फुज़ियान) कंपनी लिमिटेड
- xiii. वानहुआ पेट्रोकेमिकल (यंताई) कंपनी लिमिटेड
- xiv. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड
- xv. ग्रैंड डिग्रिटी
- xvi. चिपिंग ज़िनफ़ा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड
- xvii. चिपिंग ज़िनफ़ा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xviii. शेडोंग शिनफा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं, लिमिटेड
- xix. जियाली बायो ग्रुप (किंगदाओ) लिमिटेड
- xx. यू ज़िउ टेक्सटाइल्स कं, लिमिटेड
- xxi. झिंजियांग झोंगताई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं, लिमिटेड
- xxii. झोंग ताई इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एचके) लिमिटेड
- xxiii. झिंजियांग शेंगक्सियोंग क्लोर-अल्कली कं, लिमिटेड
- xxiv. गुआंगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कं, लिमिटेड
- xxv. शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कं, लिमिटेड
- xxvi. जोक इंटरनेशनल टेक्निकल इंजीनियरिंग कं, लिमिटेड

- xxvii. तियानजिन एलजी बोहाई केमिकल. कं. लिमिटेड
- xxviii. एलजी केम, लिमिटेड
- xxix. कैनको मार्केटिंग
- xxx. टीएस कॉर्पोरेशन
- xxxi. ऑर्डोस जुन्झेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
- xxxii. इनर मंगोलिया जुन्झेंग केमिकल इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
- xxxiii. शानक्सी बेयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी
- xxxiv. हेनान पुलिटे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड कं, लिमिटेड
- xxxv. केमडो ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- xxxvi. यूनाइटेड राँ मटेरियल प्रा. लि.
- xxxvii. कॉसमॉस वु लिमिटेड
- xxxviii. टुन वा इंडस्ट्रियल कं. लि.
- xxxix. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
- xl. कनेका कॉर्पोरेशन
- xli. शिन-एत्सु केमिकल कं. लि.
- xlii. ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन
- xliii. तोकुयामा कॉर्पोरेशन
- xliv. तोकुयामा सेकिसुई कं. लि.
- xlv. तोसोह निक्केमी कॉर्पोरेशन
- xlvi. मित्सुई एंड कं. लि.
- xlvii. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
- xlviii. आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्रा. लि.
- xlix. कनेमात्सु कॉर्पोरेशन
- I. मारुबेनी कॉर्पोरेशन
- ii. सोजित्ज़ एशिया प्रा. लि.
- iii. पीटी असाहिमास केमिकल
- liii. एजीसी विनीथाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी
- liv. जीसीएम पॉलिमर ट्रेडिंग डीएमसीसी कंपनी लिमिटेड

- lv. पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड
- lvi. थाई पॉलीइथिलीन कंपनी लिमिटेड
- lvii. थाई प्लास्टिक और केमिकल्स पीएलसी।
- lviii. क्रिंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड
- lix. सीएनएसआईजी जिल्टानी क्लोर - अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड
- lx. चाइना साल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- lxi. यिबिन हैफेंग हेरुई कंपनी लिमिटेड
- lxii. यिबिन तियानयुआन मैटेरियल्स इंडस्ट्री ग्रुप लिमिटेड
- lxiii. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- lxiv. तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट्स
- lxv. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- lxvi. हनवा कॉर्पोरेशन
- lxvii. स्टेवियन केमिकल जेएससी
- lxviii. सनशाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- lxix. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड

49. नियम 17 के प्रावधान के अनुसार यद्यपि प्राधिकारी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने वाले सभी उत्पादकों / निर्यातकों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे। तथापि, जहां प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने वाले उत्पादकों / निर्यातकों की संख्या काफी अधिक हो, वहां प्राधिकारी उत्पादकों की सीमित संख्या के उत्तर को सीमित करके सैंपलिंग का सहारा ले सकते हैं। इस संबंध में, नियमावली में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

17(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के अधीन वस्तु के संबंधित एक निर्यातक या उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगे:

बशर्ते कि ऐसे मामले जहां निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों या शामिल वस्तुओं के प्रकार की संख्या इतनी अधिक हो कि ऐसा निर्धारण करना अव्यवहार्य हो, तो वे अपने जांच परिणाम को या तो हितबद्ध पक्षकारों की तर्कसंगत संख्या या सांख्यिकी रूप से या चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकी रूप से वैध नमूनों के प्रयोग द्वारा वस्तुओं या जांच के अधीन देश से निर्यातों की मात्रा के सर्वाधिक प्रतिशत के लिए सैंपलिंग करेंगे जिनकी तर्कसंगत रूप से जांच की जा सकती है और इस परंतुक के अंतर्गत किया गया कोई चयन, निर्यातकों, उत्पादकों या वस्तुओं के प्रकारों का चयन संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों या आयातकों के साथ विचार-विमर्श करके और अधिमानतः उनकी सहमति से होगा।

बशर्ते यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी निर्यातक या उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगे। यद्यपि उसका आरंभ में चयन नहीं हुआ था, परंतु जो समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करता है। इसके बजाय कि जहां निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक हो कि अलग-अलग जांच अनावश्यक रूप से बोझ डालने वाली हो और जांच के समय पर समापन पर रोक लगाती हो।

50. उत्तरों की भारी संख्या को देखते हुए प्राधिकारी ने उत्पादकों की सैंपलिंग पर विचार किया। दिनांक 28 अगस्त 2024 की अधिसूचना द्वारा इसका प्रस्ताव किया गया था। विभिन्न पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद

नमूना उत्पादकों को दिनांक 23 सितंबर, 2024 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था। विचारित सैंपल भारत को निर्यातों की मात्रा पर आधारित था जिसमें उत्पादकों के पास निर्यातों की सबसे बड़ी मात्रा हो जिसे सैंपल के भाग के रूप में विचार में लिया जा रहा हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि केवल 3 उत्पादकों को नमूने में चुना गया है। तथापि, शुल्क निर्धारित किए जाने वाले उत्पादकों / निर्यातकों की संख्या काफी अधिक है।

51. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि सैंपलिंग पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय काफी कम था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को दो कार्य दिवसों की अनुमति दी गई थी। तथापि, समय बढ़ाने के लिए किसी पक्षकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।
52. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इस पर प्रश्न उठाया कि यूएसए के लिए किसी सैंपल का प्रस्ताव क्यों नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूएसए के मामले में केवल 3 उत्पादक समूहों (अर्थात् उत्पादक और उसके संबद्ध कंपनियों) ने उत्तर दिया है। अतः यूएसए के लिए सैंपलिंग का कोई कारण नहीं है।
53. इस आधार पर शामिल करने के अनुरोध के संबंध में कि कंपनी ने विशेष उत्पाद आपूर्ति किए हैं या नमूने का हिस्सा बनने वाले उत्पाद प्रोफ़ाइल को व्यापक होना चाहिए, प्राधिकरण ने नोट किया कि नियम 17(3) के तहत ऐसा कोई दायित्व नहीं है। प्राधिकरण ने नोट किया कि विशेष ग्रेड की आपूर्ति का तथ्य व्यक्तिगत निर्धारण के लिए ऐसी कंपनी को शामिल करने का औचित्य नहीं देता है। ऐसी स्थिति में जहां पीसीएन पद्धति को अपनाना आवश्यक नहीं माना गया था, आपूर्ति किए गए उत्पाद प्रकार के आधार पर किसी उत्पादक को नमूने के हिस्से के रूप में विचार करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, नियम प्राधिकरण को कुछ उत्पाद प्रकारों तक निर्धारण को सीमित करने की भी अनुमति देते हैं।
54. कुछ हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने अतीत में अन्य जांचों में बहुत अधिक संख्या में उत्पादकों या निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन का व्यक्तिगत निर्धारण किया है। हालांकि, यह तथ्य कि अतीत में बड़ी संख्या में उत्पादकों की जांच की गई थी, इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राधिकारी को वर्तमान मामले में नमूनाकरण का सहारा लेने से रोका गया है।
55. प्राधिकारी को इच्छुक पक्षों के इस तर्क में भी कोई दम नहीं लगता कि दायर स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं पर विचार करना और सभी निर्यातकों को एक व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन प्रदान करना अनिवार्य दायित्व है। नियम 17(3) और इसके प्रावधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राधिकारी जांच को समय पर पूरा करने के हित में, जहां आवश्यक हो, कुछ निर्यातकों तक ही जांच सीमित कर सकते हैं।
56. प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में भी कोई सच्चाई नहीं लगती है कि सभी निर्यातकों को अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने के लिए प्रस्तुत स्वैच्छिक उत्तरों पर विचार करने का अनिवार्य दायित्व है। नियम 17(3) और उसके परंतुक इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि प्राधिकारी ऐसे कतिपय निर्यातकों तक जांच को सीमित कर सकते हैं, जो जांच को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक हो।
57. फारमोसा के इस दावे के संबंध में कि वह एक 100 प्रतिशत एफडीआई कंपनी है और उसने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसके निर्यात जांच अवधि के दौरान भारत को सहयोगी उत्पादकों द्वारा उन निर्यातों का ***% प्रतिशत से कम हिस्सा है। अतः फारमोसा पर अलग जांच के लिए विचार करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार विचार किए जाने वाले नमूने के निर्धारण का आधार नहीं बन सकता है।
58. अंत में, भौगोलिक स्थिति के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि प्राधिकारी विचार किए जाने वाले उत्पादकों के उचित सैंपल के निर्धारण में निर्यातकों की भौगोलिक स्थिति पर विचार करेंगे। इसके विपरीत वैश्विक प्रक्रिया दर्शाती है कि निर्यातों की मात्रा उस सैंपल जिसके लिए मार्जिन निर्धारित करना है, के निर्धारण के लिए सभी न्यायशास्त्रों में जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपनाया जाने वाला मापदंड है।

59. पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और जापान से 3 उत्पादकों का उनके संबद्ध निर्यातकों के साथ जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यातों की मात्रा के सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर चयन किया है। चीन से प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उत्पादकों को सैंपल किया गया था:

- i. किंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड
- ii. तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iii. चिपिंग ज़िनफ़ा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

60. प्राधिकारी द्वारा जापान से निम्नलिखित उत्पादकों को सैंपल किया गया था:

- i. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड, जापान
- ii. कनेका कॉर्पोरेशन, जापान
- iii. ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन, जापान

छ.3.1 चीन के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

चीन के लिए सामान्य मूल्य

61. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सक्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

62. आवेदक ने चीन के अद्यतन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(i)(क) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि समान वस्तु का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदकों ने यह भी बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम न हो कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित करना चाहिए।
63. किसी भी नमूना उत्पादक ने वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

64. यद्यपि आवेदकों ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत सूचीबद्ध ऐसा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सकता हो।
65. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत के आधार पर या जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैरा 7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना आवश्यक है। किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या निर्मित मूल्य का कोई सबूत नहीं लाया गया है। वर्तमान जांच में विषय देशों के अलावा,

अन्य देशों से भारत में आयात मात्रा में कम है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

66. इसलिए, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण "भारत में वास्तव में देय मूल्य" के रूप में किया है, जैसा कि पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित किया गया है। इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसमें विक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

67. जैसा ऊपर बताया गया है। प्राधिकारी ने अलग-अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों पर विचार किया है:

क्र. सं.	उत्पादकों के नाम	संबद्ध/असंबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1.	क्रिगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड	केमडो ग्रुप कंपनी लिमिटेड चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड कॉसमांस वू लिमिटेड हनवा कॉर्पोरेशन इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड मारुबेनी कॉर्पोरेशन एसएआर ओवरसीज लिमिटेड टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड ट्रिकॉन एनर्जी लिमिटेड यूएसए यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड यू शियू टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड झेजियांग हेंगडियन (एचके) इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड सनशाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2.	टियांजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड कॉसमांस वू लिमिटेड हनवा कॉर्पोरेशन मारुबेनी कॉर्पोरेशन एसएआर ओवरसीज लिमिटेड स्टेवियन केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सन शाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड ट्रिकॉन एनर्जी लिमिटेड यू शिउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड

3.	चिपिंग जिनफ्रा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड	चेओन्गफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड कॉसमॉस वू लिमिटेड हनवा कॉर्पोरेशन इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जियाली बायो ग्रुप (क्रिंगदाओ) लिमिटेड एसएआर ओवरसीज लिमिटेड शांडोंग जिनफ्रा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं, लिमिटेड स्टेवियन केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टेक्सपो इंटरनेशनई लिमिटेड टुन वा इंडस्ट्रियल कं, लिमिटेड यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड यू ज़िउ टेक्सटाइल्स कं, लिमिटेड
----	--	--

क्रिंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

68. क्रिंगदाओ हैवान केमिकल कंपनी लिमिटेड (क्रिंगदाओ हैवान) विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने *** एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को सीधे और *** एमटी का असंबंधित निर्यातक के जरिए निर्यात किया है। शामिल कुल निर्यातकों में से केवल निम्नलिखित निर्यातकों ने क्रिंगदाओ हैवान द्वारा उत्पादित वस्तु के निर्यात के संबंध में उत्तर दिया है।

- i. केमडो ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ii. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- iii. कॉसमॉस वू लिमिटेड
- iv. हनवा कॉर्पोरेशन
- v. इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- vi. मारुबेनी कॉर्पोरेशन
- vii. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
- viii. सन शाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- ix. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड
- x. ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड यूएसए
- xi. यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड
- xii. यू शिउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड
- xiii. झेजियांग हेंगडियन (एचके) इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

69. यह नोट किया गया है कि झेजियांग हेंगडियन (एचके) इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर नहीं दिया है और केवल परिशिष्ट 3क प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, कुछ व्यापारियों ने, जिन्होंने क्रिगदाओ-हैवान से भारत को विषयगत वस्तुएं निर्यात की हैं, प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। प्राधिकरण ने प्रस्तुत सूचना के आधार पर ऐसे निर्यातों के लिए निर्यात मूल्य और पहुंच मूल्य का निर्धारण किया है। प्राधिकरण ने असंबद्ध व्यापारियों के लाभप्रदता विवरणों की जांच की है, तथा ऐसे मामलों में, जहां असंबद्ध निर्यातक ने घाटे पर माल पुनः बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।
70. तदनुसार, निर्यात कीमत को क्रिगदाओ हैवान द्वारा भारत को सीधे बिक्री या असंबंधित निर्यातक के जरिए बिक्री के लिए प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और बैंक प्रभारों के लिए यथा लागू असंबंधित निर्यातक के घाटे को जोड़ने के बाद समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत भारत में उपभोक्ता को अंतिम निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। तथापि, असहयोगी निर्यातक / व्यापारी के जरिए निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुंच कीमत निर्धारित की है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है।

टियांजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

71. टियांजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (तियानजिन बोहुआ) ने विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने *** एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को सीधे और *** एमटी का असंबंधित निर्यातक के जरिए निर्यात किया है। शामिल कुल निर्यातकों में से केवल निम्नलिखित निर्यातकों ने तियानजिन बोहुआ द्वारा उत्पादित वस्तु के निर्यात के संबंध में उत्तर दिया है।
- i. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
 - ii. कॉसमॉस वू लिमिटेड
 - iii. हनवा कॉर्पोरेशन
 - iv. मारुबेनी कॉर्पोरेशन
 - v. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
 - vi. स्टेवियन केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
 - vii. सन शाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
 - viii. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड
 - ix. ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड
 - x. यू शिउ टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड
72. यह नोट किया गया है कि कुछ व्यापारियों ने, जिन्होंने टियांजिन बोहुआ से भारत को विषयगत वस्तुओं का निर्यात किया है, प्राधिकरण के समक्ष सहयोग नहीं किया है। प्राधिकरण ने प्रस्तुत सूचना के आधार पर ऐसे निर्यातों के लिए निर्यात मूल्य और पहुंच मूल्य निर्धारित किया है। प्राधिकरण ने असंबंधित व्यापारियों के लाभप्रदता विवरणों की जांच की है, और ऐसे मामलों में, जहां किसी असंबंधित निर्यातक ने घाटे में माल को फिर से बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।

73. तदनुसार, निर्यात कीमत को तियानजिन बोहुआ द्वारा भारत को सीधे बिक्री या असंबंधित निर्यातक के जरिए बिक्री के लिए प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, और पत्तन संबंधी तथा अन्य संबंधित व्यय के लिए यथा लागू असंबंधित निर्यातक के घाटे को जोड़ने के बाद समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत भारत में उपभोक्ता को अंतिम निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के जरिए निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुंच कीमत निर्धारित की है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

चिपिंग जिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

74. चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड (चिपिंग शिनफा) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है और उसने भारत को *** मीट्रिक टन विषयगत वस्तुओं का सीधे निर्यात किया है और शेष एक संबंधित निर्यातक, अर्थात् शांदोंग शिनफा आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड और 49 असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया है। हालाँकि, इनमें से केवल निम्नलिखित निर्यातकों ने चिपिंग शिनफा द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के संबंध में प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है।

i. चेओंगफुली (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड

ii. कॉसमॉस वु लिमिटेड

iii. हनवा कॉर्पोरेशन

iv. इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

v. जियाली बायो ग्रुप (किंगदाओ) लिमिटेड

vi. एसएआर ओवरसीज लिमिटेड

vii. शेडोंग शिनफा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं, लिमिटेड (संबंधित)

viii. स्टेवियन केमिकल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी

ix. टेक्सपो इंटरनेशनई लिमिटेड

x. टुन वा इंडस्ट्रियल कं, लिमिटेड

xi. यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड

xii. यू शिउ टेक्सटाइल्स कं, लिमिटेड

xiii. झेजियांग हेंगडियन (एचके) इंपोर्ट. एंड एक्सपोर्ट. कं, लिमिटेड

75. यह देखा गया है कि चिपिंग शिनफा से भारत को विषयगत वस्तुओं का निर्यात करने वाले कुछ व्यापारियों ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी ने प्रस्तुत सूचना के आधार पर ऐसे निर्यातों के लिए निर्यात मूल्य और उतराई मूल्य निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने असंबंधित व्यापारियों के लाभप्रदता विवरणों की जांच की है, और ऐसे मामलों में, जहां किसी असंबंधित निर्यातक ने घाटे में माल को फिर से बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।

76. तदनुसार, निर्यात कीमत को चिपिंग शिनफा द्वारा भारत को सीधे बिक्री या असंबंधित निर्यातक के जरिए बिक्री के लिए प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन संबंधी तथा अन्य संबंधित व्यय और ऋण लागत के लिए यथा लागू असंबंधित

निर्यातक के घाटे को जोड़ने के बाद समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत भारत में उपभोक्ता को अंतिम निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के जरिए निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुंच कीमत निर्धारित की है। जहां उत्पादक द्वारा सूचित मात्रा निर्यातक द्वारा सूचित मात्रा से मेल नहीं खाती है, वहां ऐसी मात्रा के लिए पहुंच कीमत और निर्यात कीमत भी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

77. जांच अवधि के दौरान चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** मीट्रिक टन विषयगत माल बेचा है। जिसमें से उत्पादक/निर्यातक ने *** मीट्रिक टन सीधे भारत को बेचा है और शेष को अप्रत्यक्ष रूप से एक असंबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् यू शियू टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया गया है। उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात मूल्य को फैक्ट्री स्तर पर निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के खातों पर समायोजन का दावा किया है, जैसा कि नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में दिखाया गया है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

चीन जन.गण. के लिए अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों हेतु

78. सभी अन्य सहयोगी गैर नमूना उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन सहयोगी नमूना उत्पादकों के लिए भारत औसत मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऐसे अन्य सभी उत्पादकों / निर्यातकों जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2 इंडोनेशिया में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

पीटी असाहिमास केमिकल के लिए सामान्य मूल्य

79. पीटी असाहिमास केमिकल (असाहिमास) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत में *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों को निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां लाभ पर की गई थीं। इसलिए सामान्य मूल्य औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। असाहिमास ने कमीशन, मालाभाडा लागत, बीमा, भंडार लागत लाइसेंस शुल्क, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ दावा किए गए समायोजनों की अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार असाहिमास के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से परिकलित किया गया है, जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

पीटी टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स के लिए सामान्य मूल्य

80. पीटी टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स (टीपीसी) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत में *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों को निर्धारित करने

के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूंकि 80 प्रतिशत से कम बिक्रियां लाभ पर की गई थीं। इसलिए सामान्य मूल्य लाभप्रद बिक्रियों कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। टीपीसी ने मालाभाडा लागत, बीमा, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ दावा किए गए समायोजनों की अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार टीपीसी के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से परिकलित किया गया है, जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

इंडोनेशिया में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

81. इंडोनेशिया के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत

पीटी असाहिमास केमिकल के लिए निर्यात कीमत

82. असाहिमास ने निम्नलिखित तीन असंबंधित निर्यातकों के जरिए भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

असाहिमास → आईवीआईसीटी (सिंगापुर) प्रा. लि. → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

असाहिमास → इटोचू (थाईलैंड) लि. → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

असाहिमास → मारुबेनी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

प्राधिकारी ने इस बात की जांच और पुष्टि भी की है कि असंबंधित निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद को लाभ पर पुनः बेचा है।

83. तदनुसार, असंबंधित निर्यातकों को बिक्रियों के लिए पीटी असाहिमास केमिकल द्वारा प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए कमीशन, समुद्री भाडा, अंतर्देशीय भाडा, बीमा, लाइसेंस शुल्क, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत को भारत में उपभोक्ता को अंतिम निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

पीटी टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स के लिए निर्यात कीमत

84. टीपीसी ने भारत को सीधे *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। बिक्रियों के लिए टीपीसी द्वारा प्रभारित कीमत पर निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु विचार किया गया है। कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाडा, अंतर्देशीय भाडा, बीमा, संभलाई प्रभार, पैकिंग लागत, कमीशन, बैंक प्रभार, ऋण लागत और अन्य व्यय के लिए समायोजन किए गए हैं। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

इंडोनेशिया में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

85. इंडोनेशिया के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.3 जापान में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

जापान के लिए सामान्य मूल्य

86. जैसा ऊपर उल्लेख है, प्राधिकरण ने व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित उत्पादकों का नमूना लिया है।

क्र.सं.	उत्पादकों के नाम	संबद्ध/असंबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1.	शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड	इटोचू कॉर्पोरेशन मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
2.	कनेका कॉर्पोरेशन	इटोचू कॉर्पोरेशन कनेमात्सू कॉर्पोरेशन मारुबेनी कॉर्पोरेशन मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
3.	ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन	इटोचू कॉर्पोरेशन कनेमात्सू कॉर्पोरेशन मारुबेनी कॉर्पोरेशन मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, सोजित्ज़ कॉर्पोरेशन टोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड

कनेका कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

87. कनेका कॉर्पोरेशन (कनेका) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। कनेका ने घरेलू बाजार में संबंधित कंपनियों तथा टोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड से सेकिसुई केमिकल के साथ स्वैप करार के अंतर्गत संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या ऐसे सौदे दूरस्थ आधार पर किए गए थे और उन्हें दूरस्थ कीमतों पर पाए जाने की स्थिति में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के बाहर के सौदों को अलग रखा गया था। ऐसे सौदों को बाहर रखने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं।
88. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां लाभ पर की गई थीं इसलिए सामान्य मूल्य औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। कनेका ने छूटों, मालभाड़ा लागत, भंडार लागत, कमीशन और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार, कनेका के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से परिकलित किया गया है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

89. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड (एसईसीएल) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। तथापि, एसईसीएल ने घरेलू बाजार में संबंधित कंपनियों तथा टोकुयामा सेकिसुई कंपनी लिमिटेड से सेकिसुई केमिकल के साथ स्वैप करार के

अंतर्गत संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या ऐसे सौदे दूरस्थ आधार पर किए गए थे और उन्हें दूरस्थ कीमतों पर पाए जाने की स्थिति में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के बाहर के सौदों को अलग रखा गया था। ऐसे सौदों को बाहर रखने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं।

90. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां लाभ पर की गई थीं इसलिए सामान्य मूल्य औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। एसईसीएल ने छूटों, ऋण नोट, मालभाड़ा लागत, बीमा, संभलाई प्रभार, भंडार लागत, पैकिंग लागत और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार, एसईसीएल के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से परिकलित किया गया है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

91. ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन (ताइयो विनाइल) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। ताइयो विनाइल जापान में संबद्ध वस्तु के एक अन्य उत्पादक अर्थात् टोकुयामा सेकिसुई केमिकल कंपनी लिमिटेड (टोकुयामा) से संबद्ध है। टोकुयामा ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। तथापि, भारत को सभी निर्यात उसकी संबद्ध कंपनी सेकिसुई केमिकल कंपनी लिमिटेड के जरिए किए गए थे जिसने जांच में भाग में नहीं लिया है। वितरण श्रृंखला बनाने वाली सभी संबद्ध कंपनियों द्वारा सहयोग के अभाव में प्राधिकारी अनंतिम रूप से पाते हैं कि ताइयो विनाइल के लिए कोई अलग शुल्क दर निर्धारित नहीं की जा सकती है।

जापान में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

92. सभी अन्य सहयोगी गैर नमूना उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन सहयोगी नमूना उत्पादकों के लिए भारित औसत मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऐसे अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जापान के लिए निर्यात कीमत

कनेका कॉर्पोरेशन के लिए निर्यात कीमत

93. कनेका ने *** एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को सीधे और *** एमटी का निम्नलिखित पांच असंबंधित निर्यातकों के जरिए निर्यात किया है।

कनेका → इटोचू कॉर्पोरेशन → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

कनेका → कनेमात्सु कॉर्पोरेशन → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

कनेका → मारुबेनी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

कनेका → मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

कनेका → मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

प्राधिकारी इस बात की जांच और पुष्टि करते हैं कि असंबंधित निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद को पुनः बेचा है, जहां किसी असंबंधित निर्यातक ने घाटे पर वस्तुओं को बेचा है, वहां ऐसे निर्यातक का घाटा समायोजित किया गया है।

94. तदनुसार, निर्यात कीमत को भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को बिक्री और असंबंधित निर्यातकों के जरिए बिक्री के लिए कनेका द्वारा प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु यथा लागू असंबंधित निर्यातक के घाटे को जोड़ने के बाद समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत को भारत में उपभोक्ता के लिए अंतिम निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

95. एसईसीएल ने निम्नलिखित दो असंबंधित निर्यातकों के जरिए *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
 एसईसीएल → इटोचू कॉर्पोरेशन → भारत में असंबंधित उपभोक्ता
 एसईसीएल → मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन → भारत में असंबंधित उपभोक्ता
 प्राधिकारी इस बात की जांच और पुष्टि भी करते हैं कि असंबंधित निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद को पुनः बेचा है, जहां किसी असंबंधित निर्यातक ने घाटे पर वस्तुओं को पुनः बेचा है, वहां ऐसे निर्यातक का घाटा समायोजित किया गया है।

96. तदनुसार, निर्यात कीमत को भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को बिक्री और असंबंधित निर्यातकों के जरिए बिक्री के लिए एसईसीएल द्वारा प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु यथा लागू असंबंधित निर्यातक के घाटे को जोड़ने के बाद समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत को भारत में उपभोक्ता के लिए अंतिम निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

जापान में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

97. सभी अन्य सहयोगी गैर नमूना उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन सहयोगी नमूना उत्पादकों के लिए भारित औसत मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऐसे अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटिन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.4 कोरिया गणराज्य में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

एलजी केम लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

98. एलजी केम लिमिटेड (एलजी) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूंकि 20 प्रतिशत से कम बिक्रियां लाभ पर की गई थीं इसलिए सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग करने के बाद उसके आधार पर निर्धारित किया गया है। एलजी के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से परिकलित किया गया है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

हनवा सोल्यूशंस कॉरपोरेशन, कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य

99. हनवा सोल्यूशंस कॉरपोरेशन (एचएससी) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन विषयगत वस्तुओं की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को *** मीट्रिक टन विषयगत वस्तुओं का निर्यात किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विषयगत वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य क्रम आयोजित किया है। चूंकि 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए घाटे वाले लेनदेन को हटाने के बाद सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और सामान्य मूल्य की गणना के लिए केवल लाभ कमाने वाले लेनदेन पर विचार किया गया है। एचएससी के लिए एक्स-फैक्ट्री स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से गणना की गई है जैसा कि नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

कोरिया गणराज्य में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

100. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत**एलजी केम लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत**

101. एलजी ने *** एमटी संबद्ध वस्तु का सीधे और निम्नलिखित दो असंबंधित निर्यातकों के जरिए *** एमटी का निर्यात किया है।
एलजी → कैन्को मार्केटिंग → भारत में असंबंधित उपभोक्ता
एलजी → टीएस कॉर्पोरेशन → भारत में असंबंधित उपभोक्ता
प्राधिकरण ने असंबद्ध व्यापारियों के लाभप्रदता विवरणों की जांच की है, तथा ऐसे मामलों में, जहां असंबद्ध निर्यातक ने घाटे पर माल को पुनः बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।
102. तदनुसार, निर्यात कीमत को भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को बिक्री और असंबंधित निर्यातकों के जरिए बिक्री के लिए एलजी द्वारा प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, पत्तन व्यय, पैकिंग लागत, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वारा कीमत ज्ञात करने हेतु यथा लागू असंबंधित निर्यातक के घाटे को जोड़ने के बाद समायोजन किए गए हैं। उत्पादक ने शुल्क ड्रॉ-बैक के लिए भी समायोजन का दावा किया है। तथापि, उसकी अनुमति नहीं दी गई है। पहुंच कीमत को भारत में उपभोक्ता के लिए अंतिम निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

हनवा सोल्यूशंस कॉरपोरेशन, कोरिया आरपी के लिए निर्यात मूल्य

103. एचएससी ने *** मीट्रिक टन विषयगत वस्तुओं का सीधे निर्यात किया है तथा ***मीट्रिक टन एक संबंधित निर्यातक और तीन असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया है, जो इस प्रकार हैं:
एचएससी - हनवा कॉरपोरेशन (संबंधित) - भारत में असंबंधित ग्राहक
एचएससी - एन एच इंटरनेशनल (असंबंधित) - भारत में असंबंधित ग्राहक
एचएससी - ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड (असंबंधित) - भारत में असंबंधित ग्राहक
एचएससी - इटोचू प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (असंबंधित) - भारत में असंबंधित ग्राहक
प्राधिकरण ने असंबद्ध व्यापारियों के लाभप्रदता विवरणों की जांच की है, तथा ऐसे मामलों में, जहां असंबद्ध निर्यातक ने घाटे पर माल को पुनः बेचा है, ऐसे निर्यातक के घाटे को समायोजित किया गया है।

104. तदनुसार, निर्यात कीमत को भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को बिक्री और असंबंधित निर्यातकों के जरिए बिक्री के लिए एचएससी द्वारा प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, पत्तन व्यय, पैकिंग लागत, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए कारखानाद्वारा कीमत ज्ञात करने हेतु यथा लागू असंबंधित निर्यातक के घाटे को जोड़ने के बाद समायोजन किए गए हैं। उत्पादक ने शुल्क ड्रॉ-बैक के लिए भी समायोजन का दावा किया है। तथापि, उसकी अनुमति नहीं दी गई है। पहुंच कीमत को भारत में उपभोक्ता के लिए अंतिम निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

कोरिया गणराज्य में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

105. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.5 ताइवान में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

चाइना जनरल प्लास्टिक कॉर्पोरेशन और सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

106. चाइना जनरल प्लास्टिक कॉर्पोरेशन (सीजीपीसी) और सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन (सीजीपीसीपी) ताइवान में संबद्ध वस्तु के संबंधित उत्पादक हैं। जांच अवधि के दौरान सीजीपीसी ने *** एमटी संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री की है जबकि भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। सीजीपीसीपी ने जांच अवधि के दौरान *** एमटी संबद्ध वस्तु को घरेलू बाजार में बेचा है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। तथापि, सीजीपीसीपी ने संबद्ध पक्षकारों को थोड़ी मात्रा में वस्तु की बिक्री की है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या ऐसे सौदे दूरस्थ आधार पर किए गए थे और पाया कि संबद्ध कंपनियों को बिक्रियों की कीमत असंबद्ध पक्षकारों को बिक्री की कीमत से वास्तविक रूप से अलग नहीं थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं।
107. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूंकि 20 प्रतिशत से कम बिक्रियां लाभ पर की गई थीं इसलिए सामान्य मूल्य उत्पादन लागत और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के आधार पर निर्धारित किया गया है। चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां सीजीपीसीपी द्वारा लाभ पर की गई हैं। इसलिए सामान्य मूल्य औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। सीजीपीसी और सीजीपीसीपी ने अंतर्देशीय भाड़े, पैकिंग लागत, बैंक प्रभार और तकनीकी सहायता विभाग की लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, सीजीपीसी और सीजीपीसीपी के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर भारित सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से परिकल्पित किया गया है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

108. फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन (फॉर्मोसा) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। तथापि, फॉर्मोसा ने घरेलू बाजार में संबंधित कंपनियों को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या ऐसे सौदे दूरस्थ आधार पर किए गए थे और उन्हें दूरस्थ कीमतों पर पाए जाने की स्थिति में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के बाहर के सौदों को अलग रखा गया था। ऐसे सौदों को बाहर रखने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं।

109. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां लाभ पर की गई थीं इसलिए सामान्य मूल्य औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। फार्मोसा ने अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिंग लागत और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार, फार्मोसा के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से परिकलित किया गया है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

ओसन प्लास्टिक कं, लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

110. ओसन प्लास्टिक कं, लिमिटेड (ओपीसी) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है जबकि उसने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। चूंकि 20 प्रतिशत से कम बिक्रियां लाभ पर की गई थीं इसलिए सामान्य मूल्य, लागत में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग करने के बाद उसके आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार ओपीसी के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से परिकलित किया गया है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

ताइवान में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

111. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ताइवान के लिए निर्यात कीमत

चाइना जनरल प्लास्टिक कॉर्पोरेशन और सीजीपीसी पॉलिमर कॉर्पोरेशन के लिए निर्यात कीमत

112. सीजीपीसी ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसमें से *** एमटी सीधे निर्यात की गई थी जबकि शेष को निम्नलिखित तीन असंबंधित निर्यातकों के जरिए निर्यात किया गया था।

सीजीपीसी → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

सीजीपीसी → ग्रैंड डिग्रिटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

सीजीपीसी → मैग्रेट मर्चेट लिमिटेड → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

उक्त में से मैग्रेट मर्चेट लिमिटेड ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है। तथापि, निर्यातक का सीजीपीसी के कुल निर्यातों में मामूली हिस्सा बनता है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच और पुष्टि की है कि असंबंधित निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद को पुनः बेचा है।

113. सीजीपीसीपी ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसमें से *** एमटी सीधे निर्यात की गई थी जबकि शेष को निम्नलिखित चार असंबंधित निर्यातकों के जरिए निर्यात किया गया था।

सीजीपीसीपी → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

सीजीपीसीपी → ग्रैंड डिग्रिटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

सीजीपीसीपी → सन शाइन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

सीजीपीसीपी → अल कनूज एंटरप्राइज एलएलसी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

उक्त में से अल कनूज़ एंटरप्राइज एलएलसी ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा, ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड ने भाग लिया है, निर्यातक द्वारा सूचित मात्रा उत्पादक द्वारा सूचित मात्रा से मेल नहीं खाती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सीजीपीसीपी द्वारा निर्यातित मात्रा के अनुसार ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड के उत्तर पर विचार नहीं किया है। तथापि, दोनों निर्यातकों का सीजीपीसीपी के कुल निर्यातों में मामूली हिस्सा बनता है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच और पुष्टि की है कि असंबंधित निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद को पुनः बेचा है।

114. तदनुसार, निर्यात कीमत सीजीपीसीपी और सीजीपीसीपी द्वारा भारत में असंबंधित निर्यातकों उपभोक्ताओं को बिक्री और असंबंधित निर्यातकों के जरिए बिक्री के लिए प्रभारित बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। ब्रूट, समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, पत्तन और संभलाई प्रभार, बंदरगाह सेवा शुल्क, व्यापार संवर्धन शुल्क, कम सल्फर अधिभार, पैकिंग लागत, कमीशन और बैंक प्रभार के लिए कारखानाद्वारा कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं। उत्पादक ने मात्रा में अंतर के लिए भी समायोजन का दावा किया है। तथापि, दावे का सत्यापन होने तक निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से ऐसे समायोजन की अनुमति नहीं दी है। पहुंच कीमत भारत में उपभोक्ता को अंतिम निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के जरिए निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुंच कीमत निर्धारित की है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

फारमोसा कारपोरेशन लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

115. फोरमोसा ने भारत को सीधे ही संबद्ध सामानों का ***एमटी और निम्नलिखित चार असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से ***एमटी का निर्यात किया है।

फोरमोसा→सिमोसा इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

फोरमोसा→ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

फोरमोसा→रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

फोरमोसा→रेनुका एजेंसीज लिमिटेड→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

तथापि, उपर्युक्त में से रिलायंस इंटरनेशनल लिमिटेड और रेनुका एजेंसीज लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ भाग नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात की गई सूचित मात्रा निर्यातक द्वारा सूचित मात्रा का तुरंत समाधान नहीं करती, और इस प्रकार, निर्यातक को सहयोगी नहीं माना गया था। असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात फोरमोसा द्वारा कुल निर्यातों के संबंध में नगण्य है। प्राधिकारी ने भी जांच की और पुष्ट किया कि सहयोगी असंबद्ध निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुनः बिक्री की है।

116. तदनुसार, निर्यात कीमत भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बिक्री के लिए फोरमोसा द्वारा लगाई गई बिक्री कीमत के लिए और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यातकों के लिए बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, कमीशन और दस्तावेज शुल्क, हार्बर सेवा शुल्क, व्यापार संवर्धन शुल्क, एलसी निगोशिएशन ब्याज, पैकिंग लागत, कमीशन, बैंक प्रभारों और कारखानागत कीमत निकालने के लिए ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। उत्पादक ने मात्रा में अंतरों के लिए समायोजन का भी दावा किया है। तथापि, दावे का सत्यापन होने तक निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से ऐसे समायोजन की अनुमति नहीं दी है। पहुंच कीमत भारत में ग्राहक को अंतिम निर्यातक द्वारा लगाई गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर

निर्यात कीमत और पहुंच कीमत निर्धारित की है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

ओसियन प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

117. ओपीसी ने जांच की अवधि के दौरान सीधे ही भारत को ***एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। तदनुसार, निर्यात कीमत भारत में असंबद्ध ग्राहकों को ओपीसी द्वारा बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, पत्तन और अन्य संबद्ध खर्च तथा कारखानागत कीमत निकालने के लिए ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत भारत में ग्राहक पर लगाई गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

ताइवान में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

118. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

छ.3.6 थाइलैंड में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

एजीसी विनथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

119. एजीसी विनथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एजीसी) ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में ***एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की, जबकि उसने भारत को ***एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की है। चूंकि 80% बिक्री से कम लाभ पर की गई थी, अतः सामान्य मूल्य लाभप्रद बिक्री की कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। एजीसी ने छूट, ऋण पत्र, डेबिट नोट, अंतरदेशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, बैंक प्रभारों और ऋण लागत के निमित्त कीमत समायोजन का दावा किया है। दावे किए गए समायोजनों की वर्तमान प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार, एजीसी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखितानुसार अनंतिम रूप से प्रकलित किया गया है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

थाई प्लास्टिक्स एंड कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

120. थाई प्लास्टिक्स एंड कंपनी लिमिटेड (टीपीसी) ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में ***एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को ***एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। टीपीसी ने घरेलू बाजार में संबद्ध कंपनियों को संबद्ध सामानों की बिक्री की है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या ऐसे लेन-देन निकटता के आधार पर किए गए थे और पाया कि संबद्ध कंपनियों को बिक्री आसपास की कीमतों पर की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार की साधारण प्रक्रिया में घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों के साथ तुलना करने पर अपर्याप्त मात्रा में है।
121. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की है। चूंकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, अतः सामान्य मूल्य औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। टीपीसी ने भाड़ा लागत, ऋण लागत और अन्य खर्चों के निमित्त कीमत समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की वर्तमान प्राथमिक जांच परिणामों के लिए अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार, टीपीसी

के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखितानुसार अनंतिम रूप से परिकल्पित किया गया है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

थाइलैंड में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

122. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

थाइलैंड के लिए निर्यात कीमत

एजीसी विनथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

123. एजीसी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को ***एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। इसमें से *** एमटी का सीधे ही निर्यात किया गया है जबकि शेष का निर्यात निम्नलिखित चार निर्यातकों के माध्यम से किया गया है।
 एजीसी → मारुबेनी कारपोरेशन (असंबद्ध) → भारत में असंबद्ध ग्राहक
 एजीसी → मित्सुई एंड कंपनी (असंबद्ध) → भारत में असंबद्ध ग्राहक
 एजीसी → जीसीएम पोलिमर ट्रेडिंग डीएमसीसी (संबद्ध) → भारत में असंबद्ध ग्राहक
 एजीसी → पीटीटी ग्लोबल केमिकल पीसीएल (संबद्ध) → भारत में असंबद्ध ग्राहक
 प्राधिकारी ने यह भी जांच की और पुष्ट किया कि असंबद्ध निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पाद की पुनर्विक्री की है।

124. एजीसी द्वारा सीधी बिक्री और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से बिक्री के लिए, निर्यात कीमत असंबद्ध ग्राहक से बिक्री के लिए एजीसी द्वारा लगाई गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। तथापि, संबद्ध निर्यातक द्वारा की गई बिक्री के मामले में निर्यात कीमत असंबद्ध ग्राहक को बिक्री के लिए संबद्ध निर्यातक द्वारा लगाई गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, भंडारण लागत, पैकिंग लागत, कमीशन, बैंक प्रभार और कारखानागत कीमत निकालने के लिए ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत भारत में ग्राहक को अंतिम निर्यातक द्वारा लगाई गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। अंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

थाई प्लास्टिक्स एंड कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

125. टीपीसी ने अपने संबद्ध व्यापारी प्लास्टिक्स एंड कंपनी लिमिटेड (टीपीई) के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत को ***एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। इसमें से, टीपीई ने ***एमटी सीधे ही और शेष निम्नलिखित तीन असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया है।

टीपीसी → टीपीई → सार ओवरसीज लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

टीपीसी → टीपीई → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

टीपीसी → टीपीई → टुन वा इंडस्ट्रियल कं. लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

टुन वा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। तथापि, टुन वा के माध्यम से निर्यात टीपीसी द्वारा कुल निर्यातों के संबंध में नगण्य है। प्राधिकारी ने जांच भी की और पुष्ट भी किया कि असंबद्ध निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद की लाभ पर पुनः बिक्री की है।

126. भारत को टीपीई द्वारा सीधे ही और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से की गई बिक्री के लिए निर्यात कीमत, संबद्ध निर्यातक, टीपीई द्वारा असंबद्ध ग्राहक को बिक्री के लिए लगाई गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, पैकिंग लागत, कमीशन, बैंक प्रभार, ऋण लागत और

कारखानागत कीमत निकालने के लिए अन्य खर्चों के लिए समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत भारत में ग्राहक को अंतिम निर्यातक द्वारा लगाई गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। तथापि, असयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुंच कीमत निर्धारित की है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

थाइलैंड में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

127. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

छ.3.7 संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य

ऑक्सी विनाइल्स, एल.पी. के लिए सामान्य मूल्य

128. प्राधिकरण ने पाया कि कंपनी ने घरेलू बिक्री और भारत को निर्यात बिक्री के संबंध में महीनेवार सारांश जानकारी प्रदान की है। प्राधिकरण को व्यापार परीक्षण के सामान्य क्रम को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए लेनदेन-वार घरेलू बिक्री जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। लेनदेन-वार जानकारी के अभाव में, प्राधिकरण सामान्य मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ है। चूंकि कंपनी निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तरीके से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में विफल रही है, इसलिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया को बहुत कम माना जाता है और इस प्रकार, प्राधिकरण ऑक्सी विनाइल्स, एल.पी. द्वारा दायर प्रतिक्रिया को स्वीकार करने में असमर्थ है और ऑक्सी विनाइल्स, एल.पी. के लिए कोई अलग डंपिंग और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

शिनटेक, इंक. के लिए सामान्य मूल्य

129. शिनटेक, इंक. (शिनटेक) ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में ***एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है जबकि उसने भारत को ***एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। शिनटेक ने घरेलू बाजार में संबद्ध कंपनियों को संबद्ध सामानों की बिक्री की है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या ये लेन-देन आसपास के आधार पर किए गए थे और पाया कि संबद्ध कंपनियों को बिक्री आसपास की कीमतों पर की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों से तुलना करने पर पर्याप्त मात्रा में है।
130. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की साधारण प्रक्रिया की है। चूंकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, अतः सामान्य मूल्य औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। शिनटेक ने ऋण पत्र, अंतरदेशीय भाड़ा, पैकिंग लागत और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की वर्तमान प्राथमिक जांच परिणामों के लिए अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इस प्रकार, शिनटेक के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखितानुसार अनंतिम रूप से परिकलित किया गया है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी, वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी, एलपी और वेस्टलेक विनाइल्स, इंक के लिए सामान्य मूल्य

131. वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी (डब्ल्यूकेम), वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी, एलपी (डब्ल्यूवीक) और वेस्टलेक विनाइल्स, इंक (विनवाई), सामूहिक रूप से यहां आगे वेस्टलेक ग्रुप के रूप में उल्लिखित, ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में क्रमशः ***एमटी, ***एमटी और ***एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की। वेस्टलेक

ग्रुप ने घरेलू बाजार में संबद्ध कंपनियों को संबद्ध सामानों की बिक्री की है। प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या ये लेन-देन आसपास के आधार पर किए गए थे और ये लेन-देन अलग किए गए थे जो आसपास की कीमतें न होने की पाई गई थी जैसाकि व्यापार की साधारण प्रक्रिया के बाहर थी। ऐसे लेन-देन अलग किए जाने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार की साधारण प्रक्रिया में घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों के साथ तुलना करने पर पर्याप्त मात्रा में हैं।

132. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की है। डब्ल्यूकेम और डब्ल्यूर्विक के मामले में, चूंकि 20% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, अतः सामान्य मूल्य बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों और लाभ के निमित्त के प्रति उपयुक्त मूल्य के साथ उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। तथापि, डब्ल्यूविनाइल के मामले में चूंकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, अतः सामान्य मूल्य औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। डब्ल्यूविनाइल ने अंतरदेशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, छूटों, ऋण लागत और अन्य खर्चों के निमित्त कीमत समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की वर्तमान प्राथमिक जांच परिणामों के लिए अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। भारत औसत सामान्य मूल्य वेस्टलेक ग्रुप के लिए निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, वेस्टलेक ग्रुप के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखितानुसार किया गया है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

133. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है। वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यात कीमत

शिनटेक इंक के लिए निर्यात कीमत

134. शिनटेक ने अपने संबद्ध व्यापारी शिन-इत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड (एसईसीएल) के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत को ***एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। एसईसीएल ने निम्नलिखित 2 असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

शिनटेक→एसईसीएल→इटोचु कारपोरेशन→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

शिनटेक→एसईसीएल→आईवीआईसीटी(सिंगापुर) पीटई. लिमिटेड→भारत में असंबद्ध ग्राहक

प्राधिकारी ने यह भी जांच की और पुष्ट किया कि असंबद्ध निर्यातकों ने लाभ पर विचाराधीन उत्पादन की पुनः बिक्री की है।

135. निर्यात कीमत असंबद्ध ग्राहकों को बिक्री के लिए संबद्ध निर्यातक एसईसीएल द्वारा लगाई गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, पैकिंग लागत, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजन किए गए हैं। पहुंच कीमत भारत में ग्राहक को अंतिम निर्यातक द्वारा लगाई गई कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। अनंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी, वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी, एलएलपी और वेस्टलेक विनाइल्स इंक

136. वेस्टलेक ने निम्नलिखित 12 चैनलों के माध्यम से सीधे ही अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत को ***एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

वेस्टलेक ग्रुप→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

वेस्टलेक ग्रुप → कॉन्टीनेंटल इंडस्ट्रीज→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

- वेस्टलेक ग्रुप → सीओपीएपी यूएसएस → सीओपीएपी इंक → भारत में असंबद्ध ग्राहक
- वेस्टलेक ग्रुप → सीओपीएपी यूएसए → सिग्मा ट्रेड फाइनेंस इंक. → भारत में असंबद्ध ग्राहक
- वेस्टलेक ग्रुप → इटोचु प्लास्टिक्स पीटीई लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक
- वेस्टलेक ग्रुप → मारुबेनी अमेरिका कारपोरेशन → मारुबेनी कारपोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक
- वेस्टलेक ग्रुप → रिलायंस इंटरनेशनल
- वेस्टलेक ग्रुप → रेसिन टेक्नोलॉजी
- वेस्टलेक ग्रुप → एसएआर ओवरसीज लिमिटेड
- वेस्टलेक ग्रुप → स्टावियन केमिकल जेएससी → भारत में असंबद्ध ग्राहक
- वेस्टलेक ग्रुप → ट्राइकॉन एनर्जी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक
- वेस्टलेक ग्रुप → विनमार इंटरनेशनल एलएलसी → भारत में असंबद्ध ग्राहक

उपर्युक्त में से, रिलायंस इंटरनेशनल एंड रेसिन टेक्नोलॉजी ने प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त यद्यपि एसएआर ओवरसीज लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है, तथापि उसने भारत को वेस्टलेक ग्रुप द्वारा उत्पादित सामानों का कोई निर्यात सूचित नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि सीओपीएपी यूएसए, सीओपीएपी इंक और सिग्मा ट्रेड फाइनेंस इंक. एक दूसरे से संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, मारुबेनी अमेरिका कारपोरेशन और मारुबेनी कारपोरेशन एक दूसरे से संबद्ध हैं।

137. निर्यात कीमत और पहुंच कीमत निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया जिस पर अंतिम निर्यातक ने भारत में ग्राहक को बिक्री की है। निर्यात कीमत को कारखानागत कीमत निकालने के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया था। प्रत्येक चैनल के लिए दावा किए गए अनुसार डेबिट/ऋण पत्र, समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, भंडारण लागत, कोरियर शुल्क, देयता राशि, सर्वेक्षक लागत, पैकिंग लागत, कमीशन, एलसी दस्तावेज प्रभार, एलसी शुल्क, ब्रूट प्रभार, विक्रेता जोखिम बीमा, ब्याज खर्च और बैंक प्रभार और ऋण लागत और कारखानागत कीमत निकालने के लिए अन्य खर्चों के लिए समायोजन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बिक्री के चैनलों का भाग बनने वाले निर्यातकों/व्यापारियों की बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और लाभ समायोजित किए गए हैं। तथापि, असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यातित मात्रा के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत और पहुंच कीमत निर्धारित की है। अंतिम रूप से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में उल्लिखित है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से जांच के दौरान उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की आगे जांच की जाएगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

138. जिन अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, उनके लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

छ.3.8 पाटन मार्जिन

139. ऊपर दिए गए अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित किए गए अनुसार निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखित है।

पाटन मार्जिन

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन (रैंज)
		(यूएसडॉ./ एमटी)	यूएसडॉ./ एमटी)	यूएसडॉ./ एमटी)	(%)	
क	चीन जन.गण.					
1	चिपिंग जिनफ्रा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
2	चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
3	चिपिंग ग्रुप	***	***	***	***	50-60
4	तायजिन बोहुआ केमिकल डेवलेपमेंट कं. लि.	***	***	***	***	20-30
5	किंगडाओ हाइवान केमिकल कं. लि.	***	***	***	***	20-30
6	नॉन-सैप्लड प्रोड्यूसर्स	***	***	***	***	30-40
7	अन्य	***	***	***	***	50-60
ख	इंडोनेशिया					
8	पीटी. आशिमा केमिकल	***	***	***	***	10-20
9	पीटी. टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स	***	***	***	***	10-20
10	अन्य	***	***	***	***	30-40
ग	जापान					
11	कनेका कारपोरेशन	***	***	***	***	40-50
12	शिन-इत्सु केमिकल कं. लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
13	नॉन-सैप्लड प्रोड्यूसर्स	***	***	***	***	40-50
14	अन्य	***	***	***	***	40-50
घ	कोरिण गणराज्य					
15	एलजी केम.लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
16	हनवा सोल्यूशंस कारपोरेशन	***	***	(***)	(***)	(0-10)
17	अन्य	***	***	***	***	55-65
ड	ताईवान					
18	चाइना जनरल प्लास्टिक्स कारपोरेशन	***	***	***	***	30-40
19	सीजीपीसी पोलिमर कारपोरेशन	***	***	***	***	10-20

20	सीजीपीसी ग्रुप	***	***	***	***	20-30
21	ओसिएन प्लास्टिक्स कं., लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
22	फोरमोसा प्लास्टिक्स कारपोरेशन	***	***	***	***	20-30
23	अन्य	***	***	***	***	60-70
च	थाइलैंड					
24	थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी.	***	***	***	***	0-10
25	एजीसी विनाइथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
26	अन्य	***	***	***	***	20-30
छ	यूएसए					
27	वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी, वेस्टलेक विनाइल्स, इंक. वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी एलपी	***	***	***	***	140-150
28	शिनटेक इनकापोरेटेड	***	***	***	***	80-90
29	अन्य	***	***	***	***	140-150

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संपर्क

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

140. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. भारत में आयात भारत में मांग में वृद्धि के कारण बढ़े हैं जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- ii. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है क्योंकि क्षमता, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की बिक्री क्षति की अवधि में बढ़ी है, यद्यपि मालसूची में गिरावट आई है।
- iii. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उसकी बिक्री कीमत से अधिक गिरावट आई है। यदि आयातों से कोई कीमत दबाव था तो घरेलू उद्योग पूरी गिरावट ग्राहक को लागत में डालने के लिए मजबूर होता।
- iv. विषयगत वस्तुओं के विक्रय मूल्य में उतार-चढ़ाव COVID-19 के प्रभाव के कारण है।
- v. घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट क्षति की अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि के कारण है। इस प्रकार, आयात और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है।
- vi. प्राधिकारी को लाभप्रदता प्रभावित करने वाले और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए।

- vii. घरेलू उद्योग ने आंतरिक समस्याओं न्यूनीकृत बाजार स्थितियों, कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव, कोविड-19 के प्रभाव और रूस-यूक्रेन के संघर्ष जैसे घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को हल नहीं किया है।
- viii. नियोजित पूंजी पर 22% आय 1987 में उस समय बनाई गई थी जब ब्याज दरें और कारपोरेट दरें भिन्न थीं। वर्तमान अवधि में ऐसी आय उपयुक्त नहीं है। सेस्टेक ने ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में यह माना कि निवेश पर 22% आय अपनाने से क्षति निर्धारण को रंग दिया है। ह्युसोंग कारपोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में, सेस्टेट ने माना कि नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय वह होनी चाहिए थी जो उन वर्षों में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित की गई थी जब पाटन का कोई आरोप नहीं था। यहां तक कि यूरोपीय आयोग क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक आय के आधार पर उपयुक्त आय निर्धारित करता है।
- ix. निर्धारित क्षति रहित कीमत बढ़ी हुई है क्योंकि 22% आय मानी गई है जो गलत है क्योंकि वैश्विक मंदी इतनी अधिक आय की अनुमति नहीं देती और नियोजित पूंजी पर आय जिसमें इक्विटी और ऋण, दोनों शामिल हैं, पर आय पर विचार करते हुए निवल मूल्य पर प्रभावी आय 22% से कहीं अधिक है। नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय वह मानी जानी चाहिए जो वास्तविक रूप से उद्योग द्वारा उस समय अर्जित की गई जब देश में कोई पाटन नहीं था।
- x. पूर्ववर्ती रूप से शुल्क नहीं लगाए जाने चाहिए क्योंकि पूर्ववर्ती रूप से शुल्क का अनुरोध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों में साक्ष्य का अभाव है।
- xi. आवेदकों ने दावा किया है कि चूंकि आयात 2022 तक पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन थे, अतः भारत में पाटन का इतिहास है। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों पर शुल्क संभावनाओं के आधार पर जारी थे न कि वास्तविक पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के आधार पर। प्राधिकारी ने क्षति के अभाव और क्षति की संभावना के कारण थाइलैंड से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखे। प्राधिकारी ने पाटन के अभाव के कारण जापान, कोरिया, ताईवान और थाइलैंड से आयातों के संबंध में दूसरी निर्णायक समीक्षा नहीं थी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में पाटन का इतिहास है।
- xii. पूर्ववर्ती रूप से शुल्क आवश्यक नहीं है क्योंकि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं थी क्योंकि उत्पादन, बिक्री, मजदूरी, कर्मचारियों की संख्या और लाभ में वृद्धि हुई।
- xiii. घरेलू उद्योग यह साक्ष्य देने में विफल रहा है कि आयातकों को यह जानकारी थी कि निर्यातक भारत में उत्पाद का पाटन कर रहे हैं।
- xiv. आवेदक पूर्ववर्ती रूप से शुल्क आवश्यक होने की छोटी सी समयावधि में भारी पाटन दर्शाने के लिए साक्ष्य देने में विफल रहे हैं। आवेदकों ने यह भी नहीं दर्शाया है कि पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क पूर्ववर्ती आधार पर नहीं लगाया जाता है।
- xv. आवेदक अनंतिम शुल्क का अनुरोध करने में विफल रहे हैं जो पूर्ववर्ती रूप से शुल्क लगाए जाने की पूर्व शर्त है।
- xvi. अधिनियम अथवा नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को शुल्कों के अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करने का अधिकार दे।
- xvii. आवेदकों ने जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए निर्यातकों के माह-वार निर्यात आंकड़े एकत्रित करने का अनुरोध किया है। तथापि, चूंकि वर्तमान जांच एक मूल जांच है, अतः अधिनियम अथवा नियमावली जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं देता।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

141. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. संबद्ध आयातों की मात्रा आधार वर्ष तथा पूर्व वर्ष की तुलना में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में बढ़ी है।
- ii. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारत में 93% आयात हुए।
- iii. संबद्ध आयातों की मात्रा भारत में मांग में वृद्धि की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ी है।
- iv. घरेलू उद्योग ग्राहक बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें कम करके कम कीमत वाले संबद्ध आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर हुआ है। परिणामस्वरूप, यद्यपि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं, तथापि कीमत कटौती कम है।
- v. यद्यपि बिक्री लागत क्षति की अवधि में बढ़ी है, तथापि बिक्री कीमत में आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के कारण गिरावट आई है।
- vi. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है जबकि घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से गिरावट आई है।
- vii. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि में वित्तीय हानियां हुई हैं।
- viii. नकद लाभ में गिरावट आई और नकद हानि हुई। घरेलू उद्योग की निवेश पर आय क्षति की अवधि में सबसे कम थी।
- ix. घरेलू उद्योग के ब्याज कवरेज अनुपात में क्षति की अवधि में गिरावट आई है और क्षति की अवधि के दौरान सबसे कम थी। घरेलू उद्योग ने अपने वर्तमान ब्याज दायित्वों को कवर करने के लिए भी ब्याज पूर्व पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं किया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

142. प्राधिकारी ने क्षति मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनकी जांच की है।
143. पूर्ववर्ती आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अभिज्ञात महत्वपूर्ण परिस्थितियों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से सुधार किया जाएगा।
144. डब्ल्यूटीओ करार के अनुबंध 3.3 नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक या एक से अधिक देश से उत्पाद का आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हो तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित होता हो कि:
- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या अधिक) हो या जहां अलग-अलग देशों के निर्यात 3 प्रतिशत से कम हों, परंतु आयात समग्र रूप से समान वस्तु के आयातों के 7 प्रतिशत से अधिक हों; और
 - ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त हो।
145. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामान पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित *न्यूनतम सीमा* से अधिक हैं।
- ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग अलग आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।
- iii. आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात केवल प्रत्येक संबद्ध देश द्वारा पेश किए गए उत्पादों के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
146. उपर्युक्त के आलोक में प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संचयी रूप से चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना उपयुक्त मानते हैं।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

147. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री की मात्रा और सभी स्रोतों से आयातों के रूप में परिभाषित की गई है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
<i>प्रवृत्ति</i>	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>115</i>	<i>117</i>
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
<i>प्रवृत्ति</i>	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>102</i>	<i>96</i>
संबद्ध आयात	एमटी	10,29,546	12,51,861	19,97,000	23,23,183
अन्य आयात	एमटी	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
कुल मांग	एमटी	24,92,103	25,93,601	34,10,483	37,14,880
<i>प्रवृत्ति</i>	<i>सूचीबद्ध</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>137</i>	<i>149</i>

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूरी क्षति अवधि में भारत में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ी है और जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थी।

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

149. आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में किया गया है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	10,29,546	12,51,861	19,97,000	23,23,183
चीन जन.गण.	एमटी	88,995	2,82,101	7,71,817	8,08,326
इंडोनेशिया	एमटी	15,839	58,524	67,425	1,14,045
जापान	एमटी	3,57,780	3,38,146	3,61,072	4,04,597
कोरिया गणराज्य	एमटी	2,09,254	1,93,786	1,81,813	2,51,633

ताईवान	एमटी	2,49,544	2,60,851	3,24,390	3,69,959
थाइलैंड	एमटी	67,312	1,09,792	1,21,946	1,25,325
यूएसए	एमटी	40,823	8,662	1,68,536	2,49,299
अन्य आयात	एमटी	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
कुल आयात	एमटी	13,05,930	13,67,984	21,45,155	24,92,603
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	76%	88%	134%	163%
खपत	%	41%	48%	59%	63%
कुल आयात	%	79%	92%	93%	93%

150. यह देखा जाता है कि-

- i. संबद्ध देशों से आयात पूरी क्षति अवधि में पूर्ण दृष्टि से बढ़े हैं।
- ii. यद्यपि संबद्ध देशों से आयात बढ़े हैं, तथापि अन्य देशों से आयातों में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
- iii. उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में भी क्षति की अवधि में, इस प्रभाव से वृद्धि हुई है कि आयात जांच की अवधि के दौरान अधिकतर खपत से अधिक हैं।
- iv. यद्यपि संबद्ध आयात आधार वर्ष के दौरान भारत में 79% थे, तथापि संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि के दौरान लगभग आयातों की पूर्णता हैं।
- v. भारत में मांग आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 49% तक बढ़े हैं जबकि उसी अवधि में संबद्ध आयात 126% तक बढ़े हैं। इस प्रकार, संबद्ध आयात मांग में वृद्धि से अधिक गति पर बढ़े हैं।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

151. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत से तुलना करके तथाकथित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण और कीमत हास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है।

क. कीमत कटौती

152. कीमत कटौती विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्यों से की गई है।

विवरण	यूनिट	राशि
बिक्री कीमत	र./एमटी	***
पहुंच कीमत	र./एमटी	76,156
कीमत कटौती	र./एमटी	***

कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10%

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कीमत कटौती सकारात्मक एवं काफी है।

ख. कीमत न्यूनीकरण और हास

154. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का हास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों को कम करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है, जो सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों एवं कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नलिखित रूप में की गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	101	86
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	123	105
पहुंच कीमत	रु./एमटी	82,169	1,24,033	95,518	76,156
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	116	93

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2021-22 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों बढ़ी हैं। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि कम थी। 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत में कमी आई परंतु बिक्री कीमत में गिरावट अधिक थी। जांच की अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत और भी कम हुई। संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी जिससे घरेलू उद्योग कम लागत होने के बावजूद अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर हुआ। आधार वर्ष से तुलना करने पर यद्यपि बिक्री लागत में वृद्धि हुई, तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों का हास किया है और कीमत वृद्धि रोकी है, जो अन्यथा हुई होती।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

156. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

157. क्षति मानदंडों की जांच विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

158. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	112	114
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	119	119
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	106	105
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	115	117

159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग क्षति की अवधि में बढ़े हैं। इस कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ख) बाजार हिस्सा

160. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध आयातों और संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	84	79
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	75	64
संबद्ध आयात	%	41%	48%	59%	63%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	142	151
अन्य आयात	%	11%	4%	4%	5%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	39	41

161. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. घरेलू उद्योग तथा समग्र रूप से भारतीय उद्योग के हिस्से में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
- ii. अन्य देशों से आयातों के हिस्से में भी गिरावट आई है।
- iii. मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा बढ़ा है, और संबद्ध आयात बाजार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। संबद्ध आयातों में भारतीय उद्योग तथा अन्य देशों से आयातों का हिस्सा लिया है।

ग) मालसूची

162. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	76	99

163. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों की मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 में गिरावट आई और उसके बाद 2022-23 तथा जांच की अवधि में वृद्धि हुई। तथापि, घरेलू उद्योग की मालसूची क्षति की अवधि में स्थिर रही।

घ) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

164. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
बिक्री लागत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	123	105
बिक्री कीमत	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	141	101	86
प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	-4	-9
कुल लाभ/(हानि)	लाख र.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	-5	-10
नकद लाभ	लाख र.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	4	-1
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	% सूचीबद्ध	100	91	14	14

165. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई है। यद्यपि घरेलू उद्योग 2020-21 और 2021-22 में लाभ कमा रहा था, तथापि उसे 2022-23 और जांच की अवधि में वित्तीय हानियां हुई हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की हानियों में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

- ख. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़ी है, तथापि घरेलू उद्योग की कुल हानियों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, बिक्री की अतिरिक्त मात्रा से घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ रही हैं।
- ग. नकद लाभ में काफी गिरावट आई है और इस सीमा तक आई है कि वह जांच की अवधि में नकारात्मक थी।
- घ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय ने भी वही प्रवृत्ति अपनाई है। नियोजित पूंजी पर आय में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है।

166. घरेलू उद्योग ने यह भी जोर दिया है कि उसके ब्याज कवरेज अनुपात में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का ब्याज पूर्व लाभ इस स्तर तक कम हुआ है कि वह घरेलू उद्योग की ब्याज लागत से कम है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग अपनी ब्याज लागत वसूल करने के लिए पर्याप्त लाभ सृजित नहीं कर रहा है।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

167. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	102	104
मजदूरी	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	121	117
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	119	119
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	116	115

168. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और उत्पादकता क्षति की अवधि में बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने इस मानदंड पर किसी क्षति का दावा नहीं किया है।

च) वृद्धि

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	15%	4%	0.48%
घरेलू बिक्री	%	-	11%	4%	2%
लाभ/हानि	%	-	16%	-104%	-109%
नकद लाभ	%	-	27%	-96%	-125%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-9%	-85%	-0.46%

169. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंडों ने क्षति की अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है। घरेलू उद्योग के लाभ और नकद लाभ में आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 में वृद्धि हुई है। नियोजित पूंजी पर आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 में घटी है। घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों ने 2022-23 और जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।
- छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**
170. चूंकि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं, अतः उसने घरेलू उद्योग की कीमतों पर तनाव बनाया है। इसके अतिरिक्त, आयात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत और बिक्री लागत से कम है इससे घरेलू उद्योग उनकी लागतों से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर हुआ है, परिणामतः वित्तीय और नकद हानियां हुई हैं। आयातों से कीमत वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा हुई होती। अतः, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।
- ज) पाटन और पाटन मार्जिन की मात्रा**
171. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामान भारत में पाटित किए जा रहे हैं और पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**
172. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां और नकद हानियां हुई हैं। घरेलू उद्योग की कुल हानियां घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि के साथ बढ़ी हैं। घरेलू उद्योग अपनी वर्तमान ब्याज लागतों को भरने के लिए पर्याप्त लाभ नहीं कमा रहा है। ऐसी स्थिति में, पूंजी निवेश जुटाने में घरेलू उद्योग की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
- ञ.) क्षति मार्जिन**
173. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित डेस्क सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत निकाली गई है और उसकी तुलना क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देशों से प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक से पहुंच कीमत के साथ की गई है। असहयोगी निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
174. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विद्यमान ब्याज दरों और कर दरों सहित, वर्तमान आर्थिक स्थिति के आलोक में 22% आय उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% आय देना प्राधिकारी की सतत परिपाटी है। ब्रिजस्टोन मामले में माननीय सेस्टेट की टिप्पणियां कम कीमत पर बिक्री निर्धारित करने में 22% आरओसीई का प्रयोग करना विशिष्ट था, न कि क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का परिकलन करने में उसकी उपयुक्तता। इसके अतिरिक्त, ब्रिजस्टोन निर्णय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III को लागू करने से पहले घटित होता है जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस पर विश्वास अनौचित्यपूर्ण है। बाद के मेरिनो पैनल उत्पादों के मामले में, सेस्टेट ने 22% आरओसीई लागू करने की प्राधिकारी की परिपाटी को माना। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी पर 22% आय पर विचार करने के बाद भी एक घरेलू उत्पादक की आय उसके द्वारा लगाई गई ब्याज लागत से कम रहती है जो ब्याज और इक्विटी पर आय के निमित्त पर्याप्त वसूली नहीं होने देती।
175. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत नियमावली के अनुबंध-III और प्राधिकारी की स्थापित परिपाटी के अनुसार निर्धारित की गई है।

176. पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन (रेंज)
		(यूएसडॉ./एमटी)	यूएसडॉ./एमटी)	यूएसडॉ./एमटी)	(%)	
क	चीन जन.गण.					
1	चिपिंग जिनफ़ा पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2	चिपिंग शिनफ़ा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(5-15)
3	चिपिंग ग्रुप	***	***	***	***	10-20
4	तायजिन बोहुआ केमिकल डेवलेपमेंट कं. लि.	***	***	***	***	0-10
5	किंगडाओ हाइवान केमिकल कं. लि.	***	***	***	***	10-20
6	नॉन-सैप्लड प्रोड्यूसर्स	***	***	***	***	10-20
7	अन्य	***	***	***	***	20-30
ख	इंडोनेशिया					
8	पीटी. आशिमा केमिकल	***	***	***	***	0-10
9	पीटी. टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स	***	***	***	***	0-10
10	अन्य	***	***	***	***	20-30
ग	जापान					
11	कनेका कारपोरेशन	***	***	***	***	0-10
12	शिन-इत्सु केमिकल कं. लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
13	नॉन-सैप्लड प्रोड्यूसर्स	***	***	***	***	0-10
14	अन्य	***	***	***	***	10-20
घ	कोरिया गणराज्य					
15	एलजी केम.लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
16	हनवा सोल्यूशंस कॉरपोरेशन	***	***	(***)	(***)	(0-10)
17	अन्य	***	***	***	***	15-25

डू	ताईवान					
18	चाइना जनरल प्लास्टिक्स कारपोरेशन	***	***	***	***	0-10
19	सीजीपीसी पोलिमर कारपोरेशन	***	***	***	***	0-10
20	सीजीपीसी ग्रुप	***	***	***	***	0-10
21	ओसिएन प्लास्टिक्स कं., लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
22	फोरमोसा प्लास्टिक्स कारपोरेशन	***	***	***	***	0-10
23	अन्य	***	***	***	***	15-25
च	थाइलैंड					
24	थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी.	***	***	***	***	0-10
25	एजीसी विनाइथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
26	अन्य	***	***	***	***	20-30
छ	यूएसए					
27	वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी, वेस्टलेक विनाइल्स, इंक. वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी एलपी	***	***	***	***	15-25
28	शिनटेक इनकापोरिटेड	***	***	***	***	10-20
29	अन्य	***	***	***	***	50-60

गैर-आरोपण विश्लेषण

177. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करना अपेक्षित है कि पाटित आयातों, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, को छोड़कर कोई ज्ञात कारक क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न मानी जाए। जो कारक इस संबंध में संगत हों, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों पर बिक्री न किए गए आयातों की मात्रा और कीमतें, खपत के पैटर्न में मांग में संकुचन अथवा परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान किया है।
- क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत**
178. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात इतनी मात्रा में काफी नहीं हैं कि वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का खतरा अथवा कारण बनें।
- ख. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**
179. यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार के संदर्भ में उसके निष्पादन से संबंधित ही है। इस प्रकार, हुई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

180. संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सके।

घ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

181. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों की ही जांच की है। अतः, आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ड. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

182. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सके।

च. मांग में संकुचन

183. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए मांग पूरी क्षति अवधि में निरंतर बढ़ी है। इस प्रकार, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं थी।

छ. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

184. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुए हैं। अतः, खपत के पैटर्न में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

झ. उत्पादकता

185. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ी है। इस प्रकार, उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ख. क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

186. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण अनंतिम रूप से नोट करता है कि:

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध सामान के आयात क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से बढ़े हैं।
- ख. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।
- ग. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है और कीमत वृद्धि रोकी है, जो अन्यथा हुई होती।
- घ. घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है जबकि संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है।
- ड. यद्यपि संबद्ध सामानों के लिए मांग में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, तथापि वह वृद्धि संबद्ध आयातों द्वारा ली गई है।
- च. घरेलू उद्योग की मालसूची पूर्व वर्ष तथा 2021-22 की तुलना में बढ़ी है, यद्यपि इस अवधि में स्थिर रही है।
- छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता क्षति की अवधि में काफी कम हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां तथा नकद हानियां हुई हैं।
- झ. घरेलू उद्योग की कुल हानियों में गिरावट आई है, जो यह दर्शाती है कि विक्री की मात्रा में वृद्धि से घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ी हैं।
- ञ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय काफी कम हुई है।
- ट. पूंजी निवेश जुटाने में घरेलू उद्योग की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

187. इस प्रकार, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों ने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है।

ब. भारतीय उद्योग के हित

ब.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

188. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद की कीमत आयात कीमत से निरंतर अधिक है जिसके कारण निचले स्तर का उद्योग प्लास्टिक उत्पादों के आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करता है।
- ii. ऑफ-ग्रेड पीवीसी सेस्पेंशन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आयातित पीवीसी फ्लोरिंग की तुलना में परिष्कृत उत्पाद को गैर-अर्थक्षम और अप्रतिस्पर्धी बनाना होगा।
- iii. विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उत्पादों का भारी आयात होगा, जिससे सैकड़ों निचले स्तर के उत्पादक नष्ट हो जाएंगे।
- iv. जब तक भारत इस उत्पाद के लिए आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाए जाने चाहिए।
- v. चूंकि भारत में भारी मांग-आपूर्ति अंतराल है, अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन प्रयोक्ताओं को अपूर्ण क्षति होगी जो आयातित उत्पाद पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- vi. विचाराधीन उत्पाद काफी समय से पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन था, तथापि, घरेलू उत्पादक अपनी क्षमताएं बढ़ाने में विफल रहे।
- vii. घरेलू उद्योग द्वारा अभिज्ञात परिदृश्य सही स्थिति नहीं दर्शाता क्योंकि क्षति की अवधि कोविड की अवधि में है, जिसमें उद्योग बने रहने और वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम रहने का प्रयास कर रहा था।
- viii. पीवीसी सेस्पेंशन रेसिन का निचले स्तर के उत्पाद में काफी हिस्सा है और 10-20% तक पाटनरोधी शुल्क का परिष्कृत उत्पाद पर कम से कम 4.8% का प्रभाव होगा। निचले स्तर का उद्योग इस बड़ी हुई लागत को आगे देने में निचले स्तर आयातित निचले स्तर के उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण सक्षम नहीं होगा।
- ix. ऐसे अधिसंख्य प्रयोक्ता हैं जो एमएसएमई क्षेत्र के भाग हैं परंतु सामूहिक रूप से देश की जीडीपी में भारी योगदान करते हैं।
- x. आवेदक शुल्क लगाए जाने के लिए अनुरोध करते हुए पाटनरोधी शुल्क का अनुचित लाभ ले रहे हैं, यहां तक कि यद्यपि आयात 15 वर्षों की अवधि के लिए शुल्क के अध्यधीन थे।
- xi. भारत सरकार विचाराधीन उत्पाद के लिए अनिवार्य बीआईएस मानक लागू करने की प्रक्रिया में है जिससे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होगी और निचले स्तर के उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। भारत सरकार चीनी विनिर्माताओं के लिए बीआईएस लाइसेंस हेतु आवेदन की प्रक्रिया नहीं कर रही है। पाटनरोधी शुल्क का कोई भी कार्यान्वयन प्रयोक्ताओं को और प्रभावित करेगा।

ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

189. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा जो इस तथ्य से सिद्ध है कि विगत में पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहा है।
- ii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव 0.1% से कम है।
- iii. चूंकि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है, अतः यह निचले स्तर के उद्योग द्वारा वहन किए जाने की संभावना है न कि प्रयोक्ताओं पर लगाए जाने।
- iv. बाजार में उचित कीमतें बनाए रखी जाएंगी क्योंकि भारत में पर्याप्त परस्पर प्रतिस्पर्धा है।
- v. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होते।
- vi. चूंकि संबद्ध सामान दीर्घावधि संविदाओं के तहत नहीं बेचे जाते हैं, अतः प्रयोक्ता अपेक्षित होने पर आसानी से आपूर्तिकर्ताओं के पास जा सकते हैं।
- vii. विचाराधीन उत्पाद के लिए वैश्विक रूप से अधिक क्षमताएं हैं और इसीलिए बाजार में इस उत्पाद की प्रचुर आपूर्ति है।
- viii. भारत में पाटन का इतिहास है, अतः निर्यातक भारत में उचित कीमतों पर उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम नहीं हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

190. प्राधिकरण ने नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करना है। पाटनरोधी उपाय लगाना संबद्ध देशों से स्वैच्छिक रूप से आयातों को रोकने के लिए नहीं है। इसकी अपेक्षा, यह एक उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करने का तंत्र है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क बनाए रखने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों को लगाए जाने से निरापद रहेगा। ह्रासमान प्रतिस्पर्धा से दूर, पाटनरोधी उपाय लगाया जाना पाटन की परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभों का अर्जन रुकता है। यह संबद्ध सामानों के व्यापक चयन में ग्राहकों की पहुंच की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क बाधा नहीं है बल्कि उचित व्यापार परिपाटियों के सुविधा प्रदाता हैं।
191. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की कीमतें आयातों कीमतों से अधिक हैं, जो निचले स्तर के उद्योग के मार्जिन पर तनाव डालते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतें तथा आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि में काफी कम हुई हैं। विगत में ये कीमतें काफी अधिक थीं चूंकि इन अधिक कीमतों के कारण विगत में निचले स्तर के उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था, अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना नहीं होगी।
192. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उत्पाद के अत्यधिक आयात होंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में लंबी अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क था। उस समय, निचले स्तर का उद्योग निचले स्तर के उत्पाद के आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में, निचले स्तर के उद्योग के वर्तमान उपायों को लगाने के कारण क्षति होने की संभावना नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यदि निचले स्तर के उत्पाद उपायों को लगाए जाने के बाद भारत में पाटित किए जाते हैं तो निचले स्तर का उद्योग पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने के लिए आवेदन-पत्र देने के लिए स्वतंत्र है।
193. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लागू होने पर भी क्षमताएं बढ़ाने में विफल रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन निर्यातकों के कीमत संबंधी भेदभावपूर्ण व्यवहार को बंद करना है। यह घरेलू उद्योग द्वारा समायोजन को सफल बनाने के आशय का सुरक्षा उपाय नहीं है।

यद्यपि सुरक्षा उपाय लगाए जाने का मतलब यह माना जाता है कि आयातों के विरुद्ध घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा हल किए जाने हेतु अपेक्षित कारक हैं। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के मामले में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। पूर्व में लगाया गया शुल्क का आशय विदेशी उत्पादकों द्वारा पूर्व में पाटन के क्षतिकारक प्रभावों और इस प्रकार उसके अपेक्षित प्रयोजन का सामना करना था। किसी भी दशा में, भारत में क्षमताएं बढ़ी हैं। घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में ही क्षमताएं बढ़ाई हैं।

194. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जब तक भारत संबद्ध सामानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाए जाने चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए वह अपेक्षा नहीं है। प्राधिकारी ने विगत में कई उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है जहां भारत में मांग-आपूर्ति अंतराल था। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय उद्योग को एक उचित व्यापारी क्षेत्र प्राप्त होने की संभावना है।
195. यह तर्क कि वर्तमान परिदृश्य सही स्थिति नहीं दर्शाता क्योंकि क्षति की अवधि कोविड की अवधि में है, गलत है। जांच की अवधि में कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं था। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंड पूर्व वर्ष से तुलना करने पर भी जांच की अवधि में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार, वर्तमान परिदृश्य घरेलू उद्योग को क्षति की मात्रा दर्शाते हैं।
196. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों का अनुचित लाभ ले रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के पाटन के परिणामस्वरूप विगत में कई बार विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की विस्तृत जांच की है और उसके बाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर उपायों की संख्या संबद्ध देशों में उत्पादकों की कीमत निर्धारण और अनुचित व्यापार परिपाटी दर्शाती है।
197. इस तर्क के संबंध में कि बीआईएस मानक लगाए जा रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत सरकार द्वारा लंबे समय से बीआईएस मानक तैयार किए जा रहे हैं, वे अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बीआईएस का कार्यान्वयन इस तथ्य को नष्ट नहीं करता कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। प्राधिकारी बीआईएस लाइसेंस प्रदान करने में किसी तथाकथित विलंब के संबंध में चिंताओं की जांच करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।

ट. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

198. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी सस्पेंशन रेसिन के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए आवेदन पत्र चेम्प्लास्ट कुडालोर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।
 - भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादक हैं। तथापि, ये उत्पादक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात करने में लगे हुए हैं और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग बनने हेतु अनंतिम रूप से अपात्र माने गए हैं।
 - आवेदकों का भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है और घरेलू उद्योग है।
 - विचाराधीन उत्पाद "55 से अधिक और 77 तक के-मूल्य वाले सस्पेंशन पालिमेराइजेशन प्रोसस के माध्यम से विनिर्मित विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपोलिमर" है।

- v. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र अल्ट्रा-लो-के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेसिन (55 तक के-वैल्यू), अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू पीवीसी सेस्पेंशन रेसिन (77 से अधिक के-वैल्यू), क्रास-लिंकड पीवीसी, क्लोरिनेटेड पीवीसी, विनाइल क्लोराइड विनाइल एसिटेट कोपोलिमर (वीसी-वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेसिन, मास पोलिमेराइजेशन पीवीसी और पीवीसी ब्लैंडिंग रेसिन को अलग करता है।
- vi. चूंकि इस उत्पाद की लागत और कीमत विभिन्न के-वैल्यू के बीच काफी अंतर नहीं बनाती है और उत्पादन प्रक्रिया पर ध्यान न देकर उत्पाद वही रहता है, अतः वर्तमान जांच में पीसीएन की आवश्यकता नहीं है।
- vii. ऑफ-ग्रेड पीवीसी सस्पेंशन रेसिन को अलग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मात्र गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का निर्णय लेने के लिए अवास्तविक है।
- viii. घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन किया है।
- ix. सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उस सूचना के सत्यापन के अध्यक्षीन निर्धारित की गई है।
- x. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन काफी है और न्यूनतम से अधिक है।
- xi. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- xii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।
- xiii. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है और कीमत वृद्धि रोकी है, जो अन्यथा हुई होती।
- xiv. जहां तक घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर इन पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, निम्नलिखित अनंतिम निष्कर्ष निकाले जाते हैं:
- क. घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है, जबकि संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है।
- ख. यद्यपि संबद्ध सामानों के लिए मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है, तथापि वह वृद्धि संबद्ध आयातों द्वारा ली गई है।
- ग. घरेलू उद्योग की मालसूची पूर्व वर्ष और 2021-22 की तुलना में बढ़ी है, यद्यपि इस अवधि में स्थिर रही है।
- घ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई है।
- ड. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां तथा नकद हानियां हुई हैं।
- च. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में काफी गिरावट आई है।
- छ. पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
- xv. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है।
- xvi. अन्य किसी कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है तथा घरेलू उद्योग को क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण है।

xvii. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनता के हित में है। यह निम्नलिखित से सिद्ध है:

- क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय उद्योग को एक उचित व्यापारिक क्षेत्र मिलेगा।
- ख. विचाराधीन उत्पाद की कीमत विगत में अधिक थी जिसने प्रयोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण विचाराधीन उत्पाद की कीमत में किसी वृद्धि से निचले स्तर के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना नहीं है।
- ग. भारत में पाटन का इतिहास है। विचाराधीन उत्पाद कई बार पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन था। चूंकि निचले स्तर के उद्योग पर ऐसे पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था, अतः उसके होने से भविष्य में पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- घ. विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की संख्या संबद्ध देशों में निर्यातकों द्वारा किए गए पाटन की अनुचित परिपाटी और भारतीय बाजार में उचित कीमतों पर बिक्री करने में असमर्थता दर्शाती है।
- ड. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं था। घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड पूर्व वर्ष से तुलना करने पर भी गिरावट दर्शाते हैं।

199. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरु करने पर और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि जांच पूरी होने तक पाटन और क्षति को दूर करने के लिए अनंतिम शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

200. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जाए। तदनुसार, प्राधिकारी नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3904	पीवीसी सस्पेंशन रेजिन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण	चिपिंग जिनफा पोलिविनाइल क्लोराइड कं. लिमिटेड	125	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण	चिपिंग शिनफा हुआक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड	125	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण	तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलेपमेंट कं. लि.	82	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण	किंगडाओ हाइवान केमिकल कं. लि.	92	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण	गैर-सैम्पलड उत्पादक, नीचे दी गई सूची के अनुसार*	97	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं.(1) से (5) को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	167	एमटी	यूएसडा.
	वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	167	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी. आशिमा केमिकल	73	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी. टीपीसी इंडो प्लास्टिक एंड केमिकल्स	61	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. (8) से (9) को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	200	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	इंडोनेशिया	कोई	00	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	जापान	जापान	कनेका कारपोरेशन	54	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	जापान	जापान	शिन-इत्सु केमिकल कं. लिमिटेड	73	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	जापान	जापान	गैर-सैम्पलड उत्पादक, नीचे दी गई सूची के अनुसार**	66	एमटी	यूएसडा.

	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई देश	क्र.सं.(12) से (14) को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	147	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	जापान	कोई	147	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	एलजी केम.लिमिटेड	51	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	शून्य	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	क्र.सं. (17) से (18) को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	161	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	161	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	ताईवान	ईवान	चाइना जनरल प्लास्टिक्स कारपोरेशन	25	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	ताईवान	ताईवान	सीजीपीसी पोलिमर कारपोरेशन	25	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	ताईवान	ताईवान	ओसिएन प्लास्टिक्स कं., लिमिटेड	40	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	ताईवान	ताईवान	फोरमोसा प्लास्टिक्स कारपोरेशन	74	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	ताईवान	ताईवान सहित कोई देश	क्र.सं. (21) से (24) को छोड़कर कोई उत्पादक	163	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	ताईवान	कोई	163	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी.	53	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	एजीसी विनाइथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड	80	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	क्र.सं. (27) से (28) को छोड़कर कोई उत्पादक	184	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	थाइलैंड	कोई	184	एमटी	यूएसडा.

	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए	वेस्टलेक केमिकल्स एंड विनाइल्स एलएलसी,	164	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए	वेस्टलेक विनाइल्स, इंक.	164	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए	वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी एलपी	164	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए	शिनटेक इनकापॉरिटेड	104	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	क्र.सं. (31) से (34) को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	339	एमटी	यूएसडा.
	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान, थाइलैंड और यूएसए को छोड़कर कोई देश	यूएसए	अन्य	339	एमटी	यूएसडा.

* 55 से अधिक और 77 तक की के-वैल्यू वाली सस्पेंशन पोलिमराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से विनिर्मित पीवीसी सस्पेंशन रेसिन के रूप में भी ज्ञात विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपोलिमर

चीन जन.गण. से गैर-नमूनाकृत उत्पादकों की सूची*

क्र.सं.	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक
1.	चिपिंग जिन्फा हुआसिंग केमिकल कं. लिमिटेड
2.	सीएनएसआईजी जिलतानी क्लोर-एल्काली केमिकल कं. लि.
3.	फोरमोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं. लि.
4.	गुआंगक्सी हुआयी क्लोर-अल्काली केमिकल कं. लि.
5.	इन्नर मोंगोलिया केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि.
6.	इन्नर मोंगोलिया केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि.
7.	इन्नर मोंगोलिया जुनझेंग केमिकल इंडस्ट्रीजी कं. लि.
8.	आर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.
9.	शांक्सी बेइयुआन केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.
10.	शंघाई क्लोर-अल्काली केमिकल कं. लि.
11.	तियांगजिन एलसी बोहाई केमिकल कं. लि.
12.	वानहुआ केमिकल (फुजियान) कं., लि.
13.	वानहुआ पैट्रोकेमिकल (यांताई) कं., लि.
14.	जिनजियांग शेंगशियों क्लोर-अल्काली कं., लि.
15.	जिनजियांग झोंगताई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.
16.	यिबिन हाइफेंग हेरुई कं. लि.
17.	झोंग ताई इंटरनेशनल डेवलेपमेंट (एचके) लिमिटेड

जापान से गैर-नमूनाकृत उत्पादकों की सूची**

क्र. सं.	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक
1	शिन दाई-इची विनाइल कॉर्पोरेशन

ठ आगे की प्रक्रिया

201. प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचित करने के बाद नीचे उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- i. प्राधिकारी इन जांच परिणामों के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां मांगेंगे, और प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक उन टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।
- ii. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच के लिए संगत उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार एक मौखिक सुनवाई करेंगे।
- iii. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।
- iv. प्राधिकारी आवश्यक समझे जाने पर हितबद्ध पक्षकारों का आगे सत्यापन करेंगे।
- v. प्राधिकारी संबद्ध जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व पाटनरोधी नियमावली के अनुसार आवश्यक तथ्य प्रकट करेंगे।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION**PRELIMINARY FINDINGS**

New Delhi, the 30th. October, 2024

CASE NO. AD(OI) – 30/2023

Subject: Preliminary Findings in the anti-dumping investigation concerning imports of "Polyvinyl Chloride Suspension Resins" originating in or exported from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and United States of America.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/33/2023-DGTR.—

1. Chemplast Cuddalore Private Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited (hereinafter also referred to as the "Applicants") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or "Anti-Dumping Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Polyvinyl Chloride Suspension Resins" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods"), originating in or exported from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and United States of America (hereinafter also referred to as the "subject countries").
2. The Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/33/2023-DGTR dated 26th March 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
- i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules and the Free Trade Agreements with various members of the WTO.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 26th March 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification along with questionnaires to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the email addresses made available by the applicants and requested them to make their views known, in writing, within the prescribed time limit.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the Embassies of the subject countries in India, the known producers/exporters, importers and users in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - v. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the details of the known producers/exporters from the subject countries.
 - vi. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 1. China Haohua Chemical (Group) Corporation
 2. Chipping Xinfu PVC Company Limited
 3. Hubein Yinhua Group Company Limited
 4. Inner Mongolia Sanlian Chemical Corporation Limited
 5. Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Company Limited
 6. Kingfa Sci. & Technology Company Limited
 7. LG Dagu Chemical Company Limited
 8. Mega Compound Company Limited
 9. Ningxia Yinglite Chemicals Company Limited
 10. Ningxia Jinyuyuan Energy Chemistry Company Limited
 11. Ordos Zunzheng Energy & Chemical Industry Company Limited
 12. SAR Overseas Limited
 13. Shandong Haihua Chlor-Alkali Resin Company Limited
 14. Shandong Xinfu Import & Export Company
 15. Shanghai Chlor-Alkali Chemical Company Limited
 16. Sinopec Group
 17. Sinopec Qilu Company
 18. Suzhou Huasu Plastics Company Limited
 19. Qingdao Haijing Chemical (Group) Company Limited
 20. Qingdao Haiwan Chemical Company Limited
 21. Tianjin Dagu Chemical Company Limited
 22. Tianjin LG Bohai Chemical Company
 23. Xinjiang Shihezi Zhongfa Chemical Company Limited
 24. Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Company Limited

25. Xinjiang Zhongtai Chemical Company Limited
 26. Yibin Tianyuan Group Limited
 27. Yichang Yihua Pacific Cogen Company Limited
 28. Zhong Tai International Development (HK) Limited
 29. Oxy Vinyl LLP
 30. Visolit
 31. Famosa Plastics Corporation
 32. JM Eagle Corporation
 33. Oxychem
 34. Shintech Inc.
 35. Westlake USA Inc.
 36. Ocean Plastics Company Limited
 37. JNC Corporation
 38. Kaneka Corporation
 39. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
 40. SCG Chemicals Company Limited
 41. Viynthai Public Co., Ltd.
- vii. The following producers / exporters filed response to the exporters' questionnaire issued by the Authority.
1. Inner Mongolia Chemical Industry Company Ltd.
 2. Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd.
 3. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.
 4. Formosa Plastics Corporation
 5. Simosa International Co. Ltd.
 6. Itochu Plastics Pte., Ltd.
 7. ITOCHU Corporation
 8. ITOCHU (Thailand) Ltd.
 9. China General Plastics Corporation
 10. CGPC Polymer Corporation
 11. Grand Dignity Industrial Co. Ltd.
 12. Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd.
 13. Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd.
 14. Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd.
 15. Grand Dignity For Wanhua
 16. Chiping Xinfu Polyvinyl Chloride Co., Ltd
 17. Chiping Xinfu Huaxing Chemical Co., Ltd
 18. Shandong Xinfu Import & Export Co., Ltd
 19. Jiali Bio Group (Qingdao) Limited
 20. Yue Xiu Textiles Co., Ltd
 21. Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd
 22. Zhong Tai International Development (Hk) Limited

23. Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd
24. Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
25. Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
26. Joc International Technical Engineering Co., Ltd.
27. Tianjin Lg Bohai Chemical. Co. Ltd
28. LG Chem, Ltd.
29. Canko Marketing
30. TS Corporation
31. Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd
32. Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.
33. Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co
34. Henan Pulite Import And Export Trade Co., Limited
35. Chemdo Group Company Limited
36. United Raw Material Pte. Ltd.
37. Cosmoss Vu Limited
38. Tun Wa Industrial Co. Ltd.
39. SAR Overseas Limited
40. Kaneka Corporation
41. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
42. Taiyo Vinyl Corporation
43. Tokuyama Corporation
44. Tokuyama Sekisui Co. Ltd
45. Tosoh Nikkemi Corporation
46. Mitsui & Co., Ltd
47. Mitsubishi Corporation
48. IVICT (Singapore) Pte. Ltd
49. Kanematsu Corporation
50. Marubeni Corporation
51. Sojitz Asia Pte Limited
52. PT Asahimas Chemical
53. AGC Vinythai Public Limited Company
54. GCM Polymer Trading DMCC Company Limited
55. PTT Global Chemical Public Company Limited
56. Thai Polyethylene Co. Ltd
57. Thai Plastics and Chemicals Plc.
58. Qingdao Haiwan Chemical Co. Ltd.
59. CNSIG Jiltani Chlor – Alkali Chemical Co. Ltd.
60. China Salt Chemical International Trading Co. Ltd.
61. Yibin Haifeng Herui Co. Ltd.
62. Yibin Tianyuan Materials Industry Group Ltd.
63. Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.

64. Tianjin Bohua Chemical Developments
65. Cheongfuli (Hongkong) Company Limited
66. Hanwa Corporation
67. Stavian Chemical JSC
68. Sunshine International Pvt Ltd
69. Texpo International Limited
- viii. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd. has filed a response to supplementary questionnaire issued by the Authority and has claimed that it should be treated as operating in market economy conditions. No other producer from China has claimed market economy treatment.
- ix. The Authority sent importers and users' questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 1. Aasu Chemplast Private Limited
 2. ABM International Limited
 3. Aditya Industries
 4. Amisha Vinyls Private Limited
 5. Apollo Pipes Limited
 6. Associated Capsules Limited
 7. AVI Global Plast Private Limited
 8. Avon Plastics Group
 9. Caprihans India Limited
 10. Chaitanya Impex Private Limited
 11. Cooldeck Aqua Solutions Private Limited
 12. Cosmos Corporation
 13. D.R. Polymers Private Limited
 14. Deluxe Kaaran Import Private Limited
 15. Dhabriya Agglomerates Private Limited
 16. Diamond Pipes & Tubes Private Limited
 17. Dutron Plastics Private Limited
 18. Fine Flow Plastic Industries Limited
 19. Golden Group
 20. Havells India
 21. INCOM Cables Private Limited
 22. Jain Irrigation Systems
 23. Jewel Polymers Private Limited
 24. JP Group
 25. Kalpana Industries
 26. Kisan Group Tex
 27. KLJ Group
 28. Krishna Vinyls Group
 29. Kriti Industries (India) Ltd.
 30. KS Plastics
 31. Manish Packaging Private Limited

32. Maxx Impex Private Limited
 33. Megha Industries
 34. MM Plastics
 35. Nouvelle Credits Private Limited
 36. Omega Plasto Limited
 37. Oriplast Limited
 38. Oswal Cable Products Limited
 39. Oxyde Chemicals & Polymers India Private Limited
 40. Par Petrochem Limited
 41. Poly Extrusions Private Limited
 42. Polycab Cables Private Limited
 43. Prakash Industries
 44. Premier Polyfilm Limited
 45. Prfint Crafts
 46. Prince Pipes and Fittings Limited
 47. R.S. Overseas Private Limited
 48. Royal Cushion Vinyl Product Limited
 49. Sam Polymers
 50. Sandeep Organics Private Limited
 51. Sankhla Industries
 52. Shalimar Rexine India Limited
 53. Shantilal Mahendra Kumar
 54. Signet Overseas Limited
 55. Sintex Industries Limited
 56. Sudhakar Group
 57. Supreme Industries
 58. Surender Commercial
 59. Tirupati Group
 60. Varsha Corporation Private Limited
 61. Veekay Polycoats Limited
- x. The following importers/users have participated in the present investigation by filing a response to the importers' / users' questionnaires issued by the Authority.
1. Alstone Green India Pvt Ltd
 2. Asma Traexim Pvt. Ltd.
 3. Atalantic Polymers Unit-II Pvt. Ltd.
 4. Caprihans India Ltd
 5. Prabitha Polymers
 6. Purbanchal Composite Panel (I) Pvt. Ltd.
 7. Shiv Industries
 8. Sushila Parmar International Private Limited
 9. Terra Polyplast PVT LTD

10. Wanhua International (India) Pvt. Ltd.
11. Yamuna Interiors Pvt. Ltd.
- xi. The Plastics Export Promotion Council (PLEXCONCIL) has filed injury submission.
- xii. The Authority issued economic interest questionnaire to all interested parties and concerned ministry. The following parties have filed a response to the economic interest questionnaire.
 1. Domestic industry
 2. AGC Vinythai Public Limited Company
 3. Alstone Green India Pvt Ltd
 4. Asma Traexim Pvt. Ltd
 5. Atalantic Polymers Unit-II Pvt. Ltd.
 6. Cheongfuli (Hongkong) Company Limited
 7. China Salt Chemical International Trading Co. Ltd.
 8. CNSIG Jiltani Chlor – Alkali Chemical Co. Ltd.
 9. GCM Polymer Trading DMCC Company Limited
 10. Hanwha Corporation
 11. IVICT (Singapore) Pte. Ltd
 12. Kaneka Corporation
 13. Kanematsu Corporation
 14. Marubeni Corporation
 15. Mitsubishi Corporation
 16. Mitsui & Co., Ltd
 17. Prabitha Polymers
 18. PT Asahimas Chemical
 19. PTT Global Chemical Public Company Limited
 20. Purbanchal Composite Panel (I) Pvt. Ltd.
 21. Qingdao Haiwan Chemical Co. Ltd.
 22. SAR Overseas Limited
 23. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
 24. Shiv Industries
 25. Sojitz Asia Pte Limited
 26. Stavian Chemical JSC
 27. Sunshine International Pvt Ltd
 28. Sushila Parmar International Private Limited
 29. Taiyo Vinyl Corporation
 30. Terra Polyplast PVT LTD
 31. Texpo International Limited
 32. Thai Plastics and Chemicals Plc.
 33. Thai Polyethylene Co. Ltd
 34. Tianjin Bohua Chemical Developments
 35. Tokuyama Corporation
 36. Tokuyama Sekisui Co. Ltd

37. Tosoh Nikkemi Corporation
 38. Yamuna Interiors Pvt. Ltd.
 39. Yibin Haifeng Herui Co. Ltd.
 40. Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.
 41. Yibin Tianyuan Materials Industry Group Ltd.
- xiii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
 - xiv. The interested parties were asked vide notification dated 25th June, 2024 and 30th July, 2024 to share the non-confidential version of the responses, submissions and evidence presented by them with the other interested parties.
 - xv. The Authority conducted a meeting dated 30th April, 2024 where all the interested parties were invited to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology. Based on the submissions made by the interested parties, the Authority finalized the scope of the product under consideration and the PCN methodology vide notification dated 13th May, 2024.
 - xvi. Request was made to the DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
 - xvii. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), has been worked out so as to ascertain whether the present interim anti-dumping duty would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
 - xviii. The period of investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st October, 2022 to 30th September, 2023 (12 Months). The injury investigation period has been considered as the period from 1st April, 2020 - 31st March, 2021, 1st April, 2021 – 31st March, 2022, 1st April, 2022 – 31st March, 2023 and the period of investigation.
 - xix. The information/data submitted by the applicants has been examined during desk study and relied upon for the purpose of preliminary findings, which will be verified at the appropriate stage from the original records of the applicants.
 - xx. '***' in this preliminary finding represents information furnished on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - xxi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1USD = ₹ 83.21

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions by the other interested parties

4. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article.
 - i. While the domestic industry has claimed that K-Value is the most important parameter, no PCN has been proposed on the basis of K-Value. The cost and price of various grades of PVC ranges between 15-20%.
 - ii. There is a need to devise PCN based on production process. However, other interested parties stated that the PCN-Wise assessment is not warranted in the present investigation.
 - iii. The product excluded from the scope of the product under consideration should be specifically mentioned in the duty table.
 - iv. Only the grades commercially produced and sold by the domestic industry during the period of investigation should be included within the scope of the product under consideration.

- v. Grade HRTP4000, LS070, LS170 and LS300 produced by LG Chem should be excluded from the scope of the product under consideration as it is ultra-high molecular weight PVC.
- vi. Grades SG840, SM760, SM76E and SM84E produced by TPE should be excluded from the scope of the product under consideration as they contain higher K-value compared to grades produced by the domestic industry. The price of such grades is higher than the grades supplied by the domestic industry. These grades are not produced by the domestic industry and are not commercially substitutable with the grades produced by the domestic industry.
- vii. Grades S-400 : KV51, S1007 : KV58, S1008 : KV61, S1004 : KV73, KS-1700 : KV77, KS-2500 : KV85 and KS-3000 : KV88 produced by Kaneka Corporation should be excluded from the scope of the product under consideration as like article for such grades is not produced by the domestic industry.
- viii. Grades TK-2500HE, GR-600S, GR-700S, TK-800, TK-500, TK-600, TK-1700E, TK-2000E, TK-2500LS, TK-2500HS, TK-2500PE, GR-800T, GR-1300T, GR-1300S, and GR-2500S produced by Shin-Etsu should be excluded from the scope of the product under consideration as the domestic industry does not produce a like article to these grades.
- ix. Grades ZEST 700Z, ZEST 1000Z and ZEST 1300SI produced by Tokuyama should be excluded from the scope of the product under consideration as the domestic industry does not produce a like article to these grades.
- x. Taiyo produces Ethylene and PVC Copolymer, EVA PVC Graft Copolymer and Modified High Polymerization PVC Resin which are copolymer PVC and cross-linked PVC, such products should be considered outside the scope of the product under consideration.
- xi. Grades TH-800, TH-1700, TH-2500, TH-2800, TH-3000 and TH-3800 produced by Taiyo should be excluded from the scope of the product under consideration as the domestic industry does not produce a like article to these grades.
- xii. Grade TL700 should be excluded from the scope of the product under consideration as it has a very low-K value which is not produced by the domestic industry.
- xiii. Grade WH800 produced by Wanhua should be excluded from the scope of the product under consideration as the same falls in the range of K-Value 60-64 which is not produced by the domestic industry.
- xiv. PVC resin off grade, PVC resin floor sweep, PVC resin pond resin (PVC off grade) should be excluded from the scope of the product under consideration as these are mixed with prime grades in order to produce flooring. Such product is imported in smaller quantities and is priced much lower than the prime grade.
- xv. PVC Suspension Resins with K value 57 should be excluded from the scope of the product under consideration since the same is not produced by the domestic industry.
- xvi. The domestic industry is not supplying K value 55 and 60 and such product should be excluded from the scope of the product under consideration.
- xvii. The scope of the product under consideration may be revised as the domestic industry has the capacity to manufacture PVC Suspension Resins with K-Value from 57 to 72 only.
- xviii. The reason for excluding mass polymerization from the scope of the product under consideration must be clarified since both are used to produce CPVC and have similar specifications and applications.
- xix. The user industry is using specialty grade of PVC Suspension Resins which are similar to characteristics of mass PVC for manufacturing C-PVC. Since the domestic industry is not supplying the same or technically and commercially substitutable grade, it should be excluded from the scope of the product under consideration.
- xx. The grades imported by Epigral are of higher porosity and higher apparent density. Such grades are not supplied by the domestic industry.
- xxi. The domestic industry also imports specialty grades for manufacturing C-PVC and does not use PVC manufactured by it captively. This is evident from the transcript of investors call of DCW Limited. Thus, such grades are not produced by the domestic industry.

C.2 Submissions made by the Domestic Industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article are as follows:

- i. The product under consideration is Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resins.
- ii. PVC Resins produced through emulsion polymerization process, bulk mass polymerization process and micro suspension polymerization process are excluded from the scope of the product under consideration.
- iii. The scope of the product under consideration excludes cross-linked PVC, CPVC, VC-Vac, PVC Paste Resins, Mass Polymerization PVC and PVC Blending Resin.
- iv. The subject goods are manufactured using vinyl chloride monomer which is polymerized through suspension process. Vinyl chloride monomer can be obtained through either EDC (ethylene) route or carbide route. In either case, the final product is the same.
- v. The product under consideration has a dedicated HS code 39041020. However, 17% of the imports of the product under consideration have been made under other HS Codes during the period of investigation.
- vi. There is no need for PCN wise analysis in the present investigation. Contrary submissions have been made by the other interested parties with regard to need for PCNs. Most of the interested parties have submitted that PCNs are not required.
- vii. As opposed to the submissions of the other interested parties, PCN based on production process is not required since the production process does not lead to change in price of the product and the difference is less than 5%.
- viii. As opposed to the submissions made by Hanwha, the price of product does not vary significantly between various K-values.
- ix. The domestic industry produces PVC Suspension Resins with K-Value between 57 and 75.5 and there is a + / - 1 K-value tolerance. The Authority may exclude product with K value below 56 and above 76 from the scope of the product under consideration.
- x. A product type can be excluded only if it is imported into India and a like article is not offered by the domestic industry. No exclusion is warranted for the product types not imported into India.
- xi. As opposed to the submissions of the other interested parties, there is nothing called a specialty grade of PVC Suspension resins. In case, an exclusion is given for “specialty grades”, the exporters may classify everything as specialty grade and circumvent the duty.
- xii. In case there were some “specialty grades” of PVC, the cost of production of such grades should have been different, but Epigral Limited has not filed any submission regarding different PCN for such grades.
- xiii. As analysed from import data, Epigral Limited has imported regular grade of the product under consideration which has also been imported by other consumers in India.
- xiv. Since DCW Limited commenced production of CPVC in the new plant, it is using its own PVC suspension resins for making CPVC. Further, the company used SPVC produced by other producers to test suitability of different SPVC for making CPVC. It is not regularly importing any foreign producer’s material for manufacturing of CPVC. DCW plans to use its own PVC suspension resins for production of CPVC.
- xv. DCW purchased SPVC from a number of traders during the period of investigation for testing the same in its CPVC plant. At this time, the domestic industry was testing use of SPVC for manufacturing CPVC.
- xvi. DCW Limited has used PVC suspension resins manufactured by various suppliers for manufacturing CPVC.
- xvii. Reliance Industries Limited is also setting up a new plant for C-PVC and plans to use captively produced PVC Suspension Resins.
- xviii. IS 17988 related to C-PVC does not mention any specialty grade for manufacturing C-PVC but only mentions PVC Suspension Resins. Further, even the investor call for Epigral Limited does not mention any specialty grade for C-PVC.
- xix. All domestic producers of the subject goods hold BIS licenses for manufacturing PVC Suspension resins and adhere to the standards specified.
- xx. BIS standards do not mention porosity or heat stability as one of the essential characteristics of PVC suspension resins.
- xxi. While DCW Limited holds BIS license to manufacture CPVC, Epigral Limited does not even hold a BIS license in this regard.

- xxii. Epigral Limited produces only 2 grades of CPVC, namely, MM67K and MM57K and has imported mass PVC as well as suspension PVC from various manufacturers. This establishes the interchangeability of different suspension resins for manufacturing CPVC.
- xxiii. Since PVC suspension resins are manufactured in batches, no two batches have exact same specifications which is evident from the range specified in BIS as well as TDS. Thus, Epigral has used PVC of different specifications to manufacture CPVC.
- xxiv. SPVC supplied by the Indian industry has porosity and apparent viscosity both lower and higher than grades imported by Epigral.
- xxv. Epigral cannot claim its viability based on dumped prices of PVC. Since it uses Mass PVC as well which is higher priced, its viability will not be impacted due to fair prices of PVC suspension resins.
- xxvi. Epigral has not shown that it has approached domestic producers of the product and tested their product for manufacturing CPVC and hence, found that the grades manufactured by the domestic industry are not appropriate for manufacturing CPVC.
- xxvii. The product manufactured by the domestic industry is commercially and technically substitutable and is being used by the consumers interchangeably. Thus, product produced by the domestic industry is like article to the product imported from the subject countries.

C.3 Examination by the Authority

6. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the product under consideration as “Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade)” also known as PVC Suspension Resin. This type of resin has various polymer chains that are not linked to each other. The product under consideration has also been referred to as “Poly Vinyl Chloride (PVC) Resin”, “Suspension Grade” or “PVC Suspension Resin”.
7. The Authority conducted a meeting dated 30th April, 2024 regarding scope of the product under consideration and PCN. Post receiving comments from all the interested parties, and after examining them, the scope of the product under consideration was modified vide notification dated 13th May 2024 to exclude certain product types. The Authority has considered the product under consideration as following for the purpose of the present investigation.

“Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerisation process with K-value above 55 and upto 77.”

8. The Authority notes that the other interested parties have requested exclusion for specialty grade of PVC Suspension Resins used for manufacturing C-PVC. The domestic industry has submitted that there is nothing called “specialty grade” of PVC Suspension Resins. As per the analysis of import data, and information made available by interested parties, Epigral has imported the grades of PVC Suspension Resins which have also been imported by other importers (non-manufacturers of C-PVC) in India, as well as by DCW Ltd during the post POI.
9. The Authority notes that the Bureau of Indian Standards has issued “IS 17988:2022” related to C-PVC. The relevant extract of the said standard is as below.

“5.1 Basic Resin: CPVC resin is manufactured by chlorination of PVC Homopolymer conforming to IS 17658”

The Authority notes that the standard does not refer to any specialty grade of PVC Suspension Resins for manufacturing C-PVC.

10. The Authority notes that as per the evidence on record, the domestic industry holds the BIS license for manufacturing PVC suspension resins and it produces the subject goods as per the specifications listed in the BIS standards. Further, the domestic industry has provided evidence of grade wise comparison of imported product with the product manufactured by the domestic producers. It is noted that the domestic producers of subject goods have produced like article to the product imported from the subject countries.
11. As per the evidence on record only DCW Limited holds license for manufacturing of CPVC. DCW Limited has provided evidence that it has used captive produced subject goods for manufacturing CPVC as well as used grades supplied by multiple producers. Thus, it is provisionally noted that there is no requirement for a specific grade of subject goods for manufacturing CPVC.
12. With regard to the submissions that the domestic industry does not manufacture and supply like article to grades used for manufacturing C-PVC, the Authority notes the following as per the press release of DCW Limited:

“DCW Limited's competitive edge lies in its ability to use its own S-PVC (Suspension PVC) as a raw material when market conditions are favourable. This capability guarantees a consistent quality and supply of inputs for CPVC production, further strengthening the company's position in the market.”

Hence, it is provisionally concluded that the domestic industry has the capacity to manufacture and supply grades used for manufacturing of C-PVC.

13. Further, the Authority notes that prior to issuance of the present preliminary findings, Epigral Limited had approached Hon'ble Gujarat High Court against the ongoing investigation for consideration of the exclusion request. The Hon'ble Court held that the petition filed was pre-mature, and was accordingly dismissed.
14. The Authority notes that Epigral Limited has requested exclusion of few grades of PVC Suspension Resins terming the same as “specialty grades”. Epigral has claim confidentiality with regard to its additional submissions on exclusion of specialised grades imported for manufacture of C-PVC. Such confidentiality claimed is excessive and thus, does not allow other interested parties including the domestic industry to rebut the claims made by Epigral. The Authority is advising to Epigral to share a proper non-confidential version of the submissions which allow reasonable understanding of the same. The Authority intends to examine the issue of exclusions requested by Epigral post circulation of such submissions and receiving comments from the domestic industry, thereafter.
 15. The interested parties may provide further information and evidence with regard to the possible need for exclusion of any grade. The authority would consider all the submissions made by Epigral, domestic industry and interested parties for the purpose of final determination, after providing opportunity of submissions by the interested parties and an opportunity of being heard orally.
16. The product under consideration in the present investigation excludes the following
 - i. Ultra-Low K-Value PVC Suspension Resins (K-value upto 55)
 - ii. Ultra-High K-Value PVC Suspension Resins (K-value above 77)
 - iii. Cross-linked PVC
 - iv. Chlorinated PVC (CPVC),
 - v. Vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAC),
 - vi. PVC paste resin/emulsion resins
 - vii. Mass Polymerisation PVC
 - viii. Polyvinyl Chloride Blending Resins.

Further, PVC resins manufactured through emulsion polymerisation, PVC resins manufactured through bulk mass polymerization, and PVC resins manufactured through micro suspension polymerization process are also excluded from the scope of the product under consideration.

17. PVC Suspension Resins is produced using suspension polymerization technology. In order to produce the subject goods, Vinyl Chloride Monomer (“VCM”) is converted into Vinyl Polymer through polymerization process. VCM is either produced using ethylene dichloride (“EDC”) or by using Calcium Carbide (“Carbide”). PVC produced via ethylene route as well as carbide route is included within the scope of the product under consideration.
18. The Authority notes that a number of interested parties have filed comments on requirement of PCN in the present investigation. Most of the interested parties have submitted that there is no requirement of PCN in the present investigation. The Authority notes that there have been a number of investigations into imports of the product under consideration from various countries in the past, and the Authority has not adopted any PCN in any of the past investigations.
19. The interested parties, which have requested for adoption of a PCN methodology, have based the same on K-Value and the production process. However, the foreign producers have not provided any information to show that there is a substantial difference in the costs of the products produced having different K-values. As per the data available on record, the cost and price of the product does not vary significantly between different K-Values. Further, the price of the product under consideration does not vary based on the production process as the final product manufactured using both the routes is the same and is used by the users interchangeably. Accordingly, there is no requirement of PCN in the present investigation.
20. With regard to the contention that certain grades produced by certain foreign producers must be excluded from the scope of the product under consideration, the Authority notes that the domestic industry has

provided evidence that it produces PVC Suspension Resins with K-value 57 and 75.5. The Authority has excluded ultra-low and ultra-high k-value which has not been manufactured by the domestic industry. The grades specified by the other interested parties with ultra-low K value and ultra-high K value have been automatically excluded with the said exclusions.

21. With regard to the grades which fall within the range of K-value included in the product under consideration, the Authority notes that the like article for such grade has been supplied by the domestic industry and hence, there is no need for exclusion of such product from the scope of the product under consideration.
22. With regard to exclusion of off-grade PVC, the Authority notes that off-grade product cannot be excluded from the scope of the product under consideration. Off-grade product is not produced specifically by any manufacturer but is a result of the normal production process of any article. Merely because a product has been sold as off-grade product, the same does not imply that it does not constitute product under consideration. It is also noted in this regard that the Authority has consistently held that the mere difference in quality is immaterial to decide the scope of the product under consideration. Further, exclusion of off-grade PVC is likely to lead to circumvention of anti-dumping duty. In any case, the interested parties have not provided any evidence to demonstrate that these lower quality grades are not competing with the like article manufactured by the domestic industry.
23. The subject goods are classified under Chapter 39 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975 under the Customs classification 3904 10 20. However, the product under consideration is also being imported under HS Codes 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 10 10, 3904 22 00, 3904 90 10, 3904 90 90, 3904 30 00 and 3904 21 10. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
24. The product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Even though there are different manufacturing process/technologies involved for production of the subject goods, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. The product produced by the domestic industry and imported into India from the subject country is technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry has been considered as like article to the product imported into India, in accordance with Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submission of other interested parties

25. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing.

D.2 Submissions made by the Domestic Industry

26. The submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing are as follows:
 - i. The application has been filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited.
 - ii. There are two other domestic producers in India, namely, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited. The other domestic producers have imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation. Thus, such producers should be considered ineligible for constituting the domestic industry in the present investigation.
 - iii. Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCW Limited produce the subject goods using the EDC Route, while DCM Shriram Limited produces the subject goods using the carbide route.
 - iv. The applicants have not imported the product under consideration from the subject countries and are not related to any importer in India or any exporter from the subject countries.
 - v. In case, the other domestic producers are considered ineligible, the applicants account for 100% production of like article in India.
 - vi. In case, the other domestic producers are not considered ineligible, the applicants still account for a major proportion of domestic production in India and thus, satisfy the requirement as per Rule 2(b) and Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.

D.3 Examination by the Authority

27. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as follows:

“(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers.”

28. The application for initiation of the present investigation has been filed by Chemplast Cuddalore Private Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited. The applicants have submitted that there are two other producers of the subject goods in India, that is Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited. It is noted that the applicants have not imported the product under consideration and are not related to any importer in India or any exporter from the subject countries.

29. The applicants have submitted that the other domestic producers have imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation. The Authority notes that the other domestic producers have not made any submissions in this regard. Accordingly, the Authority has relied upon the data received from DG Systems and the submissions made by the applicants. Since Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited are involved in importing the product under consideration, the Authority has, provisionally, considered them ineligible for the purpose of determining standing of domestic industry.

30. Accordingly, the Authority, provisionally, holds that for the purpose of this investigation, the applicants account for 100% of the domestic production in India and satisfy the standing requirement of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.

31. The Authority further notes that, in case, the production of Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited are considered for the purpose of determining standing, the applicants still account for major proportion of domestic production in India and thus, satisfy the requirement of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY**E.1 Submission of other interested parties**

32. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.

- i. The applicants have claimed excessive confidentiality as they have failed to share aggregate data for sales value, sales value and price for captive consumption, PBIT, interest and finance cost, depreciation and amortization expenses and calculation of non-injurious price and normal value.
- ii. The applicants have not provided sales quantity, price and value under two separate headings, that is, domestic sales – SSI and domestic sales – other than SSI.
- iii. The domestic industry has not disclosed the name of the producer whose information has been used to calculate the normal value for countries other than China PR.
- iv. The domestic industry has claimed the details of plant shutdown confidential when the information for DCW Limited is already in the public domain.
- v. While the applicants have claimed that they have not imported the product under consideration during the period of investigation, imports have been reported in Proforma IV-A which have been claimed confidential.
- vi. Quantum of anti-dumping duty considered for calculation of impact has not been disclosed.
- vii. The applicants have claimed the entire sentences confidential in the petition due to which the other interested parties are unable to comprehend the information submitted.
- viii. The domestic industry has not provided details of funds raised in the application.

E.2 Submissions made by the Domestic Industry

33. The submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality are as follows:

- i. A number of foreign producers have claimed the names of traders and exporters which have exported their product to India confidential.
- ii. A number of producers / exporters have claimed excessive confidentiality as they have not disclosed the distribution and marketing channel as well as details about related companies, nature of expenses claimed as adjustment, production process and names of raw material.
- iii. Product catalogue and brochure as well as list of products sold which is routinely shared with the customers have been claimed confidential.

- iv. A number of parties have not provided justification for confidentiality in accordance with Trade Notice 01/2013.
- v. A number of producers and exporters have claimed company affiliations, shareholding and names of producers of the product exported by them as confidential.
- vi. Details and nature of post invoicing discount given has been claimed confidential.
- vii. The other interested parties have not adhered to the requirement of Trade Notice 10/2018.
- viii. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd. has not provided the organization chart and structure to enable the domestic industry to comment upon the involvement of Government of China in the functioning of the entity. List of shareholders, details of whether raw material and utilities have been purchased from related or unrelated entity situated in China, selection procedure for recruitment of personnels and governing laws have been claimed confidential.

E.3 Examination by the Authority

34. Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

35. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
36. A list of all registered interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
37. With regard to the submissions that the domestic industry has not shared certain parameters, the Authority notes that certain parameters do not form part of the requirements notified vide Trade Notice No. 05/2021. With regard to the pricing information not disclosed by the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry has submitted that such information is business proprietary in nature and disclosure of same will adversely impact its interest in the market and provide an estimate of prices being charged and margins being retained by the applicants to other domestic producers, exporters as well as the consumers of the product. Disclosure of such average pricing would also allow the customers to benchmark the prices being paid by them, versus the average price in the market. The Authority has hence, accepted the confidentiality claim of the domestic industry in this regard.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Submission by the other interested parties

38. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
- i. The import data filed by the applicants in the form and manner that it was taken on record must be shared with the other interested parties.
 - ii. The applicants must submit and circulate updated petition for the period of investigation considered by the Authority in the initiation notification.

- iii. Initiation of the present investigation is without any basis as the applicants have not presented substantive evidence to prove condition of initiation of anti-dumping investigations.
- iv. The applicants are taking undue advantage of anti-dumping duty as the product has been subject to anti-dumping duty for a long period of time.
- v. There is a need to select a longer period of investigation as the PVC prices were low during the base year and increased significantly due to COVID-19. The prices have stabilized only in 2023.
- vi. The domestic producers in India have increased their prices after initiation of the present investigation.

F.2 Submissions made by the Domestic Industry

39. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.
 - i. PLEXCONCIL does not have *locus standi* as an interested party in the present investigation since it is an association of exporters and not importers or users and the submissions made by such association should not be considered.

F.3 Examination by the Authority

40. The other interested parties have submitted that the domestic industry must share the import data. The Authority notes that the domestic industry has relied upon its market intelligence at the time of filing the application and the summary of the import data has been shared with all the interested parties. A non-confidential summary of the same was shared with all interested parties. None of the interested parties have provided any cogent evidence to refute the information contained in the non-confidential version of the import data.
41. With regard to the contention that the domestic industry is required to file updated petition based on the period of investigation decided by the Authority in the initiation notification, the Authority notes that the domestic industry has submitted and circulated updated data based on the period of investigation considered by the Authority. There is no requirement for the domestic industry to file an updated petition post initiation of investigation. A petition is filed under Rule 5 of the Anti-Dumping Rules for the purpose of initiation of anti-dumping investigation. However, once the investigation is initiated, Rule 6 becomes applicable, which does not require the domestic industry to file a petition. In any case, the updated data has been circulated to all the interested parties and hence, no prejudice has been caused to the interest of any party.
42. The Authority does not find merit in contention of the other interested parties that the present investigation is initiated without any basis. The Authority notes that the domestic industry had submitted the *prima facie* evidence of dumping, injury and causal link in their application. Only after examining the *prima facie* evidence, the Authority proceeded to initiate the present investigation.
43. With regard to the contention that the applicants are taking undue advantage of trade remedial measures, the Authority notes that the subject goods have been subject to anti-dumping duty in various investigations. The anti-dumping duty has been recommended by the Authority on being satisfied with regard to evidence of dumping, injury and causal link. In each of the findings, the Authority has examined the relevant parameters and have come to a conclusion that the exporters have engaged in unfair trade practice of dumping. Accordingly, the anti-dumping duty has been recommended.
44. With regard to selection of longer period of investigation, the Authority has selected the period of investigation as per the Rules and trade notices. Since the Authority has examined the performance of the domestic industry as well as imports in the period of investigation compared to base year as well as year on year performance, no prejudice has been caused to the interest of any interested party for selecting a one year long period of investigation.
45. The Authority notes that the increase in selling price of the subject goods by the domestic producers have to be seen in light of the changes in the cost of sales of the subject goods. Mere change in selling price alone is not sufficient to show that the dumping of subject goods in India has stopped causing injury to the domestic industry.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1 Submissions by the other interested parties

46. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the market economy treatment, normal value, export price and dumping margin.
 - i. The dumping margin determined by the domestic industry is inflated and the actual data of the exporters must be used to determine the normal value, export price and dumping margin.

- ii. While Formosa Taiwan has participated in the present investigation, its related party Formosa USA has not exported to India during the period of investigation directly or indirectly and thus, has not filed a response.
- iii. China PR cannot be treated as a non-market economy the practice of treating China PR as a non-market economy was bound to expire on 11th December 2016.
- iv. Appellate Body report in Fastener case against EU has provided strong justification that China PR should automatically obtain market-economy status.
- v. Following the principles of “pacta sunt servanda”, India is obligated under the international law to recognize China PR as a market economy. Article 15 of China’s accession protocol clearly establishes that no country can treat China PR as a non-market economy post 11th December 2016. India does not have a legal basis to do otherwise.
- vi. The sampling has been notified at a belated stage, that is, after 80 days of the initiation, contrary to what has been provided for in the Manual.
- vii. Sufficient time has not been provided to the interested parties for filing comments on sampling notification.
- viii. Reason for not undertaking sampling in case of USA must be given, as the difference in approach taken for sampling for Japan and USA is arbitrary. Sampling of producers from Japan and not the US, indicates discretion contrary to the obligation under Rule 17(3).
- ix. Sampling must not be undertaken as the subject goods constitute of many grades, all of which are not produced by all of the producers.
 - x. Sampling was not undertaken in previous investigations with multiple subject countries.
- xi. In the Sunset Review Investigation of PVC from Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia, Thailand and USA, sampling was undertaken only for producers from China PR.
- xii. Since the exporters have filed voluntary responses, the same must be considered for determination of individual dumping margin in accordance with Rule 17 (3) of the AD Rules 1995 and Article 6.10.2 of Anti-dumping Agreement. The term “shall” used under Rule 17(3) creates a mandatory obligation to determine an individual dumping margin for a voluntary respondent.
- xiii. Tianjin and Wanhua Group must be sampled for individual margin as they have significant share in Indian market, are regular suppliers of the subject goods, and their exports are comparable to exports made by sampled exporters.
- xiv. Tianjin and Formosa Industries (Ningbo) Co. Ltd. are 100% FDI companies, unlike the sampled companies, and operate under market economy conditions. Formosa has also filed a Market Economy Treatment questionnaire.
- xv. Wanhua Group must be sampled as it produces the subject goods with an ethylene-based process, comparable with the domestic industry; which has higher prices and will be subject to a lower duty.
- xvi. The sample companies notified for China PR are located in North China. Yibin Haifeng Herui Co, (along with its related traders) are located in South China and operate on different costs and sales prices. Yubin Herui, Yibin Tianyuan and Yibin Tianyuan Materials must be included in the sample.

G.2 Submissions by the Domestic Industry

47. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to market economy treatment, normal value, export price and dumping margin:
 - i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China’s accession protocol, and the normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules.
 - ii. The normal value for the China PR has been determined based on cost of production of [DCM Shriram Limited] duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
 - iii. The normal value for other subject countries has been determined based on cost of production of [Chemplast Cuddalore Vinyls Limited] duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
 - iv. The applicants have made adjustments with regard to ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges and inland freight in order to determine ex-factory export price.

- v. The dumping margin is positive and significant.
- vi. 28 producers/exporters from China and 5 producers/exporters from Japan have filed questionnaire responses as per the interested party list, which is a high number to permit individual determination.
- vii. Given low volumes of exports by certain parties, it is obvious that their product profile and exports pattern is not representative of exports into India, in terms of both product profile and time period.
- viii. In the past, Chinese producers who have had negligible export volumes in the period of investigation, after getting individual lower duty, flood the Indian market, such as in the case of PET resin.
- ix. Global norm in sampling is to consider at most three companies:
 - a. In Ceramic Tiles from India, Europe originally considered three companies and refused to extend sampling size to four companies even following aggressive representations from the company at number 4.
 - b. In Wood Pulp from Canada, the MOFCOM refused to individually determine dumping margin for the company at number 3, even though the companies in the first three places were exporting almost equal volume.
 - c. In Ceramic Tiles and Sanitarywares, the GCC sampled three companies while keeping a reserve of 2 companies, as is the standard of practice in the GCC.
 - d. The USA considers more than two companies as 'unduly burdensome'. In the matter of Quartz Surface from India, out of 50 companies considered, investigation and determination of dumping margin was carried out only for two companies, the results of which were extended to the others.
- x. Filing of questionnaire response on voluntary basis cannot be grounds to determine individual dumping margin.
- xi. Exports of niche grade or special products cannot be grounds for inclusion in the sampled group as such supply would indicate that the response and the data of the company would not be representative of the responding companies and imports from China PR.

G.3 Examination by the Authority

48. The Authority had sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide the information in the form and manner prescribed by the Authority. Responses to questionnaire response has been filed by the following producers/exporters.
 - i. Inner Mongolia Chemical Industry Company Ltd.
 - ii. Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd.
 - iii. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.
 - iv. Formosa Plastics Corporation
 - v. Simosa International Co. Ltd.
 - vi. Itochu Plastics Pte., Ltd.
 - vii. ITOCHU Corporation
 - viii. ITOCHU (Thailand) Ltd.
 - ix. China General Plastics Corporation
 - x. CGPC Polymer Corporation
 - xi. Grand Dignity Industrial Co. Ltd.
 - xii. Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd.
 - xiii. Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd.
 - xiv. Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd.
 - xv. Grand Dignity
 - xvi. Chiping Xinfu Polyvinyl Chloride Co., Ltd
 - xvii. Chiping Xinfu Huaxing Chemical Co., Ltd
 - xviii. Shandong Xinfu Import & Export Co., Ltd

- xix. Jiali Bio Group (Qingdao) Limited
- xx. Yue Xiu Textiles Co., Ltd
- xxi. Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd
- xxii. Zhong Tai International Development (HK) Limited
- xxiii. Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd
- xxiv. Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
- xxv. Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
- xxvi. Joc International Technical Engineering Co., Ltd.
- xxvii. Tianjin Lg Bohai Chemical. Co. Ltd
- xxviii. LG Chem, Ltd.
- xxix. Canko Marketing
- xxx. TS Corporation
- xxxi. Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd
- xxxii. Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.
- xxxiii. Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co
- xxxiv. Henan Pulite Import And Export Trade Co., Limited
- xxxv. Chemdo Group Company Limited
- xxxvi. United Raw Material Pte. Ltd.
- xxxvii. Cosmoss Vu Limited
- xxxviii. Tun Wa Industrial Co. Ltd.
- xxxix. SAR Overseas Limited
- xl. Kaneka Corporation
- xli. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
- xlii. Taiyo Vinyl Corporation
- xliii. Tokuyama Corporation
- xliv. Tokuyama Sekisui Co. Ltd
- xlv. Tosoh Nikkemi Corporation
- xlvi. Mitsui & Co., Ltd
- xlvii. Mitsubishi Corporation
- xlviii. IVICT (Singapore) Pte. Ltd
- xlix. Kanematsu Corporation
- l. Marubeni Corporation
- li. Sojitz Asia Pte Limited
- lii. PT Asahimas Chemical
- liii. AGC Vinythai Public Limited Company
- liv. GCM Polymer Trading DMCC Company Limited
- lv. PTT Global Chemical Public Company Limited
- lvi. Thai Polyethylene Co. Ltd
- lvii. Thai Plastics and Chemicals Plc.
- lviii. Qingdao Haiwan Chemical Co. Ltd.
- lix. CNSIG Jiltani Chlor – Alkali Chemical Co. Ltd.

- ix. China Salt Chemical International Trading Co. Ltd.
- lxi. Yibin Haifeng Herui Co. Ltd.
- lxii. Yibin Tianyuan Materials Industry Group Ltd.
- lxiii. Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.
- lxiv. Tianjin Bohua Chemical Developments
- lxv. Cheongfuli (Hongkong) Company Limited
- lxvi. Hanwa Corporation
- lxvii. Stavian Chemical JSC
- lxviii. Sunshine International Pvt Ltd
- lxix. Texpo International Limited
49. As per the provisions of Rule 17, while the Authority shall determine individual dumping margin in respect of all those producers/exporters who have filed questionnaire responses, in a situation where a large number of producers/ exporters have filed questionnaire responses, the Authority may resort to sampling by limiting the response to a limited number of producers. The Rules provides as follows in this regard.
- 17(3) The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation:*
- Provided that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned :*
- Provided further that the designated authority shall, determine an individual margin of dumping for any exporter or producer, though not selected initially, who submit necessary information in time, except where the number of exporters or producers are so large that individual examination would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation.*
50. In view of the large number of responses, the Authority considered sampling of producers. The same was proposed vide notification dated 28th August 2024. After receiving comments from various parties, the sampled producers were notified vide notification dated 23rd September 2024. The sample considered was based on the volume of exports to India, with the producers having the largest volume of exports, being considered as a part of the sample. The Authority notes that even though only three producers are selected within sample, the number of producers/exporters, for whom duty would be quantified, is much higher.
51. The interested parties have contended that the time allowed for furnishing comments on sampling was too low. The Authority notes that 2 working days were allowed to all interested parties. However, no request for further time was received from any party.
52. Some of the interested parties have questioned why no sampling has been proposed for USA. The Authority notes that in case of USA, a response has been filed by only three producer groups (that is, producer and their affiliates). Therefore, there was no cause for sampling for USA.
53. As regards the request for inclusion on the grounds that the company has supplied Specialty products or the product profile forming part of the sample should be comprehensive, the Authority notes that there is no such obligation under Rule 17(3). The Authority notes that the fact of supply of a specialty grade does not justify inclusion of such company for individual determination. In a situation where adoption of a PCN methodology was not considered necessary, there can be no cause for consideration of a producer as a part of the sample based on the product type supplied. In any case, the Rules also allow the Authority to limit determination to certain product types as well.
54. Certain interested parties have contended that the Authority has undertaken individual determination of dumping margin for much larger number of producers or exporters in the past in other investigation. However, the fact that a large number of producers were investigated in the past does not imply that the Authority is barred from resorting to sampling in the present case.
55. The Authority also does not find merit in the contention of the interested parties that there is a mandatory obligation to consider voluntary responses filed an accord an individual dumping margin to all exporters.

Rule 17(3) and its proviso make it amply clear that the Authority may limit examination to certain exporters, where necessary in the interest of timely completion of the investigation.

56. Tianjin LG Bohai has claimed that it is a 100% FDI company, and thus, cannot be equated with producers operating under non-market economy conditions. However, the Authority notes that Tianjin has not claimed market economy treatment in the present case.
57. As regards claim of Formosa that it is also a 100% FDI and has claimed market economy treatment, the Authority notes that its exports comprise less than ***% of the total exports by cooperative producers to India during the period of investigation. Therefore, the consideration of Formosa for individual examination would not be appropriate.
58. Lastly, with regard to the geographical location, the Authority notes that there is no requirement that the Authority consider geographical location of the exporters, in the determination of appropriate sample of producers to be considered. On the contrary, the global practice indicates that the volume of exports is the criteria relied upon by investigating authorities across jurisdictions, to determine the sample for which margin is determined.
59. In view of the foregoing, the Authority selected three producers from China PR and Japan along with their associated exporters for determining individual dumping margin, on the basis of the largest percentage of the volume of exports to India during the investigation period. The following producers were sampled by the Authority from China.
- i. Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.
 - ii. Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd., China PR
 - iii. Chiping Xinfra Polyvinyl Chloride Co. Ltd., China PR
60. The following producers were sampled by the Authority from Japan.
- i. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd, Japan
 - ii. Kaneka Corporation, Japan
 - iii. Taiyo Vinyl Corporation, Japan

G.3.1 Determination of normal value and export price for China

Normal Value for China PR

61. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

62. The applicants have cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, the production and the sale of the product under consideration. It has been stated by the applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
63. None of the sampled producers have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which state as follows.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

64. While the applicants have claimed that the normal value should be determined on the basis of price payable in India. The other interested parties have not adduced any other basis, amongst that listed under paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which may form basis of determination of normal value.
65. Para 7 lays down a hierarchy for the determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under para 7. There is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Apart from the subject countries in the present investigation, imports into India from other countries are low in volume. Thus, imports into India from the market economy third country could not be considered for determination of normal value.
66. Therefore, the Authority has determined the normal value for the subject imports in China PR as "price actually payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Determination of Export Price

67. As stated above, the Authority considered the following producers and their associated exporters for the determination of individual margins.

S. No.	Name of the producers	Name of the associated affiliated / unaffiliated producers / exporters
1.	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	Chemdo Group Company Limited Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited

		Cosmoss Vu Limited Hanwha Corporation Itochu Plastics Pte Ltd Marubeni Corporation SAR Overseas Ltd Texpo International Limited Tricon Energy Ltd USA United Raw Material Pte Ltd Yue Xiu Textiles Company Limited Zhejiang Hengdian (HK) Import and Export Co. Ltd. Sunshine International Private Limited
2.	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited Cosmoss Vu Ltd Hanwha Corporation Marubeni Corporation SAR Overseas Ltd Stavian Chemical Joint Stock Company Sun Shine International Pvt Limited. Texpo International Limited Tricon Energy Ltd Yue Xiu Textiles Co., Ltd
3.	Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co. Ltd.	Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited Cosmoss Vu Limited Hanwha Corporation Itochu Plastics Pte.,Ltd Jiali Bio Group (Qingdao) Limited SAR Overseas Ltd Shandong Xinfa Import&Export Co.,Ltd Stavian Chemical Joint Stock Company Texpo International Limited Tun Wa Industrial Co., Ltd United Raw Material Pte Ltd Yue Xiu Textiles Co.,Ltd

Export price for Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.

68. Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd. (Qingdao Haiwan) is the producer of the product under consideration and has exported *** MT of the subject goods to India directly and *** MT through unrelated exporters. Of the total exporters involved, only the following exporters have furnished a response with respect to the export of goods produced by Qingdao Haiwan.

- i. Chemdo Group Company Limited
- ii. Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited
- iii. Cosmoss Vu Limited

- iv. Hanwha Corporation
- v. Itochu Plastics Pte Ltd
- vi. Marubeni Corporation
- vii. SAR Overseas Ltd
- viii. Sun Shine International Pvt Limited
- ix. Texpo International Limited
- x. Tricon Energy Ltd USA
- xi. United Raw Material Pte Ltd
- xii. Yue Xiu Textiles Company Limited
- xiii. Zhejiang Hengdian (HK) Import and Export Co. Ltd.

69. It is noted that Zhejiang Hengdian (HK) Import and Export Co. Ltd. has not furnished a full response to the questionnaire, and has only submitted Appendix 3A. Further, some of traders who have exported subject goods to India sourced from Qingdao Haiwan have not cooperated before the Authority. The Authority has determined the export price and landed price for such exports based on the information furnished. The Authority has examined the profitability statements of unrelated traders, and in cases, an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

70. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Qingdao Haiwan for sales to India directly, or through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland transportation, and bank charges, to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters/traders, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price provisionally determined is mentioned in the table below.

Export price for Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.

71. Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd. (Tianjin Bohua) is the producer of the product under consideration and has exported *** MT of the subject goods to India directly and *** MT through unrelated exporters. Of the total exporters involved, only the following exporters have furnished a response with respect to the export of goods produced by Tianjin Bohua.

- i. Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited
- ii. Cosmoss Vu Ltd
- iii. Hanwha Corporation
- iv. Marubeni Corporation
- v. SAR Overseas Ltd
- vi. Stavian Chemical Joint Stock Company
- vii. Sun Shine International Pvt Limited.
- viii. Texpo International Limited
- ix. Tricon Energy Ltd
- x. Yue Xiu Textiles Co., Ltd

72. It is noted that some of traders who have exported subject goods to India sourced from Tianjin Bohua have not cooperated before the Authority. The Authority has determined the export price and landed price for such exports based on the information furnished. The Authority has examined the profitability statements of unrelated traders, and in cases, an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

73. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Tianjin Bohua for sales to India directly, or through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, and port and other related expenses to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price

provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for Chiping Xinfra Polyvinyl Chloride Co., Ltd.

74. Chiping Xinfra Polyvinyl Chloride Co. Ltd. (Chiping Xinfra) is the producer of the product under consideration and has exported *** MT of the subject goods to India directly and remaining through one related exporter, namely Shandong Xinfra Import & Export Co., Ltd., and 49 unrelated exporters. However, of this, only the following exporters have furnished a response with respect to export of goods produced by Chiping Xinfra.
- i. Cheongfuli (Hong Kong) Company Limited
 - ii. Cosmoss Vu Limited
 - iii. Hanwha Corporation
 - iv. Itochu Plastics Pte.,Ltd
 - v. Jiali Bio Group (Qingdao) Limited
 - vi. SAR Overseas Ltd
 - vii. Shandong Xinfra Import & Export Co., Ltd. (related)
 - viii. Stavian Chemical Joint Stock Company
 - ix. Texpo Internationai Limited
 - x. Tun Wa Industrial Co., Ltd
 - xi. United Raw Material Pte Ltd
 - xii. Yue Xiu Textiles Co., Ltd
 - xiii. Zhejiang Hengdian (HK) Imp.& Exp. Co., Ltd.
75. It is noted that some of traders who have exported subject goods to India sourced from Chiping Xinfra have not cooperated before the Authority. The Authority has determined the export price and landed price for such exports based on the information furnished. The Authority has examined the profitability statements of unrelated traders, and in cases, an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.
76. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Chiping Xinfra for sales to India directly, or through unrelated exporters. Adjustments have been made for inland transportation, port and other related expenses, and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. Where the volume reported by the producer did not reconcile with the volume reported by the exporter, the landed price and export price for such volume have also been determined based on facts available. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for Chiping Xinfra Huaxing Chemical Co., Ltd

77. During the POI, Chiping Xinfra Huaxing Chemical Co., Ltd., has sold *** MT subject goods to India. Out of which producer/exporter has sold *** MT directly to India and remaining was exported indirectly through an unrelated exporter/trader namely, Yue Xiu Textiles Co., Ltd. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost to arrive at export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

For all other producers / exporters from China PR

78. The dumping margin for all other cooperative non-sampled producers has been determined based on the weighted average margin for the cooperative sampled producers. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.2 Determination of normal value and export price in Indonesia**Normal value for Indonesia****Normal value for PT Asahimas Chemical**

79. PT Asahimas Chemicals (Asahimas) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. Asahimas has claimed price adjustments on account of commission, freight cost, insurance, warehousing cost, license fee, bank charges and credit cost. The adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. Thus, the normal value at ex-factory level for Asahimas has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for PT TPC Indo Plastic and Chemicals

80. PT TPC Indo Plastic and Chemicals (TPC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on price of profitable sales. TPC has claimed price adjustments on account of freight cost, insurance, bank charges and credit cost. The adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. Thus, the normal value at ex-factory level for TPC has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for all other producers / exporters in Indonesia

81. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Indonesia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Indonesia**Export price for PT Asahimas Chemical**

82. Asahimas has exported *** MT of the subject goods to India, through the following three unrelated exporters.
Asahimas → IVICT(Singapore) Pte. Ltd. → Unrelated customers in India
Asahimas → Itochu (Thailand) Ltd. → Unrelated customers in India
Asahimas → Marubeni Corporation → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

83. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by PT Asahimas Chemical for sales to unrelated exporters. Adjustments have been made for commission, ocean freight, inland freight, insurance, license fee, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for PT TPC Indo Plastic and Chemicals

84. TPC has exported *** MT of the subject goods to India directly. The price charged by TPC for sales has been considered for determination of export price. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, packing cost, commission, bank charges, credit cost and other expenses to arrive at the ex-factory price. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for all other producers / exporters in Indonesia

85. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Indonesia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.3 Determination of normal value and export price in Japan**Normal value for Japan**

86. As stated above, the Authority has sampled following producers for the determination of individual margins.

Sl. No.	Name of the producers	Name of the associated affiliated / unaffiliated producers / exporters
1.	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	Itochu Corporation Mitsubishi Corporation
2.	Kaneka Corporation	Itochu Corporation Kanematsu Corporation Marubeni Corporation Mitsui & Co., Ltd. Mitsubishi Corporation
3.	Taiyo Vinyl Corporation	Itochu Corporation Kanematsu Corporation Marubeni Corporation Mitsubishi Corporation Mitsui & Co., Ltd. Sojitz Corporation Tokuyama Sekisui Co., Ltd.

Normal value for Kaneka Corporation

87. Kaneka Corporation (Kaneka) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. Kaneka has sold the subject goods to affiliates in the domestic market, as well as under swap agreement with Tokuyama Sekisui Co., Ltd. to Sekisui Chemical. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and excluded transactions which were not found to be at arm's length prices, as being outside the ordinary course of trade. Having excluded such transactions, the Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.
88. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. Kaneka has claimed price adjustments on account of rebates, freight cost, storage cost, commission and credit cost. The adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. Thus, the normal value at ex-factory level for Kaneka has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

89. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SECL) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. However, SECL has sold the subject goods to affiliates in the domestic market, as well as under swap agreement with Tokuyama Sekisui Co., Ltd. to Sekisui Chemical. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and excluded transactions which were not found to be at arm's length prices, as being outside the ordinary course of trade. Having excluded such transactions, the Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.
90. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since

more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. SECL has claimed price adjustments on account of rebates, credit notes, freight cost, insurance, handling charges, storage cost, packing cost and credit cost. The adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. Thus, the normal value at ex-factory level for SECL has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for Taiyo Vinyl Corporation

91. Taiyo Vinyl Corporation (Taiyo Vinyl) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. Taiyo Vinyl is affiliated to another producer of the subject goods in Japan, namely Tokuyama Sekisui Co., Ltd. (Tokuyama). Tokuyama has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, while exporting *** MT of the subject goods to India. However, all exports to India were made through its affiliate, Sekisui Chemical Co. Ltd., which has not participated in investigation. In the absence of cooperation by all affiliates forming part of the channel of distribution, the Authority provisionally finds that no individual duty rate can be determined for Taiyo Vinyl.

Normal value for all other producers / exporters in Japan

92. The dumping margin for all other cooperative non-sampled producers has been determined based on the weighted average margin for the cooperative sampled producers. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for Japan

Export price for Kaneka Corporation

93. Kaneka has exported *** MT of the subject goods to India directly and *** MT, through the following five unrelated exporters.

Kaneka → Itochu Corporation → Unrelated customers in India

Kaneka → Kanematsu Corporation → Unrelated customers in India

Kaneka → Marubeni Corporation → Unrelated customers in India

Kaneka → Mitsubishi Corporation → Unrelated customers in India

Kaneka → Mitsui & Co. Ltd. → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits. Where an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

94. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Kaneka for sales to unrelated customers in India and through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, storage cost, packing cost, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

95. SECL has exported *** MT of the subject goods through the following two unrelated exporters.

SECL → Itochu Corporation → Unrelated customers in India

SECL → Mitsubishi Corporation → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits. Where an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

96. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by SECL for sales to unrelated customers in India and through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, storage cost, packing cost, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price provisionally determined

is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for all other producers / exporters in Japan

97. The dumping margin for all other cooperative non-sampled producers has been determined based on the weighted average margin for the cooperative sampled producers. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.4 Determination of normal value and export price in Korea RP

Normal value for Korea RP

Normal value for LG Chem Ltd.

98. LG Chem Ltd. (LG) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 20% sales were made at profits, the normal value has been determined based on cost of production with a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. The normal value at ex-factory level for LG has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal Value for Hanwha Solutions Corporation, Korea RP

99. Hanwha Solutions Corporation (HSC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined after removing the loss-making transactions and profit-making transactions were only considered for computation of normal value. The normal value at ex-factory level for HSC has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for all other producers / exporters in Korea RP

100. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for Korea RP

Export price for LG Chem Ltd.

101. LG has exported *** MT of the subject goods directly and *** MT through the following two unrelated exporters.

LG → Canko Marketing → Unrelated customers in India

LG → TS Corporation → Unrelated customers in India

The Authority has examined the profitability statements of unrelated traders, and in cases, an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted.

102. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by LG for sales to unrelated customers in India and through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, port expenses, packing cost, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of unrelated exporter, as applicable. The producer had also claimed adjustment towards duty drawback. However, the same has not been allowed. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export Price for Hanwha Solutions Corporation, Korea RP

103. HSC has exported *** MT of the subject goods directly and *** MT through the one related exporter and three unrelated exporters as follows:

HSC - Hanwha Corporation (Related) - Unrelated customers in India

HSC – N H International (Unrelated) - Unrelated customers in India

HSC – Tricon Energy Ltd (Unrelated) - Unrelated customers in India

HSC – Itochu Plastics Pte Ltd (Unrelated) - Unrelated customers in India

The Authority has examined the profitability statements of unrelated traders, and in cases, an unrelated exporter has resold the goods at a loss, the loss of such exporter has been adjusted. .

104. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by HSC for sales to unrelated customers in India and through related/unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, port expenses, packing cost, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price, in addition to loss of related/unrelated exporter, as applicable. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for all other producers / exporters in Korea RP

105. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.5 Determination of normal value and export price in Taiwan

Normal value for Taiwan

Normal value for China General Plastics Corporation and CGPC Polymer Corporation

106. China General Plastics Corporation (CGPC) and CGPC Polymer Corporation (CGPCP) are affiliated producers of the subject goods in Taiwan. During the period of investigation, CGPC has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. CGPCP has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. However, CGPCP has sold a small volume of goods to affiliate parties as well. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and found that the price of sales to affiliates were not materially different than the price of sales to unaffiliated parties. The Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.
107. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 20% sales were made at profits by CGPC, the normal value has been determined based on cost of production, with a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. Since more than 80% sales were made at profits by CGPCP, the normal value has been determined based on average selling price. CGPC and CGPCP have claimed price adjustments on account of inland freight, packing cost, bank charges and costs of technical support department. The adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. Thus, the weighted normal value at ex-factory level for CGPC and CGPCP have been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for Formosa Plastics Corporation

108. Formosa Plastics Corporation (Formosa) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. Formosa has sold the subject goods to affiliates in the domestic market. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and excluded transactions which were not found to be at arm's length prices, as being outside the ordinary course of trade. Having excluded such transactions, the Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.
109. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. Formosa has claimed price adjustments on account of inland freight, packing cost and credit cost. The adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. Thus, the normal value at ex-factory level for Formosa has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for Ocean Plastics Co. Ltd.

110. Ocean Plastics Co., Ltd. (OPC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 20% sales were made at profits, the normal value has been determined based on cost, with a reasonable addition for selling, general and administrative expenses and profits. Thus, the normal value at ex-factory level for OPC has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for all other producers / exporters in Taiwan

111. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for Taiwan**Export price for China General Plastics Corporation and CGPC Polymer Corporation**

112. CGPC has exported *** MT of the subject goods to India, of which *** MT was exported directly, and the balance through the following 3 unrelated exporters.

CGPC → Tricon Energy Limited → Unrelated customers in India

CGPC → Grand Dignity Industrial Co. Ltd. → Unrelated customers in India

CGPC → Magnate Merchant Ltd. → Unrelated customers in India

Of the above, Magnate Merchant Ltd. has not cooperated with the Authority. However, the exporter constitutes an insignificant share of the total exports of CGPC. The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

113. CGPCP has exported *** MT of the subject goods to India, of which *** MT was exported directly, and the balance through the following 4 unrelated exporters.

CGPC → Tricon Energy Limited → Unrelated customers in India

CGPC → Grand Dignity Industrial Co. Ltd. → Unrelated customers in India

CGPC → Sun Shine International Pvt. Limited → Unrelated customers in India

CGPC → Al Kanooz Enterprise LLC → Unrelated customers in India

Of the above, Al Kanooz Enterprise LLC has not cooperated with the Authority. Further, while Tricon Energy Limited has participated, the volume reported by the exporter does not reconcile with that reported by the producer. Accordingly, the Authority has not considered the response of Tricon Energy Limited, to the extent of volume exported by CGPCP. However, the two exporters constitute an insignificant share of the total exports of CGPCP. The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

114. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by CGPC and CGPCP for sales to unrelated customers in India and through unrelated exporters. Adjustments have been made for discount, ocean freight, inland freight, insurance, port and handling charges, harbor service fee, trade promotion fee, low sulphur surcharge, packing cost, commission and bank charges to arrive at the ex-factory price. The producer has also claimed an adjustment towards differences in quantity. However, pending verification of the claim, the Designated Authority has provisionally not allowed such adjustment. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for Formosa Corporation Limited

115. Formosa has exported *** MT of the subject goods to India directly, and *** MT through the following four unrelated exporters.

Formosa → Simosa International Co. Ltd. → Unrelated customers in India

Formosa → Tricon Energy Ltd → Unrelated customers in India

Formosa → Reliance International Limited → Unrelated customers in India

Formosa → Renuka Agencies Limited → Unrelated customers in India

However, of the above, Reliance International Limited and Renuka Agencies Limited have not participated with the Authority. Further, the volume reported to having been exported through Tricon Energy Ltd. did not reconcile with that reported by the exporter, and thus, the exporter was not considered as cooperative. Exports through the non-cooperative exporters are insignificant in relation to the total exports by Formosa. The Authority also examined and confirmed that the cooperative unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

116. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale charged by Formosa for sales to unrelated customers in India and for exports through unrelated exporters. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, brokerage and documentation fee, harbor service fee, trade promotion fee, LC negotiation interest, packing cost, commission, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price. The producer has also claimed an adjustment towards differences in quantity. However, pending verification of the claim, the Designated Authority has provisionally not allowed such adjustment. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for Ocean Plastics Co. Ltd.

117. OPC has exported 53,985 MT of the subject goods to India directly during the period of investigation. Accordingly, the export price has been determined based on the price of sale by OPC to unrelated customers in India. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, port and other related expenses, and credit cost to arrive at the ex-factory price. The landed price has been determined based on the price charged to the customer in India. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for all other producers / exporters in Taiwan

118. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.6 Determination of normal value and export price in Thailand

Normal value for Thailand

Normal value for AGC Vinythai Public Co. Ltd.

119. AGC Vinythai Public Co., Ltd. (AGC) sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on the price of profitable sales. AGC has claimed price adjustments on account of rebates, credit notes, debit notes, inland freight, handling charges, storage cost, packing cost, bank charges and credit cost. The adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. Thus, the normal value at ex-factory level for AGC has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for Thai Plastics & Company Limited

120. Thai Plastics & Company Limited (TPC) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India., TPC has sold the subject goods to affiliates in the domestic market. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and found that the sales to affiliates were made at arm's length prices. The Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.
121. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. TPC has claimed price adjustments on account of freight cost, credit cost and other expenses. The

adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. Thus, the normal value at ex-factory level for TPC has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for all other producers / exporters in Thailand

122. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for Thailand

Export price for AGC Vinythai Public Co. Ltd.

123. AGC has exported *** MT of the subject goods to India during the period of investigation. Of this, *** MT has been exported directly, while the balance has been exported through the following four exporters.

AGC → Marubeni Corporation (unrelated) → Unrelated customers in India

AGC → Mitsui & Co., Ltd. (unrelated) → Unrelated customers in India

AGC → GCM Polymer Trading DMCC (related) → Unrelated customers in India

AGC → PTT Global Chemical PCL (related) → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

124. For direct sales by AGC, and sales through unrelated exporters, the export price has been determined based on the price charged by AGC for sales from the unrelated customer. However, in case of sales made by related exporter, the export price has been determined based on the price charged by the related exporter for sales to the unrelated customer. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, storage cost, packing cost, commission, bank charges and credit cost to arrive at the ex-factory price. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for Thai Plastics & Company Limited

125. TPC has exported *** MT of the subject goods to India during the period of investigation, through its affiliated trader Thai Polyethylene Co., Ltd. (TPE). Of this, TPE has exported *** MT directly, and the balance through the following three unrelated exporters.

TPC → TPE → SAR Overseas Limited → Unrelated customers in India

TPC → TPE → Tricon Energy Limited → Unrelated customers in India

TPC → TPE → Tun Wa Industrial Co. Limited → Unrelated customers in India

Tun Wa Industrial Co. Limited has not cooperated with the Authority. However, exports through Tun Wa are insignificant in relation to the total exports by TPC. The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

126. For sales made by TPE directly to India, and through unrelated exporters, the export price has been determined based on the price charged by the related exporter, TPE, for sales to the unrelated customer. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, packing cost, commission, bank charges, credit cost and other expenses to arrive at the ex-factory price. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for all other producers / exporters in Thailand

127. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.7 Determination of normal value and export price in USA**Normal value for USA****Normal value for Oxy Vinyls, L.P.**

128. The Authority notes that the company has provided month-wise summary information with regard to domestic sales, and export sales to India. It is mandatory to provide the transaction-wise domestic sales information to enable the Authority to carry out ordinary course of trade test. In the absence of transaction-wise information, the Authority is unable to determine the normal value. As the company has failed to provide the relevant information in the prescribed format in the form and manner prescribed, the response submitted by the company is considered grossly deficient, and thus, the Authority is unable to accept the response filed by Oxy Vinyls, L.P, and no separate dumping and injury margin is determined for Oxy Vinyls, L.P. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for Shintech, Inc.

129. Shintech Inc. (Shintech) has sold *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported *** MT of the subject goods to India. Shintech has sold the subject goods to affiliates in the domestic market. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and found that the sales to affiliates were made at arm's length prices. The Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.
130. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Since more than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on average selling price. Shintech has claimed price adjustments on account of credit notes, inland freight, packing cost and credit cost. The adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. Thus, the normal value at ex-factory level for Shintech has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for Westlake Chemicals & Vinyls LLC, Westlake Vinyls Company, LP and Westlake Vinyls, Inc

131. Westlake Chemicals & Vinyls LLC (Wchem), Westlake Vinyls Company, LP (Wvinc) and Westlake Vinyls, Inc (Winy), collectively referred hereinafter as Westlake Group, sold *** MT, *** MT, and *** MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation respectively. Westlake Group has sold the subject goods to affiliates in the domestic market. The Authority examined whether such transactions were made on arm's length basis, and excluded transactions which were not found to be at arm's length prices, as being outside the ordinary course of trade. Having excluded such transactions, the Authority notes that the domestic sales in ordinary course of trade are in sufficient volumes when compared with exports to India.
132. To determine the normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. In case of Wchem and Wvinc, since less than 20% sales were made at profits, the normal value has been determined based on the cost of production, with a reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. However, in case of Wviny, since more than 80% of the sales were made at profits, the normal value has been determined based on the average selling price. Wviny has claimed price adjustments on account of inland freight, handling charges, rebates, credit cost and other expenses. The adjustments claimed have been provisionally allowed for the purpose of the present preliminary findings. A weighted average normal value was determined for Westlake Group. Thus, the normal value at ex-factory level for Westlake Group has been provisionally calculated as mentioned in the dumping margin table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Normal value for all other producers / exporters in USA

133. The normal value for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Export price for USA**Export price for Shintech Inc.**

134. Shintech has exported *** MT of the subject goods to India during the period of investigation, through its affiliated trader Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SECL). SECL has, in turn, exported the subject goods to India through the following 2 unrelated exporters.

Shintech → SECL → Itochu Corporation → Unrelated customers in India

Shintech → SECL → IVICT (Singapore) Pte. Ltd. → Unrelated customers in India

The Authority also examined and confirmed that the unrelated exporters have resold the product under consideration at profits.

135. The export price has been determined based on the price charged by the related exporter, SECL, for sales to the unrelated customers. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, packing cost, bank charges and credit cost. The landed price has been determined based on the price charged by the ultimate exporter to the customer in India. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for Westlake Chemicals & Vinyls LLC, Westlake Vinyls Company, LP and Westlake Vinyls, Inc

136. Westlake has exported *** MT of the subject goods to India directly or indirectly through the following 12 channels.

Westlake Group → Unrelated customers in India

Westlake Group → Continental Industries → Unrelated customers in India

Westlake Group → COPAP USA → COPAP Inc → Unrelated customers in India

Westlake Group → COPAP USA → Sigma Trade Finance Inc. → Unrelated customers in India

Westlake Group → Itochu Plastics Pte Ltd. → Unrelated customers in India

Westlake Group → Marubeni America Corporation → Marubeni Corporation → Unrelated customers in India

Westlake Group → Reliance International

Westlake Group → Resin Technology

Westlake Group → SAR Overseas Limited

Westlake Group → Stavian Chemical JSC → Unrelated customers in India

Westlake Group → Tricon Energy Limited → Unrelated customers in India

Westlake Group → Vinmar International LLC → Unrelated customers in India

Of the above, Reliance International and Resin Technology have not cooperated before the Authority. Further, while SAR Overseas Limited has cooperated with the Authority, it has not reported any exports of goods produced by Westlake Group to India. It is further noted that COPAP USA, COPAP Inc and Sigma Trade Finance Inc. are related to each other. Further, Marubeni America Corporation and Marubeni Corporation are related to each other.

137. To determine the export price and landed price, the Authority considered the price at which the ultimate exporter has sold to the customer in India. The export price was adjusted appropriately to arrive at the ex-factory price. Adjustments have been made, as claimed for each channel, for debit / credit notes, ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, storage cost, courier fee, liability amount, surveyor cost, packing cost, commission, LC discounting charges, LC fees, discounting charges, seller risk insurance, interest expense, bank charges, credit cost and other expenses to arrive at the ex-factory price. Further, the selling, general and administrative expenses and profits of the exporters / traders forming part of the channel of sales have been adjusted. However, for the volume exported through non-cooperative exporters, the Authority has determined the export price and landed price based on facts available. The export price provisionally determined is mentioned in the table below. However, the submissions made by the producer/exporter would further be examined during the course of investigation for the purpose of final findings.

Export price for all other producers / exporters in USA

138. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.8 Dumping Margin

139. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

S. No.	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	(Range%)
A	China PR					
1	Chiping Xinfra Polyvinyl Chloride Co., Ltd	***	***	***	***	50-60
2	M/s Chiping Xinfra Huaxing Chemical Co., Ltd	***	***	***	***	30-40
3	Chiping Group	***	***	***	***	50-60
4	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
5	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
6	Non-Sampled Producers	***	***	***	***	30-40
7	Others	***	***	***	***	50-60
B	Indonesia					
8	PT. Asahimas Chemical	***	***	***	***	10-20
9	PT. TPC Indo Plastic and Chemicals	***	***	***	***	10-20
10	Others	***	***	***	***	30-40
C	Japan					
11	Kaneka Corporation	***	***	***	***	40-50
12	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
13	Non-Sampled Producers	***	***	***	***	40-50
14	Others	***	***	***	***	40-50
D	Korea RP					
15	LG Chem, Ltd.	***	***	***	***	30-40
16	Hanwha Solutions Corporation	***	***	(***)	(***)	(0-10)
17	Others	***	***	***	***	50-60
E	Taiwan					
18	China General Plastics Corporation	***	***	***	***	30-40
19	CGPC Polymer Corporation	***	***	***	***	10-20
20	CGPC Group	***	***	***	***	20-30
21	Ocean Plastics Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
22	Formosa Plastics Corporation	***	***	***	***	20-30
23	Others	***	***	***	***	60-70
F	Thailand					
24	Thai Plastics and Chemicals Plc.	***	***	***	***	0-10
25	AGC Vinythai Public Company Limited	***	***	***	***	10-20
26	Others	***	***	***	***	20-30
G	USA					
27	Westlake Chemicals & Vinyls LLC, Westlake Vinyls, Inc. Westlake Vinyls Company LP	***	***	***	***	140-150
28	Shintech Incorporated	***	***	***	***	80-90
29	Others	***	***	***	***	140-150

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK**H.1 Submissions by other interested parties**

140. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link.
- i. The imports into India have increased due to increase in demand in India which the domestic industry is not capable to meet.
 - ii. There is no injury to the domestic industry as the capacity, production, productivity, capacity utilization and sales of the domestic industry have increased over the injury period, while the inventories have declined.
 - iii. The cost of sales of the domestic industry has declined more than its selling price in the period of investigation as compared to the previous year. In case there was any price pressure from imports, the domestic industry would have been forced to pass on the entire decline in cost to the consumers.
 - iv. The fluctuation in selling price of the subject goods is due to impact of COVID-19.
 - v. The reduction in profits of the domestic industry is due to increase in cost of sales over the injury period. Thus, there is no causal link between imports and injury to the domestic industry.
 - vi. The Authority should examine other factors impacting profitability and causing injury to the domestic industry.
 - vii. The domestic industry has not addressed critical issues impacting the domestic industry such as internal problems, depressed market conditions, fluctuation in price of raw material, impact of COVID-19 and Russia-Ukraine conflict.
 - viii. 22% return on capital employed was designed in 1987 when the interest rates and corporate tax rates were different. Such a return is not appropriate in the current period. The CESTAT in *Bridge Stone Tyre Manufacturing & othr. Vs. DA*, held that adoption of 22% return on investment has coloured the injury determination. In *Hyosung Corporation V. DA*, the CESTAT held that a reasonable return on capital employed should have been what was earned by the domestic industry in the years where there was no allegation of dumping. Even European Commission determines reasonable returns on the basis of actual returns earned by the domestic industry during the injury period.
 - ix. The non-injurious price determined is inflated as 22% return has been considered which is incorrect as global recession does not allow such high returns and considering return on capital employed which consists of both equity and debt, the effective return on net worth is much more than 22%. Reasonable return on capital employed should be considered as that actually earned by the industry when there was no dumping in the country.
 - x. Retrospective duties should not be imposed since the submissions made by the domestic industry requesting retrospective duties lack evidence.
 - xi. The applicants have claimed that since the imports were subject to anti-dumping duty till 2022, there is history of dumping in India. However, the duties on imports from USA were continued based on likelihood and not actual dumping and injury to the domestic industry. The Authority did not continue anti-dumping duty on imports from Thailand due to lack of injury and likelihood of injury. The Authority did not initiate a second sunset review on imports from Japan, Korea, Taiwan and Thailand due to absence of dumping. Thus, it cannot be said that there is history of dumping in India.
 - xii. Retrospective duties are not warranted since there was no injury to the domestic industry during the injury period as production, sales, wages, no. of employees and profits increased.
 - xiii. The domestic industry has failed to provide evidence that the importers had the knowledge that exporters are dumping the product in India.
 - xiv. The applicants have failed to provide evidence to demonstrate massive dumping in short period of time warranting retrospective duties. The applicants have also not demonstrated that the remedial effects of anti-dumping duty would be undermined if anti-dumping duty is not levied on retrospective basis.
 - xv. The applicants have failed to request provisional duties which is a pre-condition of imposition of retrospective duties.
 - xvi. There are no provisions in the Act or the Rules that empower the Authority to recommend provisional assessment of duties.
 - xvii. The applicants have requested the Authority to collect month-wise export data of the exporters for post period of investigation. However, since the present is an original investigation, the Act or the Rules do not confer any power to review post period of investigation data.

H.2 Submissions made by the Domestic Industry

141. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- i. The volume of the subject imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India as compared to the base year as well as the previous year.
 - ii. During the period of investigation, the subject imports accounted for 93% imports into India.
 - iii. The volume of the subject imports has increased at a faster pace than the increase in demand in India.
 - iv. The domestic industry has been forced to compete with the low-priced subject imports, by reducing its prices to retain customers. As a result, while the imports are undercutting the prices of the domestic industry, the price undercutting is low.
 - v. While the cost of sales has increased over the injury period, the selling price has declined due to decline in landed price of imports.
 - vi. The market share of the subject imports has increased while that of the domestic industry and Indian industry as a whole has declined.
 - vii. The domestic industry has incurred financial losses during the period of investigation.
 - viii. The cash profits have declined and turned into cash losses. The return on investment of the domestic industry was the lowest during the period of investigation.
 - ix. The interest coverage ratio of the domestic industry has declined over the injury period and was the lowest during the period of investigation. The domestic industry has not earned sufficient profits before interest to even cover its present interest obligations.

H.3 Examination by the Authority

142. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry with regard to the injury assessment and causal link and has examined the same considering the facts available on record and applicable laws.
143. With regard to request for imposition of anti-dumping duty on retrospective basis, the Authority notes, that the critical circumstances identified by the domestic industry and the injury suffered by the domestic industry will be remedied by imposition of interim anti-dumping duty and there is no need for retrospective imposition of anti-dumping duty.
144. Article 3.3 of the WTO Agreement and Annexure-II Para (iii) of the Rules provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. A cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.
145. The Authority notes that:
- i. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
 - ii. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - iii. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries are not only directly competing with the product offered by each of the subject countries but also the like article offered by the domestic industry in the Indian market.
146. In light of the above, the Authority considers it appropriate to assess the effect of the dumped imports of the subject goods from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and United States of America on the domestic industry cumulatively.

H.3.1 Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry**a. Assessment of demand/apparent consumption**

147. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>115</i>	<i>117</i>
Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>102</i>	<i>96</i>
Subject imports	MT	10,29,546	12,51,861	19,97,000	23,23,183
Other imports	MT	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
Total Demand	MT	24,92,103	25,93,601	34,10,483	37,14,880
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>137</i>	<i>149</i>

148. The Authority notes that the demand for the subject goods has increased in India throughout the injury period and was highest during the period of investigation.

b. Import volumes from the subject countries

149. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analysed in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject imports	MT	10,29,546	12,51,861	19,97,000	23,23,183
China PR	MT	88,995	2,82,101	7,71,817	8,08,326
Indonesia	MT	15,839	58,524	67,425	1,14,045
Japan	MT	3,57,780	3,38,146	3,61,072	4,04,597
Korea RP	MT	2,09,254	1,93,786	1,81,813	2,51,633
Taiwan	MT	2,49,544	2,60,851	3,24,390	3,69,959
Thailand	MT	67,312	1,09,792	1,21,946	1,25,325
USA	MT	40,823	8,662	1,68,536	2,49,299
Other imports	MT	2,76,383	1,16,123	1,48,155	1,69,420
Total Imports	MT	13,05,930	13,67,984	21,45,155	24,92,603
Subject imports in relation to					
Production	%	76%	88%	134%	163%
Consumption	%	41%	48%	59%	63%
Total Imports	%	79%	92%	93%	93%

150. It is seen that –

- i. The imports from subject countries have increased throughout the injury period in absolute terms.
- ii. While the imports from the subject countries have increased, the imports from other countries have declined over the injury period.
- iii. Imports in relation to production and consumption have also increased over the injury period, with the effect that the imports account for more than majority of the consumption during the period of investigation.

- iv. While the subject imports comprised of 79% imports into India during the base year, the imports from the subject countries account for almost entirety of imports during the period of investigation.
- v. The demand in India has increased by 49% in the period of investigation as compared to the base year, while the subject imports have increased by 126% over the same period. Thus, the subject imports have increased at a pace higher than the increase in demand.

H.3.2 Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

151. With regard to the effect of the dumped imports on prices of the domestic industry, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a. Price Undercutting

152. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries.

Particulars	Unit	Amount
Selling price	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	76,156
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	0-10%

153. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the price undercutting is positive and significant.

b. Price Suppression and Depression

154. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	101	86
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	123	105
Landed Price	₹/MT	82,169	1,24,033	95,518	76,156
Trend	Indexed	100	151	116	93

155. The Authority notes that in 2021-22, both the cost of sales and selling price of the domestic industry increased. However, the increase in selling price was lower. In 2022-23, the selling price and cost of sales of the domestic industry decreased, but the decline in selling price was higher. During the period of investigation, the cost of sales and selling price reduced further. The landed price of imports from the subject countries was below the cost of sales and selling price of the domestic industry during the period of investigation, forcing the domestic industry to reduce its prices, despite being below cost. As compared to the base year, while the cost of sales has increased, the selling price of the domestic industry has declined. The imports have depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which otherwise would have occurred.

H.3.3 Economic Parameters of the Domestic Industry

156. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the prices of the domestic industry. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the

examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

157. The injury parameters have been examined objectively taking into account various facts and submissions made.

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and sales

158. Capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	112	114
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	119	119
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	106	105
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	115	117

159. The Authority notes that the capacity, production, domestic sales, and capacity utilization of the domestic industry have increased over the injury period. The domestic industry has not suffered injury on this account.

b) Market share

160. The market share of the domestic industry, other domestic producers, subject imports and imports from the other countries are given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales of domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	84	79
Sales of other Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	75	64
Subject imports	%	41%	48%	59%	63%
Trend	Indexed	100	117	142	151
Other imports	%	11%	4%	4%	5%
Trend	Indexed	100	40	39	41

161. The Authority notes that:

- i. The share of the domestic industry as well as the Indian industry as a whole has declined over the injury period.
- ii. The share of imports from other countries has also declined.
- iii. The share of the subject imports in demand has increased, and the subject imports account for almost two-thirds share of the market. The subject imports have taken over the market share of the Indian industry as well as imports from other countries.

c) Inventories

162. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	76	99

163. It is seen that the inventories of the subject good declined in 2021-22 as compared to the base year and increased thereafter in 2022-23 and the period of investigation. However, the inventories of the domestic industry have remained stable over the injury period.

d) Profitability, return on investment and cash profits

164. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	123	105
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	141	101	86
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	-4	-9
Total Profit/(Loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	129	-5	-10
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	4	-1
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	% Indexed	100	91	14	14

165. The Authority notes that:

- The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. While the domestic industry was earning profits in 2020-21 and 2021-22, it has incurred financial losses in 2022-23 and the period of investigation. Further, the losses of the domestic industry have increased in the period of investigation.
- While the sales of the domestic industry have increased, the total losses of the domestic industry have also increased. Thus, with additional volume of sales, the losses of the domestic industry are growing.
- The cash profit has fallen significantly and to such an extent that it was in negative during the period of investigation.
- The return on capital employed of the domestic industry has also followed the same trend. The return on capital employed has declined significantly over the injury period.

166. The domestic industry has also emphasized that its interest coverage ratio has declined significantly over the injury period. The Authority notes that the profits before interest of the domestic industry have declined to a level that the same are below the interest cost of the domestic industry. Thus, the domestic industry is not generating sufficient profits to recover its interest cost.

e) Employment, productivity and wages

167. Employment, productivity and wages of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	102	104
Wages	₹/Lacs	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	115	121	117
Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	119	119
Productivity per employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	116	115

168. It is seen that no. of employees, wages and productivity of the domestic industry has increased over the injury period. The domestic industry has not claimed any injury on these parameters.

f) Growth

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Production	%	-	15%	4%	0.48%
Domestic Sales	%	-	11%	4%	2%
Profit/Loss	%	-	16%	-104%	-109%
Cash profits	%	-	27%	-96%	-125%
Return on capital employed	%		-9%	-85%	-0.46%

169. The Authority notes that the volume parameters of the domestic industry have shown a positive growth over the injury period. The profits and cash profits of the domestic industry have increased in 2021-22, as compared to the base year. The return on capital employed declined in 2021-22, as compared to the base year. The profitability parameters of the domestic industry have shown a negative growth during 2022-23 and the period of investigation.

g) Factors affecting domestic prices

170. Since the price of the subject imports is lower than the selling price of the domestic industry, the same has created a strain on the prices of the domestic industry. Further, the imports are below the non-injurious price and cost of sales of the domestic industry. This has forced the domestic industry to sell at prices below their cost, resulting in financial and cash losses. The imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred. Therefore, the imports are impacting the prices of the domestic industry.

h) Magnitude of dumping and dumping margin

171. It is noted the subject goods from the subject countries are being dumped in India and the dumping margin is positive and significant.

i) Ability to raise capital investment

172. The Authority notes that the domestic industry has incurred financial losses and cash losses in the period of investigation. The total losses of the domestic industry have increased with increase in sales of the domestic industry. The domestic industry is not earning sufficient profits to discharge its present interest costs. In such a case, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

j) Injury Margin

173. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the desk verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price from each of the producers/exporters from the subject countries for calculating injury margin. The injury margin for the non-cooperative exporters has been determined based on the facts available with the Authority.

174. Some of the interested parties have contended that a return of 22% is not appropriate in light of the present economic situation, including prevailing interest rates and tax rates. The Authority notes that, it is the consistent practice of the Authority to allow a return of 22% on capital employed for the determination of non-injurious price. The observations of the Hon'ble CESTAT in the Bridgestone case were specific to the use of 22% ROCE in determining price underselling, not its appropriateness in computing the Non-Injurious Price (NIP). Moreover, the Bridgestone decision predates the introduction of Annexure-III to the AD Rules, rendering reliance on it by other interested parties unjustified. In the subsequent Merino Panel Products case, the CESTAT upheld the practice of the Authority of applying a 22% ROCE. Moreover, the Authority notes

that even after consideration of a return of 22% on capital employed, the return for one of the domestic producers remains lower than the interest cost incurred by it, thereby not allowing sufficient recovery towards interest and a return on equity.

175. With regard to the submissions of the other interested parties regarding determination of non-injurious price, the Authority notes that the non-injurious price has been determined as per Annexure III of the Rules and the established practice of the Authority.
176. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

Injury Margin

SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
A	China PR					
1	Chiping Xinfra Polyvinyl Chloride Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
2	Chiping Xinfra Huaxing Chemical Co., Ltd	***	***	(***)	(***)	(5-15)
3	Chiping Group	***	***	***	***	10-20
4	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
5	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
6	Non-Sampled Producers	***	***	***	***	10-20
7	Others	***	***	***	***	20-30
B	Indonesia					
8	PT. Asahimas Chemical	***	***	***	***	0-10
9	PT. TPC Indo Plastic and Chemicals	***	***	***	***	0-10
10	Others	***	***	***	***	20-30
C	Japan					
11	Kaneka Corporation	***	***	***	***	0-10
12	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
13	Non-Sampled Producers	***	***	***	***	0-10
14	Others	***	***	***	***	10-20
D	Korea RP					
15	LG Chem, Ltd.	***	***	***	***	0-10
16	Hanwha Solutions Corporation	***	***	(***)	(***)	(0-10)
17	Others	***	***	***	***	15-25
E	Taiwan					
18	China General Plastics Corporation	***	***	***	***	0-10
19	CGPC Polymer Corporation	***	***	***	***	0-10
20	CGPC Group	***	***	***	***	0-10
21	Ocean Plastics Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
22	Formosa Plastics Corporation	***	***	***	***	0-10
23	Others	***	***	***	***	15-25

F	Thailand					
24	Thai Plastics and Chemicals Plc.	***	***	***	***	0-10
25	AGC Vinythai Public Company Limited	***	***	***	***	0-10
26	Others	***	***	***	***	20-30
G	USA					
27	Westlake Chemicals & Vinyls LLC, Westlake Vinyls, Inc. Westlake Vinyls Company LP	***	***	***	***	15-25
28	Shintech Incorporated	***	***	***	***	10-20
29	Others	***	***	***	***	50-60

NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

177. As per the Rules, the Authority, inter alia, required to be examined that any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

a. Volume and price of imports from third countries

178. The imports from countries other than the subject countries are not significant in volume so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry.

b. Export Performance of the domestic industry

179. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

c. Development of Technology

180. There has been no change in technology for production of the subject goods which could have caused injury to the domestic industry.

d. Performance of other products

181. The Authority has examined data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicants are not a possible reason for injury to the domestic industry.

e. Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

182. The Authority notes that there are no trade restrictive practices which could have caused injury to the domestic industry.

f. Contraction in Demand

183. It is noted that the demand for the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it can be provisionally concluded that the injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.

g. Changes in pattern of consumption

184. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

h. Productivity

185. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Thus, decline in productivity cannot be a reason for injury to the domestic industry.

I. CONCLUSION ON INJURY & CAUSAL LINK

186. In view of above, the Authority provisionally notes that:

- a. Imports of the subject good from the subject countries have increased in absolute and relative terms over the injury period.

- b. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.
 - c. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which would have otherwise occurred.
 - d. The market share of the domestic industry and Indian industry as a whole has decreased, while that of the subject imports have increased.
 - e. While the demand for the subject goods has increased over the injury period, such increase has been captured by the subject imports.
 - f. The inventories of the domestic industry have increased as compared to the previous year and 2021-22, though remained stable over the period.
 - g. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period.
 - h. The domestic industry has incurred financial losses as well as cash losses in the period of investigation.
 - i. The total losses of the domestic industry have declined which demonstrates that with increase in volume of sales, the losses of the domestic industry have increased.
 - j. The return on capital employed of the domestic industry has declined significantly.
 - k. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.
187. It is, thus, provisionally concluded that the imports from the subject countries have caused material injury to the domestic industry during the period of investigation.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

J.1 Submissions by the other interested parties

188. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the Indian industry's interest.
- i. The price of the product under consideration is consistently higher than the import price, due to which the downstream industry struggles to compete with imports of plastic products.
 - ii. Imposition of anti-dumping duty on imports of off-grade PVC Suspension will make the finished product unviable and uncompetitive compared to imported PVC flooring.
 - iii. Imposition of anti-dumping duty on the product under consideration will lead to huge imports of downstream product, which will destroy hundreds of downstream producers.
 - iv. Anti-dumping duty should not be imposed on imports of the product under consideration till India becomes self-sufficient for the product.
 - v. Since there is a huge demand-supply gap in India, imposition of anti-dumping duty will lead to irreparable injury to the users which are heavily dependent upon the imported product.
 - vi. The product under consideration was subject to anti-dumping duty for a long period of time, however, the domestic producers have failed to increase their capacities.
 - vii. The scenario identified by the domestic industry may not reflect the true state as the injury period coincides with COVID period in which the industry was trying to survive and remain commercially viable.
 - viii. PVC Suspension Resins constitutes a significant share in the downstream product and anti-dumping duty to the tune of 10-20% will have an impact of at least 4-8% on the finished product. The downstream industry will not be able to pass on such increased costs due to competition with imported downstream product.
 - ix. There are large number of users which are a part of MSME sector but collectively contribute immensely to the GDP of the country.
 - x. The applicants are taking undue advantage of anti-dumping duty by requesting for imposition of duty even though the imports were subject to duty for a period of 15 years.
 - xi. The Government of India is in process of implementing mandatory BIS standards for the product under consideration which will lead to increase in prices of the product and adversely impact the downstream industry. The Indian government is not processing application for the BIS licenses for Chinese manufacturers. Any implementation of anti-dumping duty will further impact the users.

J.2 Submissions made by the domestic industry

189. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Indian industry's interest.
- i. There will not be any adverse impact of imposition of anti-dumping duty which is evident from the fact that there has been no adverse impact of anti-dumping duty in the past.
 - ii. Impact of imposition of anti-dumping duty is less than 0.1%.

- iii. Since the impact of anti-dumping duty is minimal, it is likely to be borne by the downstream industry and not passed on to the users.
- iv. Fair prices will be maintained in the market as there is sufficient inter se competition in India.
- v. Imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India.
- vi. Since the subject goods are not sold under long-term contracts, the users can easily switch suppliers, if required.
- vii. There are global overcapacities for the product under consideration and hence, there is abundant supply of the product in the market.
- viii. There is history of dumping in India, hence, the exporters are not able to sell the product in India at fair prices.

J.3 Examination by the Authority

190. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duty is to remedy the injury inflicted upon the domestic industry by the unfair trade practices of dumping. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
191. The other interested parties have submitted that the prices of the domestic industry are higher than import price, which causes a strain on the margins of the downstream industry. The Authority notes, that the prices of the domestic industry as well as landed price of imports have declined significantly in the period of investigation. The prices were much higher in the past. Since there was no adverse impact on the performance of downstream industry in the past due to such high prices, there likely will not be any adverse impact of imposition of anti-dumping duty.
192. With regard to the contention that imposition of anti-dumping duty will lead to excessive imports of downstream product, the Authority notes that there was anti-dumping duty on imports of the subject goods for a long period of time in India. During such time, the downstream industry has not suffered adversely due to imports of the downstream product. Such being the case, the downstream industry will likely not suffer due to imposition of current measures. Further, in case, the downstream product starts getting dumped in India post imposition of measures, the downstream industry is free to make an application for initiation of anti-dumping investigation.
193. With regard to the contention that the domestic industry has failed to increase capacities even though anti-dumping duty was in force, the Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty is to offset the price discriminatory behavior of the exporters. It is not a safeguard measure, intended to facilitate adjustment by the domestic industry. While the imposition of safeguard measures presupposes that there are factors required to be addressed by the domestic industry, in order to allow it to become competitive versus the imports; there is no such presumption in case of imposition of anti-dumping duty. The duty imposed earlier was intended to counteract the injurious effects of dumping earlier by the foreign producers, and thus, achieved its intended purpose. In any case, the capacities in India have increased. The domestic industry has increased capacities even over the injury period.
194. The other interested parties have submitted that anti-dumping duty should not be imposed till India is self-sufficient in production of the subject goods. The Authority notes that the same is not a requirement for imposition of anti-dumping duty. The Authority in the past has imposed anti-dumping duty on a number of products where there was demand-supply gap in India. Imposition of anti-dumping duty is likely to provide a level playing field to the Indian industry.
195. The contention that the current scenario does not reflect correct situation as the injury period coincides with COVID period is incorrect. There was no impact of COVID-19 in the period of investigation. It is seen that the profitability parameters of the domestic industry have been adversely impacted in the period of investigation as compared to even the previous year. Thus, the present scenario reflects the extent of injury to the domestic industry.
196. With regard to the contention that the applicants are taking undue advantage of trade remedial measures, the Authority notes that the anti-dumping duty has been imposed on imports of the product under consideration multiple times in the past, as a result of dumping of the product. The Authority has conducted detailed

examination of dumping, injury and causal link and thereafter recommended imposition of anti-dumping duty. The number of measures on imports of the product under consideration shows the pricing and unfair trade practice of the producers in the subject countries.

197. With regard to the contention that BIS standards are being imposed, the Authority notes that the BIS standards are being worked out by the Government of India since a long period of time. The same have not been implemented yet. Further, implementation of BIS does not vitiate the fact that the domestic industry is suffering material injury due to dumping in India. The Authority is not the appropriate forum to examine concerns regarding any alleged delay in granting of BIS licenses.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

198. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:
- i. The application for initiation of anti-dumping investigation against imports of PVC Suspension Resins originating or exported from China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA was filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited.
 - ii. There are two other producers of the subject goods in India. However, such producers are involved in importing the subject goods from the subject countries and have been provisionally considered ineligible for constituting the domestic industry for the purpose of the present investigation.
 - iii. The applicants account for major share of Indian production and constitute the domestic industry.
 - iv. The product under consideration is “homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade) manufactured through suspension polymerization process with K-value above 55 and upto 77”.
 - v. The scope of the product under consideration excludes ultra-low k-value PVC suspension resins (K-value upto 55), ultra-high K-value PVC suspension resins (K-value above 77), cross-linked PVC, chlorinated PVC, vinyl chloride vinyl acetate copolymer (VC-Vac), PVC paste resins, mass polymerisation PVC and PVC blending resin.
 - vi. Since cost and price of the product does not vary significantly between various K-values and the product remains the same irrespective of the production process, there is no need for PCN in the present investigation.
 - vii. There is no need for exclusion of off-grade PVC suspension resins since a mere difference in quality is immaterial to decide the scope of the product under consideration.
 - viii. The domestic industry has produced like article to the imported product under consideration.
 - ix. The normal value and export price for cooperative producers and exporters have been determined based on the information provided by them, subject to verification of such information.
 - x. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries is significant and above *de minimis*.
 - xi. Imports of the subject good from the subject countries have increased in absolute and relative terms over the injury period.
 - xii. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.
 - xiii. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which would have otherwise occurred.
 - xiv. As regards to the effect of such dumped imports on the economic parameters of the domestic industry, the following provisional conclusions are reached:
 - a. The market share of the domestic industry and of the Indian industry as a whole has decreased, while that of the subject imports have increased.
 - b. While the demand for the subject goods has increased over the injury period, such increase has been captured by the subject imports.
 - c. The inventories of the domestic industry have increased as compared to the previous year and 2021-22, though remained stable over the period.
 - d. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period.
 - e. The domestic industry has incurred financial losses as well as cash losses in the period of investigation.

- f. The return on capital employed of the domestic industry has declined significantly.
 - g. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted
- xv. The domestic industry has suffered injury as a result of dumped goods from the subject countries.
- xvi. No other factors have caused injury to the domestic industry and the injury to the domestic industry is due to dumping of the subject imports into India.
- xvii. The imposition of anti-dumping duty is in the interest of public at large. This is evident from the following:
- a. Imposition of anti-dumping duty will provide a fair playing field to the Indian industry.
 - b. The price of the product under consideration was higher in the past, which did not adversely affect the users. Thus, any increase in the price of the product under consideration due to imposition of anti-dumping duty is not likely to have an adverse impact on the downstream industry.
 - c. There is history of dumping in India. The product under consideration was subject to anti-dumping duty multiple times. Since there was no adverse impact of such anti-dumping duty on the downstream industry, there likely will be no adverse impact of the anti-dumping duty in the future.
 - d. The number of anti-dumping duty imposed on the product under consideration shows unfair practice of dumping resorted by the exporters in the subject countries and the inability to sell at fair prices in the Indian market.
 - e. There was no impact of COVID-19 on the domestic industry during the period of investigation. The economic parameters of the domestic industry show a decline even when compared to the previous year.
199. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of provisional duties is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
200. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of provision anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below

Duty Table

S.N.	Headig	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3904	PVC Suspension Resins*	China PR	China PR	Chiping Xinfu Polyvinyl Chloride Co., Ltd.	125	MT	USD
2	-do-	-do--	China PR	China PR	Chiping Xinfu Huaxing Chemical Co., Ltd.	125	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	China PR	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	82	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	China PR	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	92	MT	USD
5	do-	-do-	China PR	China PR	Non-Sampled Producers, as per list below*	97	MT	USD
6	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than Sl. No. (1) to (5)	167	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	China PR	Any	167	MT	USD
8	do-	-do-	Indonesia	Indonesia	PT. Asahimas Chemical	73	MT	USD
9	do-	-do-	Indonesia	Indonesia	PT. TPC Indo Plastic and Chemicals	61	MT	USD
10	do-	do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer other than Sl. No. (8) and (9)	200	MT	USD
11	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	Indonesia	Any	200	MT	USD
12	-do-	-do-	Japan	Japan	Kaneka Corporation	54	MT	USD
13	-do-	-do-	Japan	Japan	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	73	MT	USD
14	-do-	-do-	Japan	Japan	Non-Sampled Producers, as per list below**	66	MT	USD
15	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any producer other than Sl. No. (12) to (14)	147	MT	USD
16	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	Japan	Any	147	MT	USD
17	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	LG Chem, Ltd.	51	MT	USD
18	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	NIL	MT	USD
19	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer, other than Sl. No. (17) & (18)	161	MT	USD
20	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	Korea RP	Any	161	MT	USD
21	-do-	-do-	Taiwan	Taiwan	China General Plastics Corporation	25	MT	USD
22	-do-	-do-	Taiwan	Taiwan	CGPC Polymer Corporation	25	MT	USD
23	-do-	-do-	Taiwan	Taiwan	Ocean Plastics Co., Ltd.	40	MT	USD
24	-do-	-do-	Taiwan	Taiwan	Formosa Plastics Corporation	74	MT	USD
25	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer, other than Sl. No. (21) to (24)	163	MT	USD
26	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP,	Taiwan	Any	163	MT	USD

			Taiwan, Thailand and USA					
27	-do-	-do-	Thailand	Thailand	Thai Plastics and Chemicals Plc.	53	MT	USD
28	-do-	-do-	Thailand	Thailand	AGC Vinythai Public Company Limited	80	MT	USD
29	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer, other than Sl. No. (27) and (28)	184	MT	USD
30	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	Thailand	Any	184	MT	USD
31	-do-	-do-	USA	USA	Westlake Chemicals & Vinyls LLC	164	MT	USD
32	-do-	-do-	USA	USA	Westlake Vinyls, Inc.	164	MT	USD
33	-do-	-do-	USA	USA	Westlake Vinyls Company LP	164	MT	USD
34	-do-	-do-	USA	USA	Shintech Incorporated	104	MT	USD
35	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Any producer, other than Sl. No. (31) to (34)	339	MT	USD
36	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Taiwan, Thailand and USA	USA	Any	339	MT	USD

* Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerization process with K-value above 55 and upto 77

List of non-sampled producers from China PR*

Sl.No.	Non-Sampled Cooperative Producers
1.	Chiping Xinfra Huaxing Chemical Co., Ltd
2.	CNSIG Jiltani Chlor – Alkali Chemical Co. Ltd.
3.	Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.
4.	Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
5.	Inner Mongolia Chemical Industry Company Ltd.
6.	Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd.
7.	Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.
8.	Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd
9.	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co
10.	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd.
11.	Tianjin LG Bohai Chemical. Co. Ltd
12.	Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd.
13.	Wanhua Petrochemical (Yantai) Co., Ltd.
14.	Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd
15.	Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd
16.	Yibin Haifeng Herui Co. Ltd.
17.	Zhong Tai International Development (HK) Limited

List of non-sampled producers from Japan**

SN	Company Name
1.	Shin Dai-ichi Vinyl Corporation

L. FURTHER PROCEDURE

201. The procedure as mentioned below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- i. The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties within 30 days from the publication of these findings, and the same, to the extent considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
- ii. The Authority would conduct an oral hearing in terms of Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules to provide an opportunity to the interested parties to present their views relevant to the subject investigation.
- iii. The date of the oral hearing will be published on the DGTR website. (www.dgtr.gov.in)
- iv. The Authority would conduct further verification of the interested parties as deemed necessary.
- v. The Authority would disclose the essential facts as per the Anti-Dumping Rules before issuing final findings in the subject investigation.

DARPAN JAIN, Designated Authority